



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231439
CG-DL-E-27112021-231439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

[मामला सं. ए डी (एस एस आर) - 20/2020]

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “3 प्रतिशत जल अवशोषण से कम वाले पोलिशड अथवा पोलिश न किये गये फिनिश में ग्लेज किये हुए/ ग्लेज्ड न किये हुए पोसिलेन/ विट्रीफाइड टाइलें” के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/39/2020 – डी जी टी आर .—समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित उसके सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. इस मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "3 प्रतिशत जल अवशोषण से कम वाले पोलिशड अथवा पोलिश न किये गये फिनिश में ग्लेज किये हुए/ ग्लेज्ड न किये हुए पोलिसिलेन/ विट्रीफाइड टाइलें (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए गुजरात ग्रेनिटो मैनिफेक्चर्स एसो., इंडियन काउंसिल फॉर सिरेमिक्स टाइल्स एंड सेनेटरी वेयर, मोरबी सिरेमिक्स एसो., और साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ।
- यह पाटनरोधी जांच ('मूल जांच') संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग पर पाटन और इसके क्षतिकारक प्रभाव की सीमा एवं प्रकृति की जांच करने के लिए 13 अक्टूबर, 2015 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 11 मार्च, 2016 के अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की, जिसे दिनांक 29 मार्च, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 12/2016 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लागू किया गया था। उसके बाद, प्राधिकारी ने, दिनांक 8 अप्रैल, 2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/14/2014 – डी जी ए डी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 29/2017 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के द्वारा लागू किया गया था।
- गुजरात ग्रेनिटो मैनिफेक्चर्स एसो. और साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. ने दिनांक 08.04.2017 के अंतिम जांच परिणाम और अधिसूचना सं. 29/2017 – सीमाशुल्क (ए डी डी) को चुनौती देते हुए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की स्पेशल सिविल आवेदन सं. 11115 और 2017 का 11851 दायर किया। यह मामला माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लंबित है।
- इस अधिनियम की धारा 9क (5) के संदर्भ में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, का इस प्रकार के शुल्क लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा इस नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है :
"इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसके लगाये जाने की तिथि से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व उचित समयावधि के भीतर अपनी स्वयं की पहल पर अथवा घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध पर उस अवधि के पूर्व शुरू की गई समीक्षा पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हों कि उक्त पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।"
- उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी अपनी पहल के आधार पर भी समीक्षा कर सकते हैं।
- आवेदकों ने पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। यह अनुरोध इन आधारों पर आधारित था कि इन शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। आवेदक ने इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और क्षति की संभावना का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। इसके अलावा, आवेदकों ने यह अनुरोध किया कि भारत में सिरेमिक टाइल उद्योग गुजरात में मोरबी और हिम्मत नगर में स्थित काफी संख्या में लघु उत्पादकों के साथ खंडित है। यह भी जोर दिया गया था कि अल्प अवधि में कुल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत वाले घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति संबंधी आंकड़े और लागत संबंधी सूचना का संग्रह करना संभव नहीं था। यह अनुरोध किया गया था कि 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू उत्पादक एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित हैं। लगभग 244 उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे हुए हैं और अलग अलग उत्पादक का उत्पादन बहुत कम है।

7. इस आवेदन की जांच की गई थी और यह भी नोट किया गया था कि घरेलू उत्पादक जो घरेलू उद्योग का हिस्सा बन जायेंगे कि पहचान जांच की शुरुआत के समय आवेदन में नहीं किया गया था और इस कारण से क्षति और स्वागत संबंधी अन्य सूचना का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना उपलब्ध नहीं थी।
8. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एम एस एम ई उद्योग की खंडित प्रकृति तथा नियम 23 (1ख) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 22 जनवरी, 2021 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के माध्यम से "अपनी स्वयं की पहल पर" (स्वतः) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।
9. जांच के निष्कर्ष लंबित रहने तक, पाटनरोधी शुल्क को सर्वप्रथम दिनांक 25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 09/2021 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से 28 जून, 2021 तक बढ़ाया गया था। उसके बाद इस शुल्क को दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 34/2021 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से पुनः 31 दिसंबर, 2021 तक और अनंतः 30 सितंबर, 2021 की अधिसूचना सं. 54/2021 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाया गया था।

ख. प्रक्रिया

10. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 8 अप्रैल, 2017 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/14/2014 – डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल हैं जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।
11. नीचे में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण जांच के संबंध में किया गया है :
 - क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2021 की एक आम सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में इसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें।
 - घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश की सरकार को भारत में इसके दूतावास के माध्यम से तथा ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। इस आवेदन के गोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।
 - ड. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यात की प्रश्नावली के साथ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेसित की।
 - i. एनपिंग सिटी हुआंचांग सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - ii. फोशन चांचेंग जिन्यी सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - iii. फोशन लिहुआ सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - iv. फोशन ओशनलैंड सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - v. ग्वांगडोंग हाओसेन सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - vi. जिंगशी फुलिगो सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - vii. जिंगडेज़ेन किटो सिरेमिक्स कं.लिमि .
 - viii. मोनालिशा ग्रुप कं.लिमि .
 - ix. न्यू झाँग युआन सिरेमिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लिमि .
 - x. किंग्युअन ओया सिरेमिक्स कं.लिमि .

- xi. जिन जिंग जियांग जजिसिंग सिरिमिक्स कं.लिमि .
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों की सूची के साथ दूतावास को भेजी गई थी।
- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते हुए जवाब दिया है :
- i. फोशन चांगचेंग जिन्यी सिरिमिक्स कं.लिमि .
 - ii. फोशन वोरसेटर ट्रेड कं.लिमि .
 - iii. जिन जिंग जजिसिंग सिरिमिक्स कं.लिमि .
- ज. प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।
- i. एशियन ग्रांटियो इंडिया लिमि.
 - ii. ब्राइट इंटरनेशनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
 - iii. एच एंड आर जॉनसन इंडिया
 - iv. कटारिया कैपिटल प्रोमोटर लिमि.
 - v. मालवा सिरिमिक्स प्रा.लिमि .
 - vi. पेंडा मार्केटिंग प्रा.लिमि .
 - vii. स्पनिसो स्टूडयों
 - viii. द इम्पेक्स प्रा.लिमि .
- झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार परिचालन के लिए तथा आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों संघ को प्रश्नावलियां भेजीं।
- i. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - ii. कंपडेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवेलपर्स' एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - iii. सीआरईडीआई – एमसीएचआई
- ञ. संबद्ध जांच की शुरुआत की प्रतिक्रिया में किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब नहीं दिया है।
- ट. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया।
- ठ. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना तथा लेन देन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ड. क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार और सामान्य रूप से स्वीकार किया गया लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत तथा उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार की क्षति रहित कीमत पर विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगा।
- ढ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारणों से जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 को माना है :

- i. जांच की अवधि हाल की अवधि है और इसमें एक पूर्ण वित्तीय वर्ष शामिल है।
- ii. चूंकि वर्तमान जांच में लघु घरेलू उत्पादक शामिल है अतः वह वांछनीय है कि जांच की अवधि वह अवधि : हो जिसमें इस उद्योग का लेखांकनवर्ष शामिल हो।
- iii. प्रस्तावित जांच की अवधि हाल की अवधि है और वह कानून के अनुरूप है।

क्षति के विश्लेषण की अवधि में अप्रैल 1, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।

- ण. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पी सी एन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किये। सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें। चूंकि कोई भी टिप्पणियां अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त नहीं हुई थीं। अतः प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से पी सी एन पद्धति को अधिसूचित किया।
- त. प्रकटन विवरण (एन सी वी) टिप्पणियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा के साथ ई-मेल के माध्यम से 18.11.2021 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय रूपांतर के साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर लिया गया है।
- थ. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर उस सीमा तक जिस सीमा तक साक्ष्य इसके समर्थन में था और वर्तमान जांच से संगत माना गया था, पर उपयुक्त रूप से प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- द. जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने अपने आप को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जो इस जांच परिणाम का आधार संभव सीमा तक बनता है की सटीकता के संबंध में अपने आपको संतुष्ट किया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/ दस्तावेजों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापन किया।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त तथा गोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।
- न. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच किये जाने की इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/ टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम में *** इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनियम दर 1 यू एस डालर = 73.17 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

12. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“6. इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व की जांच में था अर्थात् घुलनशील नमक, डबल चार्ज, जी वी टी और पी जी वी टी प्रोसिलेन/ विट्रीफाइड टाइल्स जो सभी आकारों का हो और जिसमें 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण हो; माइक्रो क्रिस्टल टाइल्स, फूल बॉडी टाइल्स और 5 एमएम मोटाई से कम के पतले पैनल को छोड़कर।

7. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण चिकनी मिट्टी, रंग, चूर्ण और रसायनों, जिन्हें पानी के साथ मिला दिया जाता है, का उपयोग करते हुए किया जाता है। गारे (घोल) को स्प्रे ड्रायर तक पम्प किया जाता है ताकि इसे चूर्ण रूप में परिणत किया जा सके जिसे दबाकर बिस्किट बनया जाता है और फिर ड्रायर में डाला जाता है। बिस्किट फाई को 1190-1220 सेल्सियस के तापमान पर भट्टी में डाला जाता है। हालांकि, ग्लेज्ड किये हुए विट्रीफाइड टाइल्स के मामले में बिस्किट को सर्वप्रथम ग्लेज्ड

किया जाता है फिर उसे भट्टी में डाला जाता है। इस प्रकार से उत्पादित टाइल्स का आकार बनाया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है और पोलिश किया जाता है जो अंतिम उत्पाद देता है। हालांकि, ग्लेज्ड किये हुए टाइल्स को एक अलग पोलिशिंग प्रक्रिया से गुजरना अपेक्षित नहीं होता है।

8. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग भवनों, घरों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, ऐयरपोर्ट, स्विमिंग पूल्स, रेलवे स्टेशन आदि में फ्लोर और दीवारों को कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का माप वजन अथवा क्षेत्रफल से किया जाता है। वर्तमान उपयोग के लिए, इस सूचना को वर्ग मीटर में व्यक्त किये गये क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

9. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 69 के अंतर्गत किया जाता है। 2 फरवरी, 2017 तक, विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण 69071010, 69071090, 69079010 और 69079090 के अंतर्गत किये जाने योग्य था। इसके बाद निर्धारित कोडों को संशोधित कर 69072100 और 69072200 कर दिया गया है। हालांकि, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि इस उत्पाद का आयात 69072190, 69072300, 69073010 और 69074010 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से टैरिफ शीर्ष 6907 को माना है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संसूचक है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

ग .1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग .2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

14. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।
- ख. इस उत्पाद का विकास इस अवधि के दौरान हुआ है और घरेलू उद्योग ने 16 मिमी. × 3200 मिमी. तक के बड़े आकार का स्लेब का निर्माण करना शुरू कर दिया है। जबकि ऐसे टाइलों का कोई आयात नहीं हुआ है, चीन के उत्पादकों ने ऐसे उत्पादों के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 6907 के अंतर्गत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण 2 फरवरी, 2017 तक एच एस कोड 6907 1010, 6907 1090, 6907 9010 और 6907 9090 के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद टैरिफ वर्गीकरण को बदलकर 6907 2100 और 6907 2200 किया गया था। हालांकि, इसका भी आयात भारत में एच एस कोड 6907 2190, 6907 2300 6907 3010 और 6906 4010 के अंतर्गत किया गया है।
- घ. पूर्व में माना गया पी सी एन टाइलों के प्रकार और आधार पर आकार था। हालांकि, उत्पाद मानदंडों को आगे मान्यता दिये जाने की आवश्यकता है।
- ङ. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और आयात किये गये उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।
- च. उत्पाद का प्रोफाइल 2000 में अधिकांश उत्पाद 300×300 होने से बदलकर 1000×1000 एमएम और 1200×1200 एमएम कर दिया गया है जो अब मापदंड है। भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद रेंज चीन के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे उत्पाद रेंज से श्रेष्ठतर है।

ग .3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व की जांच में था अर्थात् घुलनशील नमक, डबल चार्ज, जी वी टी और पी जी वी टी प्रोसिलेन/ विट्रीफाइड टाइल्स जो सभी आकारों का हो और जिसमें 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण हो; माइक्रो क्रिस्टल टाइल्स, फूल बॉडी टाइल्स और 5 एमएम मोटाई से कम के पतले पैनल को छोड़कर।
16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में कोई अनुरोध नहीं किया है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।
17. संबद्ध वस्तु का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 6907 के अंतर्गत किया गया है। 2 फरवरी, 2017 से पूर्व, संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण 6907 1010, 6907 1090, 6907 9010 और 6907 9090 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद, शुल्क वर्गीकरण को

संशोधित कर 6907 2100 और 6906 2200 कर दिया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस उत्पाद का भी आयात 6907 2190, 6907 2300, 6907 3010 और 6907 4010 के अंतर्गत किया जा रहा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से टैरिफ शीर्षक 6907 को माना है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

18. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से निम्नलिखित पी सी एन पद्धति को माना है :-

विवरण	कोड	रैंजमानदंड /
आकार एमएम में	क	जहां अपेक्षाकृत बड़ा साइड 500 तक है
	ख	जहां अपेक्षाकृत बड़ा साइड 500 से अधिक और 900 तक है
	ग	जहां अपेक्षाकृत बड़ा साइड 900 से अधिक और 1200 तक है
	घ	जहां अपेक्षाकृत बड़ा साइड 1200 से अधिक और 1800 तक है
	ङ	जहां अपेक्षाकृत बड़ा साइड 1800 से अधिक है
मोटाई एमएम में	1	5 एमएम तक
	2	5 एमएम से अधिक और 10 एमएम तक
	3	10 एमएम से अधिक और 15 एमएम तक
	4	15 एमएम से अधिक और 20 एमएम तक
	5	20 एमएम से अधिक
सतह फिनिश	1	ग्लेज्ड किया हुआ और पोलिश किया हुआ
	2	ग्लेज्ड किया हुआ लेकिन पोलिश नहीं किया हुआ
	3	ग्लेज्ड नहीं किया हुआ और पोलिश नहीं किया हुआ (डबल चार्ज, घुलनशील साल्ड सहित)
	4	ग्लेज्ड नहीं किया हुआ और पोलिश नहीं किया हुआ
	5	अन्य - कृपया उल्लेख करें

19. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु विशेषताओं जैसे इन वस्तुओं की भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों कीमत निर्धारण, विपणन और वितरण अथवा टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। उसको देखते हुए, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयात किये गये सारे उत्पाद का समान वस्तु है।

घ . घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं आधार

घ .1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आधार के संबंध में अनुरोध निम्नानुसार है :

“ इस समय आधार के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है और 26.43 प्रतिशत को एक बड़े अनुपात के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह दावा समर्थन के साथ कम से कम 50 प्रतिशत का प्रतिनिधिक होना चाहिए और उससे कम सीमा को प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति के अनुसार एक बड़े अनुपात के रूप में भी नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए।”

घ .2. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

21. आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. यह याचिका गुजरात ग्रेनिटो मैनिफेक्चर्स एसो., इंडिया काउंसिल फॉर सिरेमिक टाइल्स और सेनेटरीवेयर, बोरबी सिरेमिक्स एसो. और साबारकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. द्वारा दायर किया गया है।
- ख. उत्पादक संघों द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया आवेदन यह निर्णायक समीक्षा जांच के लिए पर्याप्त नहीं है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सिल्क यार्न और सिल्क फैब्रिक से संबंधित जांचों में माना गया था।
- ग. 244 उत्पादकों में से, 56 उत्पादक जो घरेलू उत्पादन का 26.43 प्रतिशत है, में क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।
- घ. आगे 83 उत्पादकों ने शुल्क को जारी रखने का समर्थन किया है।
- ङ. विट्रीफाइड टाइल्स के लिए यह उद्योग 600 से अधिक उत्पादन लाइनों की कुल संख्या के साथ 244 से अधिक उत्पादकों के साथ एक खंडित उद्योग है।
- च. लगभग 90 प्रतिशत उत्पादक एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि केवल 8-10 प्रतिशत अन्य संगठित क्षेत्रों से हैं।
- छ. प्रत्येक कंपनी का अलग अलग उत्पादन काफी हद तक कम है। हालांकि सभी उत्पादक आवेदक संघों में से एक संघ का हिस्सा हैं।

घ .3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

23. यह आवेदन गुजरात ग्रेनिटो मैनिफेक्चर्स एसो., इंडियन काउंसिल फॉर सिरेमिक टाइल्स एंड सेनेटरीवेयर, मोरबी सिरेमिक्स एसो. एंड साबारकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. द्वारा किया गया था। यह नोट किया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के 244 घरेलू उत्पादक हैं और उनमें से सभी एक अथवा अन्य उक्त संघों का हिस्सा हैं। घरेलू उत्पादकों जो गुजरात ग्रेनिटो मैनिफेक्चर्स एसो., अथवा इंडियन काउंसिल फॉर सिरेमिक टाइल्स अथवा एंड सेनेटरीवेयर, अथवा मोरबी सिरेमिक्स एसो. अथवा एंड साबारकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. के सदस्य हैं की एक सूची अनुलग्नक - ग के रूप में संलग्न है। इस प्रकार यह देखा गया है कि प्रत्येक घरेलू उत्पादक एक अथवा अन्य एसो. के एक सदस्य हैं जबकि कुछ उत्पादक एक से अधिक संघ के सदस्य हैं।
24. निम्नलिखित सदस्यों आरंभिक तौर पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने पूर्ण आंकड़े दिये थे।
 - क. कजारिया सिरेमिक्स लिमि.
 - ख. कजारिया टाइल्स प्रा.लिमि .
 - ग. सोमनी सिरेमिक्स लिमि.
 - घ. सुधा सोमनी सिरेमिक्स लिमि.
25. जांच की शुरुआत के पूर्व, इस याचिका का समर्थन संबद्ध वस्तुओं के 126 घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया था। उत्पादकों जिन्होंने समर्थन व्यक्त किया था की सूची अनुलग्नक - घ के रूप में संलग्न है।
26. जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने आवेदक संघों को भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के संबंध में इस नियमावली के अनुसार क्षति और अन्य सूचना देने का निदेश दिया। उत्तर में, अनेक कंपनियों ने अपनी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई। इन घरेलू उत्पादकों के नाम इस प्रकटन के साथ अनुलग्नक - क के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, कजारिया सिरेमिक्स लिमि., कजारिया टाइल्स पी लिमि., ऐसर ग्रेनिटो प्रा. लिमि., सोमानी सिरेमिक्स लिमि., सोमानी फाइन

विट्रीफाइड लिमि और विटेंज टाइल्स प्रा. लिमि. ने निर्धारित रूप में और तरीके से अपनी लागत संबंधी सूचना उपलब्ध कराई।

27. मौखिक सुनवाई के अनुसरण में, प्राधिकारी को शुल्क को जारी रखने के लिए अनुरोध का समर्थन करते हुए 102 घरेलू उत्पादकों से पत्र प्राप्त हुए। ऐसे उत्पादकों की सूची अनुलग्नक - ड के रूप में संलग्न है।
28. यह नोट किया गया था कि यह आवेदन चार संघों द्वारा सामूहिक रूप से दायर किया गया था और सभी घरेलू उत्पादक कम से कम एक अथवा उससे अधिक संघों का हिस्सा हैं। इसके अलावा, उत्पादक, जिन्होंने क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है का सामूहिक रूप से कुल भारतीय उत्पादन का 26.38 प्रतिशत है। इस प्रकार से इस आवेदन को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया माना गया है। घरेलू उत्पादकों जिन्होंने क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं का भारत में घरेलू उत्पादन में एक बहुत बड़ा अनुपात है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि 56 उत्पादकों जिन्होंने अपनी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

ड . गोपनीयता

ड .1 . अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क) जिन पक्षकारों ने उन कारणों को देते हुए जो यहां विवादित नहीं हैं नियम में यथा अनुमत्य गोपनीय के रूप में दावा किया। इसके साथ ही, जहां भी संभव हुआ है अनुक्रमण उपलब्ध कराया गया है।
- ख) कजारिया, सोमानी आदि जैसे उत्पादकों ने प्रपत्र ज के अनुसार जिसका स्पष्ट रूप से अनुक्रमण किया जा सकता है, अपनी क्षति संबंधी मानदंडों का अनुक्रमण भी नहीं दिया है।

ड .2 .घरेलू उद्योग के विचार

30. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अतिरिक्त गोपनीयता का दावा किया है, जिसने अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवेदकों की क्षमता को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है।
- ख. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने संबद्ध देश में क्षमता, उत्पादन और बिक्री से संबंधित आंकड़े प्रकट नहीं किये हैं यद्यपि वह तृतीय पक्ष की सूचना है।

ड .3 .प्राधिकारी द्वारा जांच

31. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है :

“गोपनीयता सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

32. प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धी को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन का उस व्यक्ति जो सूचना दे रहा है अथवा उस व्यक्ति जिससे उसने सूचना प्राप्त की, पर काफी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होता) अथवा जिसे इन पक्षकारों द्वारा किसी जांच में

गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई जाती है, सही कारण दर्शाये जाने पर उसे प्राधिकारी द्वारा वैसा ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना को इसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।

33. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावे पर विचार किया है और उसके बारे में भी संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

च .विविध मुद्दे

च .1 .अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अन्य मुद्दों के संबंध में अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क) हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि स्वतः जांच तब शुरू की गई थी जब आवेदक अपने मामले की पुष्टि करने में असफल रहा। फोशन चांगचेंज यह समझ नहीं पाया है कि इस प्रकार से प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया है। फोशन चांगचेंज उचित वास्तविक प्रकटन के बाद ही आधार, पाटन और क्षति संबंधी दावे आदि जैसे विशिष्ट पहलुओं का खंडन उपलब्ध करायेगा।
- ख) जिन्यी का निर्यात कम हो गया है क्योंकि भारत में आयातक भारत ने परस्पर तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू रूप से अपनी कीमत की तुलना में कमतर कीमत पर सामग्री की आपूर्ति कर सके और आयातक माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण स्पेशल सिविल आवेदन के परिणाम की परवाह किये गये शून्य शुल्क पर भी आयात करने के लिए इच्छुक नहीं थे।
- ग) आयात में गिरावट अंतरिम आदेश को छोड़कर अन्य कारणों से हुई थी और आयातों में गिरावट आई क्योंकि यह सामग्री भारत में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध थी और चीन जन. गण. के निर्यातक भारत में ऐसी कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
- घ) जिन्यी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उचित तथ्यों के साथ होने पर इस जांच के अनेक पहलुओं का उत्तर दे सके।
- ङ) भारत में कम कीमत का सही कारण यह था कि क्यों आयातों में शून्य शुल्क अथवा बहुत कम शुल्क प्राप्त करने वाले अनेक निर्यातकों के बाद भी गिरावट आई।
- च) यह मुद्दा वास्तविक में जनहित नहीं है लेकिन शुल्कों को आगे जारी रखने में गुण का अभाव है क्योंकि ये शुल्क आयात जो लगभग समाप्त हो गये हैं को रोकने के लिए आवश्यक नहीं है। भारतीय उत्पादकों में कई गुणा वृद्धि हुई है और अब वे बड़े निर्यातक हैं और अन्य देशों में चीन जन. गण. आदि से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा पाटनरोधी शुल्क का ऐसी स्थिति में कोई मतलब नहीं है।

च .2 .घरेलू उद्योग के विचार

35. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. जब जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना में इस तथ्य का उल्लेख है कि आवेदकों द्वारा आवेदन दायर किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से निर्यातक किये गये आवेदन के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा कर सकते हैं। इस आवेदन को दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादियों को दिया गया था। इसके अलावा, फोशन चांगचेंग एक ज्ञात उत्पादक के रूप में सूचीबद्ध था जिसका आशय है कि आवेदक को जांच की शुरुआत के चरण में ही उन्हें दिया गया था।
- ख. इस तर्क के उत्तर में की आधार, पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में कोई प्रकटन नहीं हुआ है, इस बात पर जोर दिया गया था जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना ने न केवल आधार के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणियां शामिल कीं बल्कि पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य का भी उल्लेख किया गया।
- ग. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया आंकड़ा यह दर्शाता है कि संबद्ध देश ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक ने प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तुओं का भी निर्यात किया।
- घ. प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।
- ङ. उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह नोट किया था कि यदि दायर की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है तब अनुमति दिये गये कोई भी आयात अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में, आयातक आयात करने से हिचकेंगे क्योंकि अतिरिक्त शुल्क का कोई भी भार उन पर पड़ेगा।

- च. निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति भारत के लिए विशिष्ट नहीं है और इस कारण से घरेलू उत्पादकों ने कीमत प्रतिस्पर्धा के लिए इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- छ. प्रतिवादी प्रकटन के अभाव के कारण पहलुओं पर टिप्पणी करने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं बल्कि कोई दमदार तर्क वे नहीं दे सकते हैं।

च .3. प्राधिकारी द्वारा जांच

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन गुजरात ग्रैनिटो मैनिफेक्चर्स एसो., इंडियन काउंसिल फॉर सिरेमिक टाइल्स और सेनिटरीवेयर, मोरबी सिरेमिक्स एसो. एंड साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सिरेमिक्स एसो. द्वारा घरेलू उत्पादकों की आर से दायर किया गया था। चूंकि घरेलू उत्पादक जो घरेलू उद्योग का हिस्सा बनेगा की पहचान नहीं की जा सकती थी, प्राधिकारी ने स्वतः दायर किये गये आवेदन के आधार पर जांच की शुरुआत की।
37. ओवदन का अगोपनीय पाठ जिसमें आधार, पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में आवेदकों के दावे निहित थे, सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर देने वाले उत्पादकों सहित सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को परिचालित किया। इसके अलावा, यह आवेदन पुनः 1 अप्रैल, 2021 को आवेदक समूहों द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। इस कारण से उत्तर देने वाले उत्पादकों के पास आधार, पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में अनुरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर था।

छ .सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ .1 .अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- क) जिन्यी की घरेलू कीमत और भारत को निर्यात कीमत में भी लाभ में बहुत अधिक वृद्धि के साथ क्षति की अवधि और जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि कंपनी उस स्थिति में भी जब देशव्यापी शुल्क समाप्त हो गया है, भारत को प्रचलित कीमतों की तुलना में किसी कमतर कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री करने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं था।
- ख) उच्च पाटन मार्जिन दर्शाने के लिए प्रयासों की कोई सार्थकता नहीं है और इस मामले की वास्तविकताओं को प्राधिकारी द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए अर्थात् टाइलों का आयात भारतीय उत्पादकों के विकास के साथ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है।

छ .2 .घरेलू उद्योग के विचार

39. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- क. चीन जन. गण. को चीन के आरोहण नवाचार के अंतर्नियम 15(क)(i) के अनुसार एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध 1, नियम 7 के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
- ख. यू एस ए को वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्रतिनिधिक देश के रूप में माना जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने संबद्ध वस्तुओं पर जांच में एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में यू एस ए को माना है।
- ग. सामान्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से, भारत से यू एस ए को निर्यात की कीमत पर प्रकाशित व्यापार आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क के संबंध में समायोजन एक्स फैक्ट्री कीमतों को तय करने के उद्देश्य से एफ ओ बी कीमतों से किया गया है।
- घ. यूरोपीय आयोग ने विश्लेषण किया है और यह पाया है कि यू एस ए चीन जन. गण. के लिए एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश है। इस संबंध में यूरोपीय आयोग ने यू एस ए में उत्पादन के स्तर, खपत के स्तर, प्रतिस्पर्धा के स्तर, आयात प्रतिबंधों की कमी, आयातों की बहुत अधिक मात्रा तथा चीन जन. गण. में उत्पादकों के साथ उत्पादन प्रक्रिया की समानता का विश्लेषण किया है।

- इ. सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश से संबद्ध देश को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि चीनी ताइपेई, यूरोपीय यूनियन के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये 'पी एक्स 13' जैसे विभिन्न मामलों में पूर्व में किया गया है। तदनुसार, भारत से यू एस ए को निर्यात की कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में माना जा सकता है।
- च. घरेलू उद्योग भारत से यू एस ए को उन कीमतों के आधार पर जिन पर भाग लेने वाले उत्पादक यू एस ए को निर्यात कर रहे हैं, निर्यातों की पी सी एन वार कीमत दे रहे हैं।
- छ. सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी स्थिति में भारत में प्रदत्त और भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर किया जा सकता है जब यह ऐसे देश से अन्य देशों को प्रतिनिधिक देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य पर आधारित सामान्य मूल्य अथवा ऐसे देश से अन्य देशों को निर्यातकों की कीमत का निर्धारण करने के लिए संभव नहीं है।
- ज. जांच की शुरुआत से नौ महीने से अधिक समाप्त होने जाने के बावजूद, निर्यातकों ने एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में उपयुक्तता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। इस कारण से उन्हें कोई अनुरोध करने से अब नहीं रोका जाना चाहिए।
- झ. गौण आंकड़े फोशन चांगचेंग द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात को दर्शाते हैं जबकि उत्पादक ने यह दावा किया है कि इसने फोशन वोरसिटर के माध्यम से केवल निर्यात किया है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे उसका मूल्यांकन करने के लिए डी जी पद्धति से आंकड़े मंगाये और उसकी जांच करें।
- ञ. फोशन चांगचेंग ने समायोजन के रूप में केवल समुद्री भाड़े और समुद्री बीमा को प्रकट किया है जबकि इस पर समुद्री भाड़ा, बैंक शुल्क, कमीशन और पोर्ट हैण्डलिंग शुल्क भी लगना चाहिए था।
- ट. जबकि जिन जिंग की लागत में 76 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और फोशन चांगचेंग की लागत में 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, फोशन वोरसिटर की बिक्री कीमत में केवल 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसका आशय यह है कि लागत में 36 प्रतिशत तक वृद्धि को उत्पादकों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है।
- ठ. इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मैसर्स सीनवे अथवा अन्य पक्षकार जो विगत जांचों में वितरण के चैनल का हिस्सा था, के माध्यम से आधे भारत को निर्यात किये जाने के लिए कोई बिक्री की गई है।
- ड. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि इस तथ्य पर विचार करे कि क्या फोशन वोरसिटर ने वर्तमान जांच में भी किसी अन्य उत्पादक द्वारा उत्पादन किये गये उत्पादों की खरीद की है और आपूर्ति की है।

ख.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है : "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एस सी एम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- i. यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- ii. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और

उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सव्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

41. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। एक्सेशन प्रोटोकालो के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में इस नियमावली के अनुबंध। के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी गई सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने इस बात की पुष्टि करते हुए सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध। के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

छ. 4. सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

43. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण यू एस ए में कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने यूरोपीय कमीशन के जांच परिणामों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी ने यूरोपीय कमीशन के जांच परिणामों की जांच की है और यह नोट किया है कि कमीशन ने यह पाया कि यू एस ए चीन जन. गण. के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है। इस संबंध में, यूरोपीय कमीशन ने उत्पादन के स्तर, खपत के स्तर, प्रतिस्पर्धा के स्तर, आयात प्रतिबंधों की कमी, यू एस ए में आयातों की बहुत अधिक मात्रा तथा चीन जन. गण. ने उत्पादकों के साथ उत्पादन की प्रक्रिया की समानता का विश्लेषण किया है।

"(60) उपलब्ध सूचना के आधार पर, कमीशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यू एस ए का इसके घरेलू बाजार पर बहुत अधिक उत्पादन और प्रतिस्पर्धा का एक संतोषजनक स्तर था। यू एस ए की घरेलू खपत लगभग 254 मिलियन एम2 था, कम से कम

28 घरेलू उत्पादक थे। इसके अलावा आयात चीन जन. गण. से मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाले खपत का 68 प्रतिशत (49 मिलियन एम2 की कुल आयात मात्रा से) दर्शाता है। 8.5 प्रतिशत – 10 प्रतिशत सीमा शुल्क के अलावा, कोई भी आयात प्रतिबंध लागू नहीं है। यू एस के उत्पादकों ने चीन के सेम्पल लिये गये निर्यातक उत्पादकों की तुलना में एक समान उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग किया। यू एस ए के सहयोगी उत्पादकों ने घरेलू बिक्री के रूप में क्रमशः 2.0 और 2.9 मिलियन एम2 की सूचना दी।”

प्राधिकारी यह नोट करते हैं यूरोपीय कमीशन ने इस तथ्य पर विचार करने के लिए कि क्या यू एस ए को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के वास्ते एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के रूप में माना जा सकता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि यू एस ए को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह पाते हैं कि सामान्य मूल्य निर्धारण यू एस ए में कीमतों अथवा संरचित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है।

44. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य मूल्य का भी निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यू एस ए में संरचित मूल्य के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का कोई समर्पित उत्पाद कोड नहीं है और अन्य उत्पादों का भी आयात उन्हीं कोडों के अंतर्गत किया जाता है। इस कारण से समग्र एच एस कोड के अंतर्गत यू एस ए से निर्यातों की कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण उपयुक्त नहीं होगा।
45. प्राधिकारी ने यह भी तलाश किया कि क्या सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयातों की कीमतों के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक भारत में यूरोपीय यूनियन से आयात होता है। हालांकि, डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में पी सी एन की पहचान नहीं की जा सकती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने एक निर्यात बाजार वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों के आधार पर निर्धारण नहीं किया है।
46. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया कि सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश यू एस ए में कीमतों के आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में, आवेदक घरेलू उत्पादकों में से कुछ ने यू एस ए को निर्यातों के लिए अपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। ऐसे निर्यातों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी पी सी एन वार आधार पर यू एस ए में कीमतों का निर्धारण करने में सक्षम रहे हैं।
47. प्राधिकारी ने यह भी विचार किया कि अनुबंध-1 के पैरा (7) के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य पर या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों के लिए निर्यात की कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिसमें भारत शामिल है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव नहीं है, केवल तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शेनयांग मत्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में भी निम्नानुसार देखा गया है।

"इस अधिसूचना द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अनुबंध 1 के अनुच्छेद 7 में अब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश द्वारा समान उत्पाद के लिए भारत को भुगतान की गई कीमत के संदर्भ में सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रावधान है। यदि ऐसा कोई तीसरा देश चुना जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातकों को चयन के बारे में सूचित करना होगा और उन्हें अपनी टिप्पणी देने के लिए एक उचित अवधि प्रदान करनी होगी। यह केवल तभी संभव है जब यह प्रक्रिया संभव न हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर कार्य कर सकता है। दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को वैकल्पिक प्रक्रिया में जाने से पहले पहली विधि को समाप्त कर लेना चाहिए।"

उच्चतम न्यायालय ने माना है कि प्राधिकारी वैकल्पिक प्रक्रियाओं में तभी आगे बढ़ सकता है, जब उसने पहली विधि को समाप्त कर दिया हो, अर्थात् तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य पर या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों के लिए निर्यात की कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिसमें भारत शामिल है। चूंकि वर्तमान मामले में, बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव है, भारत में भुगतान या देय मूल्य का कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

48. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चूंकि इस तरह के निर्यात एफओबी आधार पर किए गए थे, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के लिए यूएसए में कीमत निकालने के लिए यूएसए में समुद्री भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क को जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख.5. निर्यात मूल्य का निर्धारण

49. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं:

- फोशान चानचेंग जिन्यी सिरेमिक कंपनी लिमिटेड
- फोशान वॉर्सेटर ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- जिन जिंग जिशेन सिरेमिक कंपनी लिमिटेड

फोशान चानचेंग जिन्यी सिरेमिक कंपनी लिमिटेड, फोशान वॉर्सेटर ट्रेड कंपनी लिमिटेड और जिन जिंग जिशेन सिरेमिक कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

50. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर जिन जिंग जिशेन सिरेमिक कंपनी लिमिटेड, जो एक संबंधित टाइल बिस्किट निर्माता है, के साथ चीन जन.गण. के एक टाइल निर्माता, फोशान चानचेंग जिन्यी सिरेमिक कंपनी लिमिटेड, और फोशान वॉर्सेटर ट्रेड कंपनी लिमिटेड, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का संबंधित निर्यातक है द्वारा दायर किया गया है। उपरोक्त संबंधित कंपनियों द्वारा दायर ईक्यूआर से यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, समूह ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** एसक्यूआर एमटीआर का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने रिमोट क्रॉस चेक और अन्य सहायक दस्तावेजों के माध्यम से डेटा का सत्यापन किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, समुद्री बीमा के कारण समायोजन का दावा किया है और इसकी अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत का निर्धारण पीसीएन आधार पर किया गया है और तदनुसार, निर्धारित भारत औसत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उपलब्ध कराई गई है।

51. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादक फोशान चानचेंग ने भी भारत को सीधे निर्यात किया है, जिसका खुलासा उत्तर में नहीं किया गया है। दावे की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान फोशान चानचेंग द्वारा भारत को पीयूसी का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

52. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि फोशान चानचेंग मैसर्स शीनवे के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा था। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि करने वाले कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं।

चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए

53. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख.6. पाटन मार्जिन

54. वर्तमान जांच में प्रस्तावित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडी/एमट)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(%)	(रेंज)
चीन पीआर						
1	फोशान चानचेंग जिन्यी सिरेमिक कंपनी लिमिटेड और शिन जिंग जिशेंग	***	***	***	***	70-80

	सिरेमिक कंपनी लिमिटेड					
2	असहयोगी अवशिष्ट / निर्यातक	***	***	***	***	110-120

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पीसीएन-वार कीमत कटौती पर विचार किया जाना चाहिए, परंतु इसे प्रदान नहीं किया है।
- ख. नकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ है कि घरेलू उत्पादकों की कीमतों में परस्पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट आई है। निवल बिक्री प्राप्ति क्षतिरहित कीमत से कम है। इससे पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं।
- ग. मानदंड दर्शाते हैं कि भारतीय उत्पादक आयातों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। भारतीय उत्पादकों ने घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होने का दावा करते हुए निष्पादन मानकों को छिपाया है।
- घ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है और 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।
- ङ. शुल्क शून्य होने के बावजूद संबद्ध देश से निर्यात में गिरावट आई है।
- च. मूल जांच के दौरान, फोशान चानचेंग पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। वर्तमान अवधि के दौरान भी, फोशान चानचेंग के आयात हानिकारक नहीं थे।
- छ. फोशान चानचेंग द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि अनुबंध - II के खंड (vii) के तहत सूचीबद्ध कोई भी पैरामीटर मौजूद नहीं है। मानकों पर जांच फोशान चानचेंग के निर्यातक प्रश्नावली के जवाब के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए न कि देशव्यापी दावे के साथ।
- ज. जबकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उत्पादक एसएमई/एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं, उत्पादकों में कजारिया सेरामिक्स, सेरा सेनेटरीवेयर, सोमानी सेरामिक्स, एशियन ग्रैनिटो आदि जैसे बड़े उत्पादक भी शामिल हैं जो भारी लाभ कमा रहे हैं। यह इन उत्पादकों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है। बड़े व्यापारियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण एसएमई/एमएसएमई इकाइयां लाभ में गिरावट या घाटे में वृद्धि से पीड़ित हैं।
- झ. चीन पीआर की सरकार द्वारा प्रदूषण उपायों के कारण संबद्ध देश के संयंत्रों की संख्या को बंद कर दिया गया है, जो आगे संभावना की कमी को दर्शाता है।
- ञ. यह तर्क कि फोशान चानचेंग की भागीदारी स्वयं संभावना दर्शाती है, कानूनी ढांचे के विपरीत है और यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता केवल अपने दावों के आधार पर निर्णय चाहते हैं।
- ट. फोशान चानचेंग के माल सूची स्तर में मामूली गिरावट आई है।
- ठ. फोशान चानचेंग के भारत को निर्यात मूल्य और कंपनी के लाभ में वृद्धि के साथ घरेलू कीमत में काफी वृद्धि हुई। यह इंगित करता है कि कंपनी किसी भी तरह से भारत में प्रचलित कीमत से नीचे उत्पाद नहीं बेच रही है।
- ड. भारतीय उत्पादक परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण संबद्ध वस्तुओं को आयात की कीमत से कम कीमत पर बेच रहे हैं।
- ढ. फोशान चानचेंग द्वारा निर्यात से कोई कीमत प्रभाव नहीं है क्योंकि फोशान चानचेंग से आयात की कीमत घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति, लागत और शुद्ध आयात मूल्य से अधिक है, भले ही पीसीएन-वार आधार पर विचार किया गया हो।
- ण. क्षति अवधि के दौरान फोशान चानचेंग का क्षमता उपयोग 95-100% था, और इसलिए, भारत या किसी तीसरे देश को निर्यात के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है।
- त. याचिकाकर्ताओं के दावे के विपरीत, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने प्रचलित अधिसूचना के अनुसार आयात की अनुमति दी और नकद जमा या बांड एकत्र करने का कोई आदेश नहीं था। घरेलू स्तर पर कम कीमत वाली

सामग्री की उपलब्धता के कारण भारत में आयातकों के रूप में फोशान चानचेंग के निर्यात में गिरावट आई। अन्यथा, फोशान चानचेंग एससीए के समय पर निष्कर्ष के लिए न्यायालय तक पहुंचते।

- थ. क्षमता विस्तार और भारतीय उत्पादकों की बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं दर्शाती है।
- द. जिन्यी से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के एनएसआर, लागत और एनआईपी से काफी अधिक थी, जो जिन्यी द्वारा निर्यात से किसी भी कीमत प्रभाव को खारिज करती है।
- ध. इसका कारण यह है कि क्यों भारतीय उत्पादक आयातों के पहुंच मूल्य से काफी कम कीमत पर बिक्री कर रहे हैं और जब पाटनरोधी शुल्क लागू है तो उनका अपना एनआईपी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है।
- न. इस मामले में आयात में गिरावट आई है क्योंकि निर्यातक भारत में कम कीमतों से मेल नहीं खा सके। इस प्रकार, क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं, बल्कि नकारात्मक क्षति मार्जिन का कारण वह मुद्रा है जिसकी इस मामले में जांच की आवश्यकता है।
- प. क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष एक तय प्रथा है और माल भाड़े को एनआईपी या आयात की पहुंच कीमत के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ज2 .. घरेलू उद्योग के विचार

56. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्कों ने पाटित कीमतों पर आयातों को नियंत्रण में रखा है।
- ख. याचिकाकर्ताओं के निष्पादन मानकों के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। आर्थिक मापदंडों को उत्तरदाताओं के साथ 25 जून 2021 को साझा किया गया था।
- ग. चूंकि वर्तमान मामला केवल क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना पर आधारित है और याचिकाकर्ता उसी शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध कर रहे हैं, निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में वर्तमान जांच में क्षति मार्जिन के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- घ. जब तक माल ढुलाई लागत पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक निर्धारित क्षति मार्जिन उचित नहीं होगा, और उचित तुलना की अनुमति नहीं देगा क्योंकि टाइल्स का 80% से अधिक उत्पादन गुजरात में है जबकि खपत पूरे देश में फैली हुई है।
- ड. निर्णायक समीक्षा में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- च. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों जैसे अन्य देशों से आयात, मांग में संकुचन, व्यापार प्रतिबंध नीति, प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन, खपत के पैटर्न के कारण क्षति नहीं हुई है।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाने वाली विस्तृत जानकारी दी है।
- ज. जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन किया जा रहा है।
- झ. उत्पादकों द्वारा पाटन का एक लंबा इतिहास रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ञ. उत्पादक न केवल भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ब्राजील, यूरोपीय संघ, जीसीसी, कोरिया आरपी, मैक्सिको, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संबद्ध वस्तुओं के पाटन का सहारा लिया है। परिणामस्वरूप, अन्य न्यायालयों ने भी चीन पीआर से निर्यात पर शुल्क लगाया है।
- ट. संबद्ध देश से तीसरे देशों को निर्यात का 77 प्रतिशत पाटित कीमतों पर है।
- ठ. संबद्ध देश से आयातों में केवल लागू शुल्कों के कारण गिरावट आई है। यह मूल जांच के निष्कर्षों से भी स्पष्ट होता है, जिसमें प्राधिकारी ने नोट किया था कि आयात में गिरावट आई थी जब शुल्क 2013-14 तक लागू था, लेकिन शुल्क की समाप्ति के बाद बढ़ गया।

- ड. तथापि कुछ निर्यातकों के विरुद्ध शून्य शुल्क लगाया गया था, लेकिन शुल्क को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट कर्तव्यों पर आयात को मंजूरी दी जा सकती है।
- ढ. यह स्पष्ट है कि शुल्कों के कारण आयातों में गिरावट आई है क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और सऊदी अरब में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- ण. शुल्क लगाने से पहले भारत संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार था।
- त. आयात की कीमत में वृद्धि केवल पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण हुई है, क्योंकि अन्य देशों को निर्यात की कीमत में इतनी वृद्धि नहीं दिखाई गई है।
- थ. कीमतों में वृद्धि उत्पाद मिश्रण में बदलाव के परिणामस्वरूप हुई है।
- द. भारत में 244 उत्पादकों की तुलना में, चीन में लगभग 1500 उत्पादक हैं, जिनकी लगभग 3600 उत्पादन लाइनें हैं। चीन पीआर के पास वैश्विक क्षमता के 60% से अधिक की क्षमता है।
- ध. संबद्ध देश के उत्पादक निर्यात के लिए 67.65% क्षमताओं के साथ अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।
- न. संबद्ध देश में काफी कम उपयोग की गई क्षमताएं हैं। इसके बावजूद संबद्ध देश में उत्पादकों ने और क्षमताएं जोड़ना जारी रखा है।
- प. जबकि देश में महत्वपूर्ण मांग थी, ऐसी मांग स्थापित क्षमताओं के बराबर नहीं थी। इसके अलावा, अचल संपत्ति की मांग में वृद्धि में गिरावट आई है।
- फ. संबद्ध देश में उत्पादकों को निर्यात बाजारों की हानि का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात में 229.7 मिलियन वर्ग मीटर की गिरावट आई है, जो भारत में मांग के 48% के बराबर है।
- ब. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य में कई संयंत्रों को बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है।
- भ. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग ने पीसीएन-वार कटौती के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है, यह अनुरोध किया गया था कि आंकड़ों में दिए गए अपूर्ण विवरण के कारण डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों में पीसीएन का निर्धारण करना संभव नहीं है।
- म. आयात कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उत्पादक 2018-19 तक लाभदायक कीमतों पर बिक्री कर रहे थे। इसके बाद, जांच की अवधि में लाभ कम हो गया, जो कोविड -19 से प्रभावित था।
- य. इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट बड़े व्यापारियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण है, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाना आवश्यक है, न कि व्यक्तिगत घटक जैसा कि जापान से कुछ हॉट-रोल स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में अपीलीय निकाय द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अलावा, कई छोटे उत्पादकों ने लाभप्रदता में सुधार देखा है, जबकि कुछ बड़े उत्पादकों ने प्रदर्शन में गिरावट देखी है।
- कक. हितबद्ध पार्टियों के दावे के विपरीत, क्षतिरहित कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि पूर्व का निर्धारण केवल क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए किया जाता है जो कि चीन पीआर से विटामिन सी के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के निष्कर्षों से स्पष्ट है।
- खख. फोशान चानचेंग पर शुल्क न लगाने के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि पिछली जांच में क्षति मार्जिन का निर्धारण गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की थी कि मूल जांच में क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए भाड़ा शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, खपत या उपयोग में परिवर्तन को अक्षमताओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के कारण थे। जब एक बड़ी टाइल का उत्पादन किया जाता है, तो यह भी मोटा होता है, जिससे प्रति वर्ग मीटर मिमी में वृद्धि होती है। इसके अलावा, लंबी बेकिंग अवधि के कारण उपयोगिताओं की खपत में वृद्धि हुई है जबकि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

- गग. यदि क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जाती है, तो कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं।
- घघ. इस तर्क के संबंध में कि फोशान चानचेंग द्वारा कोई पाटन या क्षति नहीं हुई है, यह अनुरोध किया गया था कि उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इसके अलावा, निर्यातक के आंकड़ा से पता चलता है कि यह लागत में वृद्धि को अवशोषित कर रहा है, माल सूची में वृद्धि का सामना कर रहा है, और अन्य बाजारों की कमी का सामना कर रहा है। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं को पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना का मूल्यांकन संबद्ध देश के उत्पादकों के लिए समग्र रूप से किया जाना है न कि अलग-अलग उत्पादकों के लिए।-
- ङङ. फोशान चानचेंग द्वारा निर्यात से कीमत प्रभाव के संबंध में, घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्लेषण के लिए औसत कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है और उत्तरदाताओं ने काफी अधिक कीमत पर नमूने के रूप में माल का निर्यात किया है। इसके अलावा, उन्होंने 1,000 वर्ग मीटर से कम के गैर-व्यावसायिक संस्करणों में, 48 मिमी x 48 मिमी के छोटे आकार के टाइलों को काफी अधिक कीमतों पर निर्यात किया है।
- चच. इस तर्क के संबंध में कि फोशान चानचेंग की माल सूची में गिरावट आई है, यह बताया गया कि उत्पादन में 1% की गिरावट आई, जबकि कुल बिक्री में 4% की गिरावट आई। ऐसे में माल सूची को बढ़ना चाहिए था, गिरावट नहीं दिखानी चाहिए थी।
- छछ. निर्यातकों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया कि निर्यातकों की भागीदारी यह दर्शाती है कि पाटन जारी रहने या फिर से होने की संभावना है। बल्कि, निर्यातकों ने दावा किया कि अन्य उत्पादकों द्वारा भागीदारी की कमी यह दर्शाती है कि उत्पादकों की बाजार में कोई रुचि नहीं है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

57. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध वस्तुओं के अनेक बड़े उत्पादक हैं और यह कि जबकि बड़े उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ है, अपेक्षाकृत छोटे उत्पादों को क्षति हो रही है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह किसी एक का मामला नहीं है कि इस उत्पाद के सभी उत्पादक एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित हैं। आवेदकों ने केवल यह दावा किया है कि दक प्रतिशत उत्पा 90 का विरोध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित हैं। इस तथ्य अंतर्गत आने वाले बड़े और छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग कि समग्रता के लिए और न कि घरेलू उद्योग के किसी एक भाग, क्षेत्र अथवा खंड के लिए क्षति का विश्लेषण करना अपेक्षित है। इस कारण से घरेलू उद्योग के भीतर अलग अलग उत्पादकों के कार्य निष्पादन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग की समग्रता पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने इस संबंध में नीचे दिये गये अपनी टिप्पणियों को रिकार्ड किया है कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3.1 मांग खपटस्प/त का आंकलन

58. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	मिलियन एसक्यूएम	84	112	148	238	159
अन्य उत्पादक	मिलियन एसक्यूएम	265	277	296	476	317
संबद्ध आयात	मिलियन एसक्यूएम	7	3	2	2	1
अन्य आयात	मिलियन	1	1	1	2	1

	एसक्यूएम					
मांग	मिलियन एसक्यूएम	357	394	446	717	478

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ज .3.2 .पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

60. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये लेन देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरान पाटित आयात का हिस्सा नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध आयात	मिलियन एसक्यूएम	6.68	3.15	1.53	1.70	1.14
अन्य आयात	मिलियन एसक्यूएम	1.40	1.42	1.07	1.61	1.07
कुल	मिलियन एसक्यूएम	8.08	4.58	2.60	3.31	2.21
निम्नलिखित के संबंध में आयात						
घरेलू उत्पादक	%	1.74	0.64	0.26	0.16	0.16
खपत	%	1.87	0.80	0.34	0.24	0.24
कुल आयात	%	83	69	59	51	51

61. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा पूर्ण रूप में तथा भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में बहुत कम है।

ज .3.3 .पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

62. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संबंध में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद में कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्यथा बहुत अधिक हद तक कीमत पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुकने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।

क) कीमत में कटौती

63. कीमत में कटौती का आकलन संबद्ध वस्तुओं के भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना कर की गई है। इस संबंध में, उत्पाद का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और कर का निवल शामिल है के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था। निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने पी सी एन वार कीमत में कटौती की गणना की है। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पी सी एन वार आंकड़ा डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों में पहचान किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए वर्तमान मामले में सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों का संदर्भ लिया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एसक्यूएम	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ एसक्यूएम	***
कीमत में कटौती	रु./ एसक्यूएम	***
कीमत में कटौती	%	***
कीमत में कटौती	रेंज	नकारात्मक

64. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के क्षति आयातों को कवर करते हुए सकल डी जी सी आई एस आंकड़ों के आधार पर, कीमत में कटौती भी नकारात्मक है।
65. यह भी देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अलग अलग कीमतों पर किया गया है और अलग अलग लेन देन में आयात की मात्रा में भी बहुत अधिक हद तक अंतर है। जबकि कीमते शामिल अलग अलग पी सी एन के कारण अलग अलग हो सकती है, एक पी सी एन के मामले में भी, कीमत का अंतर बहुत अधिक है। एसोसिएशन ने यह अनुरोध किया है कि जब औसत कीमत में कटौती नकारात्मक भी हो तब संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक लेन देन हुआ है जहां कीमत में कटौती सकारात्मक है। संघ ने यह अनुरोध किया है कि लेन देन स्तर की कीमत में कटौती का समर्थन प्रत्यक्ष रूप से ब्राजील से मेलियेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग पर यूरोपीय समुदाय के मापाटनरोधी शुल्क -मले में [डब्ल्यू टीडी / 219एस/ आर] डब्ल्यू टी ओ के निर्णय द्वारा किया गया है।

ख) कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

66. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./ एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	89	84
बिक्री कीमत	रु./ एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	88	80
पहुंच कीमत	रु./ एसक्यूएम	468	500	566	594
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	121	127

67. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में भी गिरावट आई है। इसके अलावा, पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कमतर है। हालांकि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक है और यह गिरावट पहुंच कीमत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कोविड-19 के प्रभाव और उत्पाद मिश्रण के कारण भी हो सकती है। इस प्रकार से, जबकि घरेलू उद्योग को पहले ही कीमत न्यूनीकरण के कारण हानि हो रही है, वह पाटित आयातों के कारण नहीं हुई थी।

ज .3.4 .घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्रीविक और निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्त, दकताउत्पा, बाजार हिस्से, दनउत्पा, लाभ, संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों की मात्रा पर प्रभाव डालते हों पाटन मार्जि, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकासक्ष परक और निष्पक प्रभाव का वस्तुविक और संभावित नकारात्मपूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्त, क्षति मानदंकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्नमूल्यांडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

69. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग निम्नानुसार था :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (कीकृतवार्षि)
क्षमता	मिलियन एसक्यूएम	231	309	357	545	364
उत्पादन	मिलियन एसक्यूएम	97	132	169	279	186
क्षमता का उपयोग	%	42	43	47	51	51
घरेलू बिक्री	मिलियन एसक्यूएम	86	113	149	247	165
निर्यात बिक्री	मिलियन एसक्यूएम	8	13	18	34	23

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता का उपयोग, उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख) बाजार हिस्सा

71. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयात नीचे तालिका में दर्शाये गये अनुसार था :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	%	1.87	0.80	0.34	0.24
अन्य आयात	%	0.39	0.36	0.24	0.22
घरेलू उद्योग	%	23.42	28.36	33.05	33.18
अन्य उत्पादक	%	74.32	70.48	66.37	66.36
कुल	%	100%	100%	100%	100%

72. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और भारतीय बाजार के पास भारत में अधिकांश बाजार है।

ग) माल सूची

73. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आरंभिक माल सूची	मिलियन एसक्यूएम	6.84	10.00	16.15	17.38
अंतिम माल सूची	मिलियन एसक्यूएम	10.00	16.15	17.38	15.60
औसत माल सूची	मिलियन एसक्यूएम	8.42	13.08	16.80	16.54

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत माल सूची में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ

75. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री की लागत	रुएमएसक्यू /.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	89	84	84
बिक्री कीमत	रुएमएसक्यू /.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	88	80	80
लाभ/ (हानि)	रुएमएसक्यू /.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	70	37	37
लाभ/ (हानि)	रु. करोड़ .	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	123	71	71
नकद लाभ	रु. करोड़	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	143	106	106
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	99	70	70

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत दोनों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, बिक्री कीमत में बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह माना है कि जांच की अवधि के दौरान यह गिरावट कोविड-19 के कारण हुई है।

ङ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

77. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जिसे नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
कर्मचारियों की सं.	सं.	7,129	8,803	9,294	9,513	9,513

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	130	133	133
उत्पादकता प्रतिदिन	मिलियन एसक्यूएम/दिन	0.27	0.37	0.47	0.52	0.52
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	173	191	191
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मिलियन एसक्यूएम / सं.	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	133	143	143
मजदूरी	रुलाख .	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	148	156	156
मजदूरी प्रति इकाई	रु / एमएसक्यू	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	83	83	83

78. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की कर्मचारियों की संख्या और प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च) पाटन का परिमाण

79. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

छ) वृद्धि

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षमता	%	-	33.92	15.71	52.64
उत्पादन	%	-	36.04	27.33	65.22
घरेलू बिक्री	%	-	32.10	31.82	65.56
लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	%	-	(22.32)	(9.41)	(47.24)
नकद लाभ	%	-	17.37	21.93	11.15
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	-	(6.22)	5.67	(29.64)

80. यह नोट किया जाता है कि क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री ने क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई। नकद लाभ ने 2018-19 में वृद्धि दर्शाई है परंतु इसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। लगाई गई पूंजी पर लाभ 2017-18 में नकारात्मक है लेकिन 2018-19 में उसमें वृद्धि हुई। हालांकि, लगाई गई पूंजी पर लाभ में जांच की अवधि में पुनः गिरावट आई।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास नये निवेश जुटाने की क्षमता है।

झ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. घरेलू उत्पादकों के पास 34 प्रतिशत बाजार हिस्सा है और भारतीय उद्योग के पास भारत में लगभग सभी मांग है। आयातों की मामूली मात्रा ने वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

83. उद्योग की खंडित प्रकृति और शामिल उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों की सेपलिंग करने के लिए इसे उपयुक्त पाया। इस कारण से जबकि सभी उत्पादकों जो घरेलू उद्योग थे से संबंधित सूचना पर विचार क्षति विश्लेषण के लिए किया गया था, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण एक नमूने के आंकड़े पर आधारित किया गया है। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने का निर्धारण किया और दिनांक 28 सितंबर, 2021 के ई-मेल द्वारा, प्राधिकारी ने आवेदकों को यह संसूचित किया कि निम्नलिखित सेम्पल लिये गये उत्पादकों से यह अपेक्षित था कि वे लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर करें।

- क. कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड
- ख. कजरिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. सोमानी सिरेमिक्स लिमिटेड
- घ. सोमानी फाइन विट्रिफाइड लिमिटेड
- ङ. सिम्पोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
- च. नेक्सियन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- छ. फ्यूजन ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ज. सेटोसा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड
- झ. एराकॉन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. नेसा विट्रिफाइड एलएलपी
- ट. सेंटो विट्रिफाइड एलएलपी
- ठ. केरा विट्रिफाइड एलएलपी
- ड. कलर ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. कोरल ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ण. जेट ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड

84. तदनुसार, प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर सेम्पल लिये गये घरेलू उत्पादकों जिसका ऊपर में उल्लेख किया गया है के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित आंकड़े/ सत्यापित सूचना को अपनाकर किया गया है। एन आई पी पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के वास्ते की गई है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिता और उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर आवर्ती खर्च को उत्पादन की लागत में जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध III में यथानिर्धारित और अनुसरण की जा रही एन आई पी तय करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।
85. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े के आधार पर किया गया है। संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
86. पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत जिसका निर्धारण ऊपर में किया गया है के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(रु./ मी.ट.)	(रु./ मी.ट.)	(रु./ मी.ट.)	(%)	(% रेंज में)
1	फोशन चांगचेंज जिन्पी सिरेमिक्स कं. लिमि. और शिन जिंग जिशेंग सिरेमिक कं. लिमि.	***	***	***	नकारात्मक	नकारात्मक
2	असहयोगी शेष / निर्यातक	***	***	***	नकारात्मक	नकारात्मक

अ. 1.1 .क्षति का विश्लेषण

87. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि :

- आयातों की मात्रा पूर्ण रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में मामूली है।
- सभी आयातों के लिए भारित औसत कीमत कटौती नकारात्मक है।
- आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव नहीं है अथवा उसे कम नहीं किया है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता में वृद्धि हुई।
- आयातों का बाजार हिस्सा मामूली है और भारतीय उद्योग के पास भारतीय बाजार में लगभग सभी मांग है।
- घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ में अन्य कारकों के साथ साथ कोविड-19 के कारण गिरावट आई है।
- जबकि घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों में वृद्धि दर्शायी है, लाभप्रदता के मापदंड ने नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।
- आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के पूंजी निवेश को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित नहीं किया है।
- घरेलू उद्योग की कीमतें क्षति की अवधि के दौरान आयातों से प्रभावित नहीं हुई हैं।
- पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

88. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद क्षति जारी रहने पर जांच परिणाम समाप्त करेंगे।

अ. 1.2. गैर आरोपण विश्लेषण

89. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे की जांच करें, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन और उत्पादकता शामिल है। इस बात की नीचे जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में कोई अंशदान हो सकता था।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

90. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों को छोड़कर प्रमुख आयात यूरोपीय यूनियन से हुए। हालांकि, ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की कीमतों से बहुत अधिक है। इसके अलावा, यूरोपीय यूनियन से आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से उच्चतर है। संबद्ध देश और यूरोपीय यूनियन को छोड़कर, अन्य देशों से आयात बहुत कम मात्रा में हुआ है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख) मांग में संकुचन

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान निरंतर रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

92. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के खपत पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां

93. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में स्वतंत्र रूप से आयात किये जाने योग्य हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में की घरेलू उद्योग को क्षति परस्पर घरेलू प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्षति की पूरी अवधि के दौरान थी जब घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी। घरेलू उद्योग ने केवल जांच की अवधि के दौरान गिरावट देखी, जिसे इसने कोविड-19 के कारण माना है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण संभवतः घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होने वाली है।

ङ) प्रौद्योगिकी का विकास

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच में यह नहीं दर्शाया है कि प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

च) उत्पादकता

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से घरेलू उद्योग को इस आधार पर कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति से संबंधित सूचना जिसकी ऊपर में जांच की गई है इससे घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ज) अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

97. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इस कारण से, उत्पादन किये गये और बेचे गये अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति के लिए एक संभावित कारण नहीं है।

ब. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना**ब.1.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध**

98. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में किया गया अनुरोध निम्नांनुसार है :

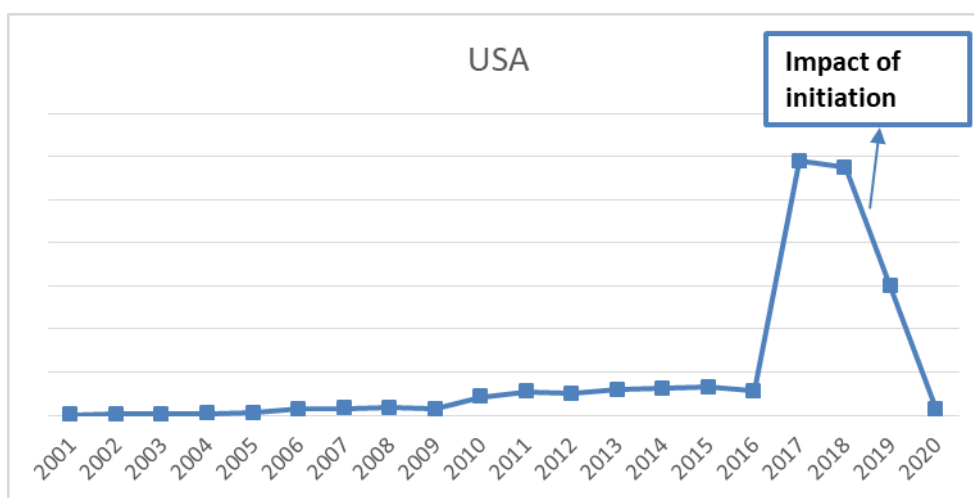
- क. जिन्यी ने वर्तमान जांच की अवधि में भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली कीमत पर निर्यात नहीं किया और कंपनी इस बात से विश्वस्त है कि यदि इन शुल्कों को चीन जन. गण. के विरुद्ध आवश्यक पाया भी जाता है तब जिन्यी द्वारा निर्यात के मामले में यह मात्रा शून्य के रूप में जारी रहेगी।
- ख. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के उपबंध (vii) के अंतर्गत यथाउल्लिखित मापदंडों के संदर्भ में जिन्यी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच।
- ग. नियमावली यह दर्शायेगी कि कोई भी मापदंड शुल्कों को समाप्त किये जाने पर जिन्यी द्वारा निर्यातों के मामले में पाटन और क्षति की किसी संभावना को नहीं दर्शाता है। मापदंडों के कंपनी विशिष्ट जांच जिन्यी की ई क्यू आर के आधार पर अवश्य की जानी चाहिए और देशव्यापी दावे के लिए इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- घ. जब शुल्क शून्य था तब भी जिन्यी द्वारा निर्यात में आधार वर्ष में 100 बेसिस सूचीबद्ध अंकों से जांच की अवधि में 23 सूचीबद्ध अंकों तक बहुत अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि निर्यातों में किसी संभावना को नहीं दर्शाते हुए गिरावट आई। यह गिरावट स्पष्ट रूप से बहुत अधिक क्षमता विस्तार का हिस्सा है और भारतीय उत्पादकों द्वारा बाजार हिस्से को प्राप्त करने को दर्शाता है और यह प्रवृत्ति शुल्कों को समाप्त होने देने की स्थिति में भी उलटने नहीं जा रही है।

- ड. जिन्यी की क्षमता और क्षमता उपयोग के आंकड़े स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता के संदर्भ में किसी संभावना को नहीं दर्शाता है।
- च. यदि कंपनी के पास मामूली माल सूची के स्तर में भी जांच की अवधि तक 100 से 99 सूचीबद्ध अंकों तक गिरावट हुई। इस प्रकार, इस मापदंड से भी कोई संभावना नहीं है।
- छ. यदि भाग लेना संभावना का निर्धारण करने के लिए बेंचमार्क है तब वर्तमान मामले में कोई संभावना नहीं है क्योंकि केवल एक निर्यातक समूह वर्तमान मामले में भाग ले रहे हैं जबकि मूल मामले में 50 से अधिक समूहों ने कई निर्यातकों आदि के साथ भाग लिया।
- ज. जबकि भारत में टाइल उद्योग विकास के चरण में है, चीन जन. गण. अनेक संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण बंद कर दिया गया है और चीन जन. गण. भारतीय टाइल उद्योग के लिए कोई खतरा नहीं है और इस स्थिति का खंडन करने के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- झ. चीन जन. गण. में समग्र क्षमता की स्थिति अथवा अन्य देशों आदि में चीन के निर्यातों पर उपायों का जिन्यी पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि कंपनी ऐसे किसी अन्य देशों को निर्यात नहीं कर रहा था और न ही इसके पास कोई अतिरिक्त क्षमता है। इसकी क्षमता मुख्य रूप से चीन के बाजार में ही उपयोग कर ली जाती है और भारत को निर्यातों में कमी के बाद भी, इसका क्षमता उपयोग माल सूची में कमी के साथ बहुत अधिक अर्थात् लगभग 95-100 प्रतिशत रहा था। जिन्यी शुल्कों के समाप्त होने पर भी जो वर्तमान में किसी भी स्थिति में शून्य है अपने निर्यातों में पाटन और क्षति की संभावना का कोई संकेत नहीं दर्शाता है।
- ञ. आपस में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उनके लिए चिंता बनी हुई है और कोई भी पाटनरोधी शुल्क ऐसे परिदृश्य में आवश्यक नहीं है क्योंकि खतरा अब अत्यधिक भारतीय क्षमता के कारण उत्पन्न अस्वस्थ परस्पर प्रतिस्पर्धा से और न कि चीन जन. गण. से आयातों से है।

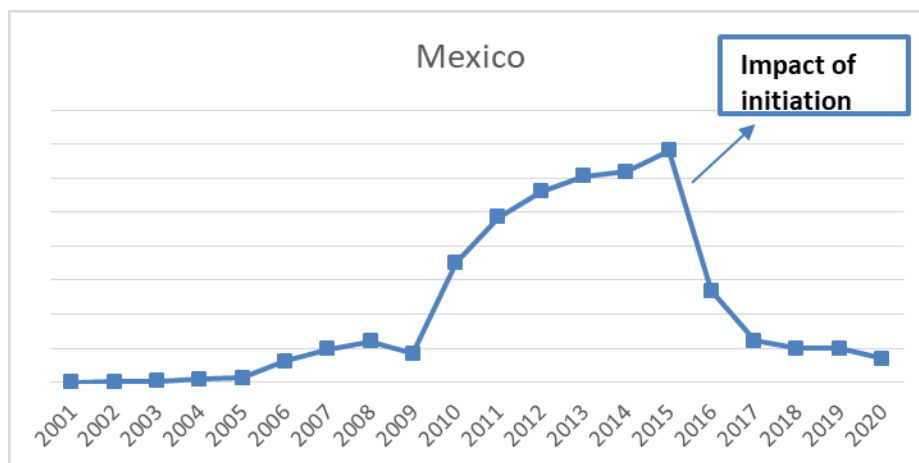
ब.1.2 घरेलू उद्योग का अनुरोध

99. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं :
- क. शुल्कों के लागू रहने के बावजूद लगातार पाटन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि पाटन का जारी रहना तभी संभव है जब शुल्कों को समाप्त कर दिया जाये।
- ख. संबद्ध देश में उत्पादकों की अनुचित कीमत निर्धारण व्यवहार को अपनाने की प्रवृत्ति है।
- ग. अनुचित कीमत निर्धारण कार्यपद्धतियां इस तथ्य से स्पष्ट है कि उत्पादक न केवल भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों में भी संबद्ध वस्तुओं के पाटन को भी अपनाया है।
- घ. शुल्क के नहीं रहने पर, संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन होना संभव है।
- ड. आयातों में केवल शुल्कों के लागू रहने के कारण गिरावट आई है।
- च. दिनांक 13 जुलाई, 2017 के आदेश के द्वारा, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि आयातों की अनुमति न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन अधिसूचना में निर्धारित शुल्कों पर किया जा सकता है, अर्थात् यदि न्यायालय यह पाता है कि शुल्कों में वृद्धि करने की आवश्यकता है तब अतिरिक्त शुल्कों की वसूली आयातकों से की जायेगी। चूंकि उसके कारण लागू शुल्कों के संबंध में, कम हुए आयातों के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई क्योंकि आशंका यह थी कि बाद के चरण में अपेक्षाकृत अधिक शुल्क वसूला जा सकता है।
- छ. आयातों की गिरावट केवल लागू शुल्कों के कारण हुआ, यह तथ्य है कि अन्य अधिकार क्षेत्रों को निर्यातों में भी गिरावट आई, जब पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी अथवा चीन जन. गण. के विरुद्ध शुल्क लगाया गया था।
- ज. संबद्ध देश से निर्यात में गिरावट केवल वर्तमान शुल्क के कारण हुआ है जो लागू है। हालांकि, शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारत संभवतः संबद्ध देश से निर्यातों के लिए पुनः प्रमुख बाजार बनने वाला है।
- झ. भारत को निर्यातों की कीमत में वृद्धि निर्यातकों की कीमतों में वास्तविक वृद्धि को नहीं दर्शाता है। बल्कि यह लागू शुल्कों के कारण केवल उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को दर्शाता है।
- ञ. संबद्ध देश के पास भारत की तुलना में बहुत अधिक घरेलू उत्पादन है।
- ट. संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा धारित अत्यधिक अतिरिक्त क्षमता निर्यात के लिये है। इस प्रकार, संबद्ध देश से उत्पादक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं।

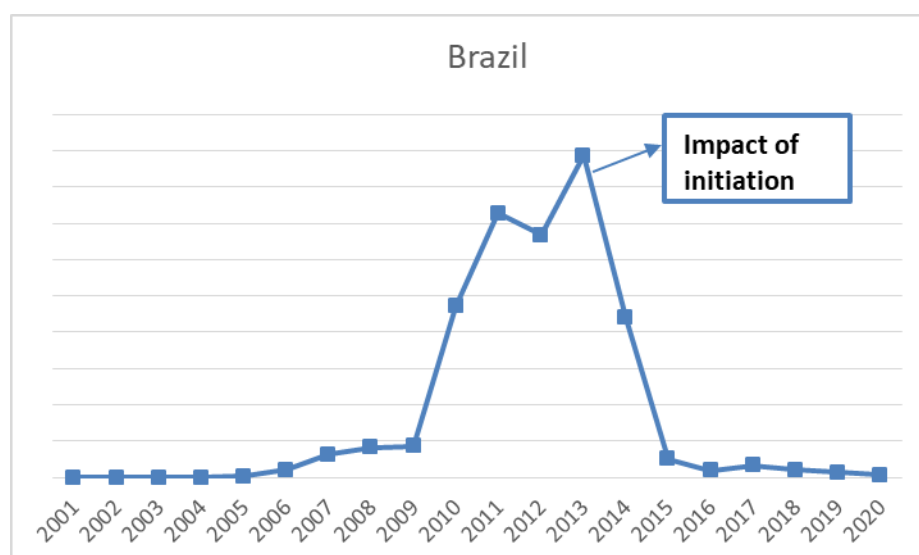
- ठ. यदि चीन जन. गण. में उत्पादक अपनी क्षमता उपयोग में 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर भी देते हैं तब भारतीय उत्पादक संभवतः भारतीय बाजार से समाप्त हो जाने वाले हैं।
- ड. नये संयंत्रों की स्थापना बड़े आकार के टाइलों का उत्पादन करने के लिये किया जा रहा है।
- ढ. जबकि देश में बहुत अधिक मांग थी, इस प्रकार की मांग स्थापित क्षमताओं के बराबर नहीं थी। इसके अलावा, इस देश में घरेलू मांग ने हाल की अवधि में गिरावट देखी है।
- ण. शुल्कों के नहीं रहने के कारण घरेलू उत्पादकों को संभवतः बाजार की हानि का सामना करना पड़ेगा।
- त. घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए समग्र रूप में और न कि अलग अलग उत्पादक और निर्यातक के लिए किया जाना है।
- थ. प्रतिवादियों के उत्पादन में इस अवधि के दौरान 1 प्रतिशत तक गिरावट आई, जबकि कुल बिक्री में 4 प्रतिशत तक गिरावट आई। ऐसी स्थिति में प्रतिवादियों की माल सूची में वृद्धि होनी चाहिए थी और गिरावट को नहीं दर्शाया जाना चाहिए था।
- द. याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने केवल इस बात का उल्लेख किया था कि जबकि प्रतिवादी यह सुझाव दे रहे हैं कि उत्पादकों द्वारा भाग नहीं लेना भारतीय बाजार में रुचि की कमी का द्योतक है, प्रतिवादी इस जांच में भाग ले रहे हैं जो यह दर्शाता है कि वे अभी भी भारतीय बाजार में इच्छुक थे।
- ध. प्रतिवादियों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि चीन जन. गण. में संयंत्रों को बंद किया जा रहा है। विस्तृत अनुसंधान के बाद भी, याचिकाकर्ता यह दर्शाने के लिए किसी साक्ष्य के नहीं होने के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये हैं कि इस संबद्ध देश में संयंत्रों को व्यापक स्तर पर बंद कर दिया गया है।
- न. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में रियल इस्टेट के क्षेत्र में वृद्धि दर में गिरावट आई है। इसके अलावा, रियल इस्टेट बाजार में कोविड-19 महामारी के कारण गिरावट देखी गई है।
- प. शुल्क के जारी रहने के दौरान आयातों में गिरावट केवल भारत में ही नहीं हुआ है। अन्य अधिकार क्षेत्रों में से कुछ को चीन जन. गण. से निर्यात की भी वही प्रवृत्ति रही है। सभी अधिकार क्षेत्रों में, जब पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, आयातों में गिरावट आई है जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है :



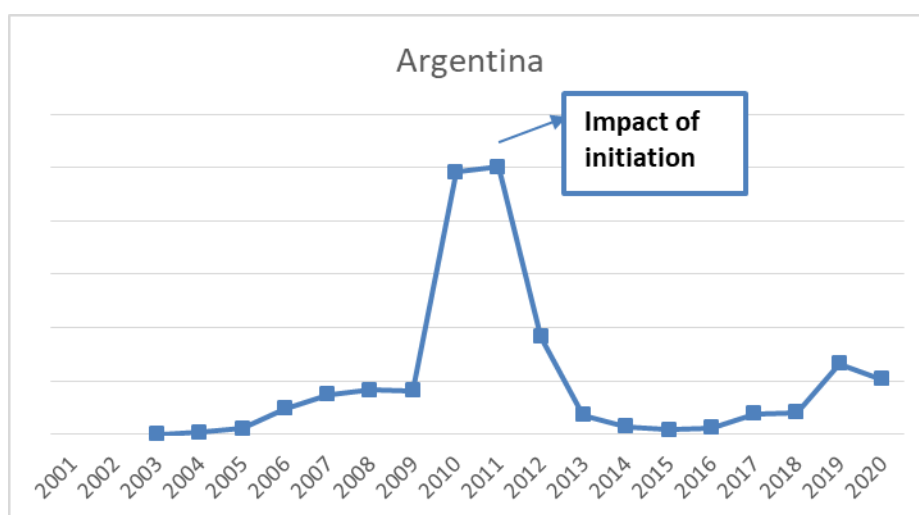
यू एस ए
जांच की शुरुआत का प्रभाव



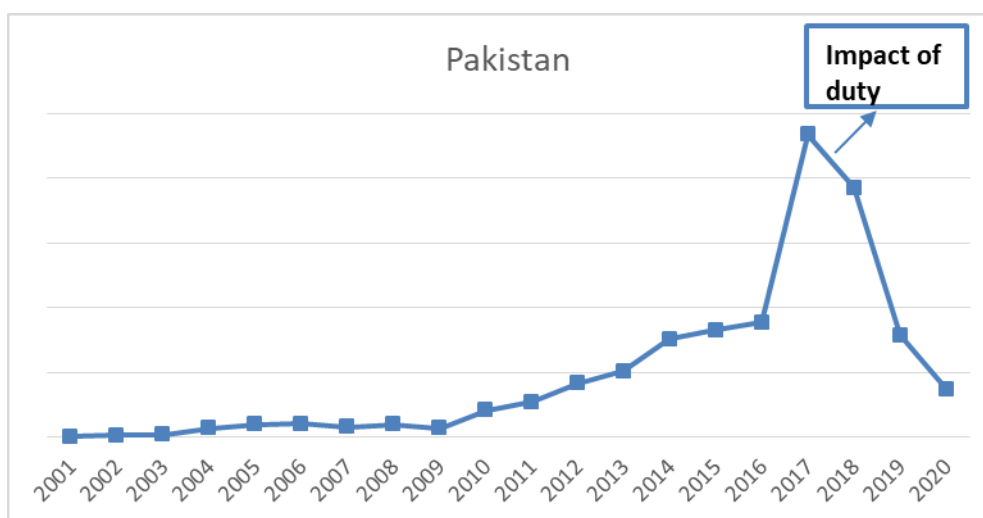
मैक्सिको
जांच की शुरुआत का प्रभाव



ब्राजील
जांच की शुरुआत का प्रभाव

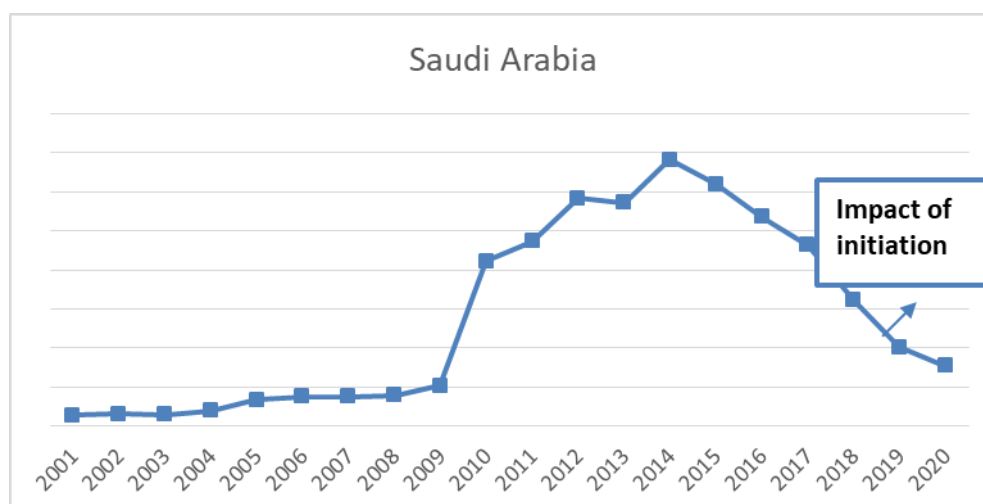


अर्जेंटीना
जांच की शुरुआत का प्रभाव



पाकिस्तान

शुल्क का प्रभाव



साउदी अरब

जांच की शुरुआत का प्रभाव

- फ. शुल्क लगाये जाने के कारण केवल उच्च कीमत के विशेष उत्पादों का आयात भारत में किया जा रहा है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत को निर्यातों की कीमत में 56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, अन्य आयातों की कीमत में केवल 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि शुल्कों के अभाव में, भारत को निर्यातों की कीमत में संभवतः गिरावट आने वाली है।

कीमत रु एम में/एसक्यू/.

विवरण	2015-16	जांच की अवधि	चेंज
भारत को निर्यात	345	788	56%
वैश्विक निर्यात	501	560	11%

ब.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसका उद्देश्य, वर्तमान में कोई क्षति न भी हो, तो पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने के परिदृश्य एवं इसके परिणामस्वरूप हुई क्षति की जांच करना है। इसमें इस बात पर विचार किया जाना भी अपेक्षित है कि क्या लगाए गए शुल्क से क्षतिकारी पाटन समाप्त किए जाने का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है।
101. प्राधिकारी के ध्यान में लाये गए समस्त कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति जारी रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की सूचना पर विचार किया है।
102. संभावना के ऐसे विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट विधियां उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उक्त नियमावली के अनुबंध-2 के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है, जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, अर्थात:-
- भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर, जो अत्यधिक वर्धित आयातों की संभावना का द्योतक है;
 - निर्यातक की क्षमता में अत्यधिक मुक्त रूप से अतिरिक्त वृद्धि अथवा आसन्न वृद्धि, जो अतिरिक्त निर्यातों को आमेलित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में अत्यधिक पाटित निर्यातों का द्योतक है;
 - क्या आयातों का प्रवेश उन कीमतों पर हो रहा है, जिनका घरेलू कीमतों पर मंदी अथवा दबाव का प्रभाव होगा तथा और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
 - जांचाधीन वस्तु की मालसूचियाँ।
103. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति की संभावना तथा इसके परिणामतः घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से संबंधित अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है। संभावना के मानदंडों की जांच निम्नानुसार है।

क. सम्बद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन

104. शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन. गण. से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है। चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों के लिए भी पाटन मार्जिन सकारात्मक है, जबकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है। इस प्रकार, शुल्क के अभाव में सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का तर्क उनके अनुरोधों में दिया गया है कि चीन से कई देशों को निर्यात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है, और इसके परिणामस्वरूप इन देशों द्वारा व्यापार उपचार और इन देशों को चीनी निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बाद तेजी से गिर गया, इस प्रकार चीनी उत्पादक के व्यवहार को दर्शाता है, यह भी निर्विवाद रहा है।

ख. सम्बद्ध वस्तुओं के पाटन का इतिहास

105. सम्बद्ध देश के उत्पादकों का देश में सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन करने का इतिहास रहा है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2003, 2008 और 2017 में भी उन्हें पाटन करते हुए पाया गया था। इस प्रकार, यदि वर्तमान शुल्क समाप्त कर दिये जाते हैं, तो सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने की संभावना है।

ग. तीसरे देश से पाटन

106. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए सम्बद्ध देश से किए गए आयातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है कि सम्बद्ध देशों के उत्पादक सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन तीसरे देशों में भी कर रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:-

विवरण	इकाई	चीन जन .गण .
चीन से कुल निर्यात	मिलियन एसक्यूएम	685.92
पाटित कीमतों पर निर्यात	मिलियन एसक्यूएम	592.32

पाटित कीमतों पर निर्यात – पाटन	अम डॉलर . एसक्यूएम	5.31
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	86%

स्रोत ट्रेड डाटा :

घ. तीसरे देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना

107. अर्जेन्टीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, जीसीसी, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, पाकिस्तान और यूएसए सहित विभिन्न तीसरे देशों ने चीन जन. गण. से अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है (नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किया गया है), जो सम्बद्ध देशों के उत्पादकों की पाटन की प्रवृत्ति का द्योतक है।

देश	लागू किए जाने का वर्ष	शुल्क का स्वरूप	शुल्क की मात्रा
अर्जेन्टीना	2018	यथामूल्य	27.7%
ब्राज़ील	2014; वर्ष में की गई 2019 समीक्षा के अनुसरण में जारी रखा गया है	निश्चित मात्रा	3.34 to 6.42 अमडॉलर . प्रति वर्ग मीटर
यूरोपीय यूनियन	2017	यथामूल्य	13.9% to 69.7%
जीसीसी	2020	यथामूल्य	23.05%
कोरिया गणराज्य	2005; वर्ष 2011, 2015 गई में की 2018 और समीक्षा के अनुसरण में जारी रखा गया है	यथामूल्य	9.07% to 29.41%
मेक्सिको	2016	निश्चित मात्रा	2.9 to 12.42 अमडॉलर . प्रति वर्ग मीटर
पाकिस्तान	2017	यथामूल्य	9.35% to 36.35%
यूएसए	2020	यथामूल्य	229.04% to 356.02%

ङ. सम्बद्ध देश में अत्यधिक अधिशेष क्षमता

108. 60 चीन के उत्पादक वैश्विक उत्पादन की% क्षमता धारित करते हैं, जो उनकी अनुमानित घरेलू मांग से तीन गुना अधिक है।

विवरण	इकाई	चीन जन .गण .
क्षमता	मिलियन वर्ग मीटर	17,000
उत्पादन	मिलियन वर्ग मीटर	11,100
चीन जन में मांग .गण .	मिलियन वर्ग मीटर	5,500
निर्यात योग्य क्षमता	मिलियन वर्ग मीटर	11,500
कुल क्षमता की तुलना में निर्यात योग्य क्षमता का हिस्सा	%	67.65%
उत्पादन	मिलियन वर्ग मीटर	11,100
क्षमता उपयोग	%	65%

अप्रयुक्त क्षमता	मिलियन वर्ग मीटर	5,900
भारत में मांग	मिलियन वर्ग मीटर	478
भारत में मांग की तुलना में निर्यात योग्य क्षमता	गुना	24.06
भारत में मांग की तुलना में अप्रयुक्त क्षमता	गुना	12.34

(*आंकड़े ईसी के जांच निष्कर्ष के अनुसार हैं)

यह मानते हुए कि चीन के उत्पादकों के पास बेकार पड़ी क्षमता भारत में मांग की तुलना में 10 गुना अधिक है, शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

109. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सम्बद्ध देश में प्रदूषण उपायों के कारण संयंत्र बंद कर दिये गए हैं। तथापि, इसे प्रदर्शित करने के लिए पक्षकारों ने कोई प्रमाण नहीं दिये हैं।

च सम्बद्ध देश में हाल ही में हुआ क्षमता विस्तार

110. सम्बद्ध देश में मौजूदा अत्यधिक क्षमता के अलावा उत्पादक नई क्षमताओं की स्थापना कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया था कि मोनालिसा कम्पनी, गुयांगडोंग आईसीओटी सिरेमिक्स, सन इंटरप्राइजेज़ ग्रुप और गोल्डमी सिरेमिक्स क्षमता वर्धन कर रहे हैं।

छ निर्यात बाजारों की हानि

111. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया था कि सम्बद्ध देश के उत्पादकों ने निर्यात बाजार भी गवां दिये हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना दर्शाती है कि वर्ष 2016 की तुलना में 2019 में चीन से हुए निर्यातों में गिरावट आई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:-

मात्रा मिलियन वर्ग मीटर में

क्षेत्र	2016	2019	गिरावट
एशिया	583.1	477.6	-18%
अफ्रीका	197.9	120.1	-39%
नाफ्टा	78.2	45.2	-42%
लैटिन अमेरिका	80.0	75.5	-6%
यूरोपीय यूनियन	15.9	10.0	-37%
अन्य यूरोप	10.2	10.3	1%
ओशियाना	34.7	31.8	-8%
योग	1,000.2	770.5	-23%

स्रोत: सिरेमिक वर्ल्ड रिव्यू

112. समग्रतः चीन जन. गण. से हुए कुल निर्यातों में 229 वर्ग मीटर की गिरावट आई है, जो अत्यधिक है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, इन निर्यातों के भारत में परिवर्तित होने की संभावना है।

ज शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में कमी

113. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण क्षति आधी के दौरान आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि प्रमुख निर्यातकों पर शून्य शुल्क लगाया गया है, और तदनुसार आयातों में आई गिरावट शुल्क लगाए जाने का परिणाम नहीं है। इसके उत्तर में घरेलू उद्योग ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश का हवाला दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मूल जांच में निर्धारित शुल्कों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका [वर्ष 2017 के विशेष सिविल आवेदन सं. 11851 के साथ विशेष सिविल आवेदन सं. 2017 का 11115] दायर किया था। चुनौती प्राथमिक रूप से क्षति रहित कीमत और क्षति की मार्जिन के निर्धारण के बारे में थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 13 जुलाई, 2017 के अन्तरिम आदेश द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया है। " "

4. इस न्यायालय की यह राय है कि प्रतिवादी सं. 1 और 3 को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाएं कि चीन के उक्त निर्यातकों और भारत में उक्त वस्तु अथवा समान वस्तु के आयातकों को घरेलू खपत हेतु आयातित सामग्री का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा और इनका निपटान, इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय और अन्य आदेश, जिन्हें इन याचिकाओं में पारित किया जाता है, के अध्यक्षीन होगा। ऐसी वस्तुओं का संबंधित निर्यातक एवं/अथवा आयातक, यदि वह चाहे, तो वह इस कार्यवाही में शामिल पक्षकार के साथसंलग्न होने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

5. यह कहना न होगा कि फिलहाल और जब तक और कोई आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, निर्यातकों के विरुद्ध अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन किया जाएगा और सम्बद्ध सामग्री की आयातित वस्तुओं का निपटान इस मामले में पारित अंतिम आदेशों के अनुसार किया जाएगा। यदि इस याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो दिनांक 21 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार इस प्रकार निपटान किए गए आयात के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा, और इन याचिकाओं को अनुमति दिये जाने के मामले में याचिका के परिणाम के बाद लगाए गए शुल्क का भुगतान किया जाएगा।"

114. अतः न्यायालय ने वस्तुओं का निपटान सीमाशुल्क अधिसूचना में उल्लिखित मौजूदा दरों पर करने की अनुमति दी थी। चीन के निर्यातकों और भारत के आयातकों को आयातित वस्तुओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तथापि, आयात, याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन किए गए थे। यदि न्यायालय याचिका स्वीकार कर लेता है और इन्हें अनुमति देता है, तो आयातकों को निपटान किए गए आयातों पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश से आयातक भयभीत हैं, क्योंकि याचिका स्वीकार किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क के बोझ का खतरा है।

115. चूंकि पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के कारण आयातों में गिरावट आई है, अतः यह स्पष्ट है कि शुल्क के अभाव में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है। प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि विगत में भी ऐसा ही रुझान देखा गया था। मूल जांच में प्राधिकारी ने नोट किया था कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण आयातों में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई थी। तथापि, शुल्क समाप्त किए जाने के बाद आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई।

116. रिकार्ड पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत 2014-15 और 2015-16 में सम्बद्ध देशों के उत्पादकों के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। वर्ष 2015-16 में सम्बद्ध देश से हुए कुल निर्यातों में भारत को किए गए निर्यातों का योगदान 6.65% था। तथापि, अनंतिम तथा निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद भारत को किए गए निर्यातों में गिरावट आई और भारत वर्ष 2016 में 21वां और वर्ष 2017 में 34वां सबसे बड़ा बाजार बन गया। फिलहाल, देश से हुए निर्यातों में भारत का हिस्सा बहुत कम है। तथापि, यह दर्शाता है कि शुल्क के अभाव में भारत, चीन के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार था।

मात्रा वर्ग मीटर में

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वैश्विक निर्यात	406	378	390	626	585	465	365
भारत को निर्यात	19	25	6	4	2	1	1
वैश्विक निर्यातों में भारत का हिस्सा	4.66%	6.65%	1.42%	0.65%	0.36%	0.30%	0.27%

रैंकिंग *	4 th	4 th	21 st	34 th	41 st	51 st	58 th
-----------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*आकार के अनुसार निर्यात बाजारों की रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से वैश्विक बाजारों को पाटित कीमतों पर और भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर निर्यात की मात्रा अत्यधिक है। इसके अलावा, वैश्विक बाजार को किए गए निर्यातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। ये क्षतिकारी निर्यात 15 से अधिक उत्पादकों के उत्पादन के लिए पर्याप्त हैं।

चीन से कुल निर्यात	मिलियन एसक्यूएम	685.92
पाटित कीमतों पर निर्यात	मिलियन एसक्यूएम	592.32
पाटित कीमतों पर निर्यात – पाटन	अम डॉलर . एसक्यूएम	5.31
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	86%
आकर्षक मात्रा जिसका निर्यात भारत की कीमत से कम पर) (किया जा रहा है	मिलियन एसक्यूएम	603.84
क्षतिकारी मात्रा	मिलियन एसक्यूएम	0.85
क्षतिकारी मात्रा, वर्ग मीटर में	एसक्यूएम	4,06,34,105
242 उत्पादकों का औसत उत्पादन	एसक्यूएम	26,78,600.60
क्षतिकारी मात्रा, वर्ग मीटर में - के उत्पादन के लिए पर्याप्त	संख्या	15.17

स्रोत: ट्रेड डाटा

ट . भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

118. भारतीय उद्योग के हित के बारे में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

- क) पैरा 29 के प्रकटीकरण से पता चलता है कि जिन उत्पादकों ने सामूहिक रूप से क्षति की जानकारी दाखिल की है उनका कुल भारतीय उत्पादन का 26.38 प्रतिशत हिस्सा है। हालाँकि, व्यापार सूचना संख्या 9/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 जो वर्तमान प्रकटीकरण जारी करने के समय प्रभावी थी, में स्पष्ट रूप से कम से कम 50% शेयर की आवश्यकता बताई गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय उत्पादन में 26.38 प्रतिशत हिस्से को नियम में प्रमुख अनुपात आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिशत के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्राधिकरण की दशकों पुरानी प्रथा है कि समर्थकों के साथ कम से कम 50% हिस्सेदारी को एक प्रमुख अनुपात माना जाता है और वर्तमान मामले में डीआई द्वारा प्रार्थना की गई इस तरह की प्रथाओं को कम करना किसी भी तरह से उचित नहीं है।
- ख) पैरा 18 में प्रकटीकरण इस बात की पुष्टि करता है कि प्राधिकरण ने इस जांच में पीसीएन पद्धति पर विचार किया है। हालाँकि, पीसीएन वार अलग से तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।
- ग) संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में माना जाता है और चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य के उद्देश्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमत के आधार के रूप में यूएसए में पहुंच स्तर पर भारत से यूएसए को निर्यात कीमत उचित और विश्वसनीय तथ्यों और वारंट पर पुनर्विचार द्वारा समर्थित नहीं है।
- घ) जिनी ने अपने अनुरोध को दोहराया कि जिनी द्वारा निर्यात से संबंधित अब तक पाटन और क्षति की संभावना का आरोप पूरी तरह से निराधार है। प्रकटीकरण में समग्र रूप से चीन पीआर से संबंधित संभावना मापदंडों का मूल्यांकन है और विशेष रूप से जिनी के लिए ऐसा कोई संभावना मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- ङ) प्रकटीकरण ने अधिकांश स्थानों पर माप की इकाई को एमएसक्यूएम/एसक्यूएम के रूप में माना है। लेकिन, यूएसडी/एमटी और रुपये/एमटी का उपयोग डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन टेबल और संभावना तालिका जैसे स्थानों पर किया जाता है जो अन्य स्थानों पर एसक्यूएम और कीमत प्रति एसक्यूएम के उपयोग के साथ असंगत प्रतीत होता है।

- च) वर्तमान मामले में कटौती और कम बिक्री काफी नकारात्मक है और वह भी तब जब लागू जोड़ पर विचार नहीं किया जाता है। जिस कारक ने घरेलू उद्योग/भारतीय उत्पादक की कीमत को आयात कीमत के पहुंच मूल्य की तुलना में इतना कम रखा है, वह आयात में गिरावट का सटीक कारण है, न कि प्रति जोड़।
- छ) संभावित विश्लेषण में यह नहीं दिखाया गया है कि भारत में प्रचलित कीमतें शुल्क की समाप्ति के बाद चीनी उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार को कैसे आकर्षक बना देंगी, जबकि भारत में कीमत तब भी जब लागू शुल्क चीनी के पहुंच मूल्य से काफी कम है। चीन पीआर से आयात। चीन पीआर अपनी सामग्री को ऐसे कम कीमत वाले बाजार की ओर क्यों मोड़ेगा, इसकी व्याख्या नहीं की गई है और संभावना का सुझाव देने के लिए कुछ कारकों को यांत्रिक रूप से एक साथ रखा गया है जो सही नहीं है।
- ज) यह अनुरोध किया जाता है कि फोशन चांगचेंज जिन्यी सिरमिक्स कं, लिमिटेड का नाम कर्तव्य तालिका में रखा जाए। प्रकटन विवरण में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तालिका में इसका सही उल्लेख किया गया है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निवेदन

119. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क) जबकि घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में क्षति रहित कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है।
- ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमताओं का कोई अक्षम उपयोग नहीं किया गया है। क्षमता उपयोग में कोई गिरावट घरेलू उद्योग के नियंत्रण के अलावा अन्य कारकों के कारण है।
- ग) जैसे-जैसे टाइल का आकार बढ़ता है, पौधे का उत्पादन कम होता जाता है। इसलिए, टाइलों के आकार में परिवर्तन के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट को अक्षमता नहीं माना जाना चाहिए।
- घ) कुछ उत्पादकों के मामले में कच्चे माल की लागत कृत्रिम रूप से कम है, यदि अनुबंध III के प्रावधान यांत्रिक रूप से लागू होते हैं। हालांकि, इस अंतर का कारण यह है कि ग्लेज्ड टाइल का उत्पादन अतीत की तुलना में वर्तमान अवधि में बढ़ा है, और ग्लेजिंग रसायन काफी महंगे हैं।
- ङ) कच्चे माल के उपयोग में परिवर्तन कच्चे माल के अकुशल उपयोग के कारण नहीं है। यह विभिन्न उत्पाद मिश्रण (अतीत में बिना ग्लेज्ड टाइलों का अधिक उत्पादन और ग्लेज्ड टाइलों का कम उत्पादन) और विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कच्चे माल का मामला है।
- च) बंदरगाह पर कीमत के साथ एक्स-फैक्ट्री एनआईपी की तुलना बिना किसी कानूनी, तथ्यात्मक, आर्थिक आधार के होती है और व्यावसायिक वास्तविकताओं की पूरी तरह से अनदेखी करती है।
- छ) प्राधिकरण ने संपत्ति के मूल्यहास मूल्य के आधार पर रिटर्न की अनुमति दी है। तथापि, ऐसे मामले में क्षतिरहित कीमत नए निवेश पर उचित प्रतिलाभ की अनुमति नहीं देगी।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद के अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणाम के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है:

- क) जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि भारतीय उत्पादन में 26.38 प्रतिशत हिस्सेदारी को बड़े अनुपात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिशत के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार नोटिस संख्या 11/2021 दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत व्यापार सूचना संख्या 9/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के पैरा 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

"जहां उद्योग खंडित है और घरेलू उत्पादकों की अत्यधिक बड़ी संख्या में है, घरेलू उद्योग की ओर से एक एसोसिएशन द्वारा एडी/सीवीडी जांच के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। ऐसे घरेलू उत्पादकों को सीमा शुल्क टैरिफ के नियम 2 (बी) और नियम 5 (3) (ए) के अनुसार समान वस्तु के कुल पात्र घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए (पहचान, आकलन और डंप किए गए पर एंटी-डंपिंग शुल्क का संग्रह) लेख और चोट के

निर्धारण के लिए) नियम, 1995 ("एडी नियम") / नियम 2 (बी) और नियम 6 (3) (ए) सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी वाले लेखों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और के निर्धारण के लिए) चोट) नियम, 1995 (सीवीडी नियम"), जैसा भी मामला हो।"

वर्तमान जांच में जिन उत्पादकों ने क्षति की सूचना दाखिल की है उनका कुल भारतीय उत्पादन का 26.38 प्रतिशत हिस्सा सामूहिक रूप से है। घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने क्षति आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, का भारत में घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि 56 उत्पादकों ने अपनी क्षति की जानकारी प्रदान की है जो नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

- ख) अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्क के संबंध में कि प्राधिकरण ने इस जांच में एक पीसीएन पद्धति पर विचार किया है और तथ्यों का कोई पीसीएन वार अलग प्रकटीकरण नहीं है, प्राधिकरण द्वारा यह नोट किया गया है कि पीसीएन डीजीसीआईएंडएस डेटा में पहचाने जाने योग्य नहीं है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में।
- ग) जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमत के आधार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए। पीआर, यह दोहराया जाता है कि चीन पीआर के किसी भी निर्माता ने अपने स्वयं के डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं लाई है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूएसए पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाया कि सामान्य मूल्य का निर्धारण यूएसए में कीमतों या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है।
- घ) जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन का संबंध है कि प्रकटीकरण में समग्र रूप से चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित संभाव्यता मानकों का मूल्यांकन किया गया है और विशेष रूप से जिनी के लिए ऐसा कोई संभावित मूल्यांकन नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिनी द्वारा तीसरे देश के निर्यात पर सूचना दी गई है। प्रदान नहीं किया गया है।
- ङ) प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों के निवेदन को नोट करते हैं कि प्रकटीकरण ने माप की इकाई को अधिकांश स्थानों पर एमएसक्यूएम/एसक्यूएम के रूप में माना है और यूएसडी/एमटी और रुपये/एमटी का उपयोग डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन तालिका और संभावना जैसे स्थानों पर किया जाता है। टेबल। तदनुसार, स्थिरता के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, माप की इकाई को एमएसक्यूएम/एसक्यूएम में बदल दिया गया है।

ठ भारतीय उद्योग की रुचि और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों की प्रस्तुतियाँ

121. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

122. भारतीय उद्योग के हित के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) भारतीय उद्योग की क्षमता 3 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 1,000 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक हो गई है।
- (ख) घरेलू उत्पादकों के पास देश की समस्त मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।
- (ग) चूंकि भारतीय उद्योग देश की समस्त मांग पूरी करने के लिए समर्थ है, अतः सस्ते आयातों से देश से बाहर विदेशी मुद्रा भुगतान आवश्यक होगा।
- (घ) उद्योगों द्वारा किया गया निवेश वर्ष 2000 में 100 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए हो गया है।
- (ङ) यह उद्योग 1,25,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 2,00,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार देता है।

- (च) इस उद्योग के पास 700 वर्ग मीटर का उत्पादन है और आने वाले समय में 300 वर्ग मीटर की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।
- (छ) प्रमुख कच्चे माल की खरीद भी स्थानीय स्तर पर की जाती है। घरेलू उत्पादन से तात्पर्य है विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत।
- (ज) विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट आई है और ये वर्ष 2000 में 400-700 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटकर फिलहाल 100-120 रुपए प्रति वर्ग मीटर रह गई हैं।
- (झ) विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाना घरेलू विनिर्माताओं, उपभोक्ताओं और आम जनता के हित में होगा।
- (ञ) यदि सस्ते आयातों का द्वार खोल दिया जाता है, तो एमएसएमई उत्पादकों, जो कम मार्जिन पर प्रचालन करते हैं, का जीवन खतरे में आ जाएगा।
- (ट) घरेलू उत्पादकों के बीच स्वस्थ बाजार प्रतियोगिता है और इसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध वस्तुएं बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं।
- (ठ) यदि घरेलू उत्पादकों को घरेलू बाजार में क्षति होती है, तो वे निर्यात की क्षमता प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।
- (ड) शुल्क जारी रहने से प्रयोक्ताओं पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्माण की कुल लागत में टाईलों की लागत बहुत अधिक नहीं होती है।
- (ढ) सम्बद्ध देश के उत्पादकों को सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय सहायता प्राप्त होती है, जिसका भारत में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, समान्यतः, पाटन की अनुचित पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय जारी रखने का उद्देश्य सम्बद्ध देश से किसी भी प्रकार से निर्यातों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से भारत में इस उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय जारी रखे जाने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की पद्धति द्वारा कोई अनुचित लाभ न उठाया जाए, घरेलू उद्योग में आई गिरावट को रोका जाए और उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तुओं की व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाए रखी जाए।
124. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से आम जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने शुल्क जारी रखने के प्रभाव की तुलना भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर हुए प्रभाव और आम जनता पर हुए प्रभाव से की है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए निवेदनों एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर किया गया है।
125. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना जारी करके आयातकों, उपभोक्ताओं एवं अन्य पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए थे। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संदर्भ में प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित प्रासंगिक सूचना प्रदान करने के लिए उपायों के उपयोग हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को छोड़कर जनहित के संबंध में किसी अन्य पक्षकार ने कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
126. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उत्पादकों की संख्या वर्ष 2005 में 5 उत्पादकों से बढ़कर फिलहाल 244 उत्पादक हो गई है। इस उद्योग के पास 1,000 वर्ग मीटर से अधिक की संस्थापित क्षमता है, जो न केवल घरेलू उद्योग की मांग को पूरा कर रही है। यह वृद्धि हासिल करने के लिए भारतीय उद्योग ने इस उत्पाद में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्षमता बढ़ने के साथ भारतीय उद्योग द्वारा सृजित रोजगार भी बढ़ा है और यह उद्योग 1,25,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 2,00,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है।
127. इस उद्योग ने जहां उल्लेखनीय वृद्धि की है, वहीं अनेक उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में हैं। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि केवल 8-10% उत्पादक संगठित क्षेत्र में हैं। अतः शुल्क जारी रखना छोटे उत्पादकों की व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए

महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पादक नाजुक स्थिति में हैं, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लाभप्रदता में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के पाटन का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रमुख कच्चे माल की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाती है और घरेलू उत्पादक भारत में लगभग समस्त मांग को पूरकर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय राशि की बचत हुई है। इस उद्योग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह इस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इसलिए देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तथापि, यदि इस उद्योग के प्रचालनों की व्यवहार्यता प्रभावित होती है, तो निर्यातों में भी हानि होगी।
129. यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत में पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है। इसके अलावा, उत्पादकों की उत्पाद रेंज में भी वृद्धि हुई है और और वे 1000 x 1000 मि. मी. तथा 1200 x 1200 मि. मी. के साथ साथ 1600 x 3200 मि. मी. आकार की टाइलों की आपूर्ति भी कर रहे हैं।
130. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग ने शुल्क लागू रहने के दौरान वृद्धि हासिल की है। तथापि, चूंकि यह उद्योग नाजुक स्थिति में है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है, तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, अतः पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाना इस उद्योग के हित में होगा।
131. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के हित पर भी शुल्क जारी रखे जाने के प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं, परंतु यह सुनिश्चित होता है कि वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध रहें। इसके अलावा देश में मांग-आपूर्ति में अंतर नहीं है। 500 मिलियन वर्ग मीटर से कम की मांग की तुलना में घरेलू उत्पादकों का उत्पादन 700 मिलियन वर्ग मीटर है। उत्पादकों की क्षमता देश में मांग से दोगुनी है। अतः यदि सम्बद्ध देश से आयात न भी किए जाएँ तो घरेलू आपूर्ति, मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, इस उत्पाद का आयात उचित कीमतों पर इटली, स्पेन यूएई तथा अन्य देशों से भी किया जा सकता है।
132. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में उत्पादकों की संख्या उल्लेखनीय है और उत्पादकों के पास घरेलू मांग और निर्यात से अधिक क्षमता उपलब्ध है। अतः घरेलू उत्पादकों के बीच उल्लेखनीय कीमत प्रतिस्पर्धा है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्रयोक्ताओं के पास प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इस उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का कोई अनुचित लाभ संभव नहीं है।
133. घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने 1.87 अम. डॉलर प्रति वर्ग मीटर के अवशिष्ट शुल्क के अनुसार प्रयोक्ताओं पर होने वाले प्रभाव पर विचार किया है। प्रयोक्ताओं को आने वाली लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	मूल्य
निर्माण की कुल लागत - चार तल	लाख रुपए	250
प्रत्येक तल का क्षेत्र	वर्ग फुट	1,500
टाइलों का कवरेज क्षेत्र	वर्ग फुट	1,100
टाइलों का कवरेज क्षेत्र	वर्ग मीटर	102
टाइलों का कवरेज क्षेत्र - चार तल	वर्ग मीटर	409
टाइलों की कीमत (पहुंच कीमत)	रुपए वर्ग मीटर/	594
टाइलों की कुल लागत	लाख रुपए	2.43
कुल निर्माण लागत में टाइलों का हिस्सा	%	0.97%
पाटनरोधी शुल्क	अमवर्ग मीटर /डॉलर .	1.87
विनिमय दर (वर्तमान)		74.40

पाटनरोधी शुल्क	रुपएवर्ग मीटर/	139.13
4 तलों हेतु टाइलों पर कुल शुल्क	लाख रुपए	0.57
प्रभाव	%	0.23%

यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ताओं पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि निर्माण में विचाराधीन उत्पाद की लागत नगण्य है।

ड. निष्कर्ष

134. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणाम में दर्ज किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :-

- क) विचाराधीन उत्पाद सोल्यूबल साल्ट, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी पोर्सिलेन/ विट्रिफाइड टाइलें हैं, जिनमें सभी साइज का 3 प्रतिशत से भी कम जल अवशोषण हैं, जिसमें माइक्रो-क्रिस्टल टाइलों, फुल बॉडी टाइलें और 5 मि. मी. से कम मोटाई के थिन पैनल शामिल नहीं हैं।
- ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
- ग) आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में उत्पादन व खपत के संबंध में काफी गिरावट आई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी और घरेलू उद्योग पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण इसकी कीमतों पर न्यूनीकरण और ह्रास का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान गिरावट नहीं आई है और घरेलू उद्योग को लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध आयातों के चलते पर्याप्त क्षति नहीं हुई है।
- घ) विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर भारत को निर्यात किया जाना जारी है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है। आयातों की मात्रा, लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण कम रही है। तथापि, आयात की मात्रा में ऐसी कम और पाटित कीमत पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है, जिस पर वस्तुएं चीन से तीसरे देशों को निर्यात की गई हैं, चीन में आगे क्षमता वर्धन के साथ काफी सरप्लस क्षमताएं हैं। यह स्पष्ट है कि उत्पाद का पाटन जारी रहने की संभावना है और आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
- ड) पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण मात्रा में पाटन की स्पष्ट संभावना और क्षति की संभावना है। चीन के उत्पादकों को वर्ष 2003, 2008 और 2017 में भी विगत जांचों के दौरान पाटित कीमतों पर उत्पाद का निर्यात करते पाया गया है, जो स्पष्ट रूप से देश में उत्पाद के पाटन के इतिहास को प्रमाणित करता है। काफी मात्रा में उत्पाद चीन से तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है, जो शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शा रहा है। चीन के उत्पादक वैश्विक रूप से अनेक देशों में व्यापार उपचारी उपायों का सामना कर रहे हैं। इन देशों में आयातों की प्रवृत्ति इन देशों को चीन के निर्यात में कार्रवाई करने से पहले और उपाय लागू करने के बाद चीन के निर्यातों में एक महत्वपूर्ण गिरावट आने पर स्पष्ट रूप से पर्याप्त वृद्धि को स्पष्ट करती है। चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और कुछ चीनी उत्पादक अब आगे उत्पादन क्षमताएं बढ़ा रहे हैं।
- च) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और अब इस उत्पाद का एमएसएमई क्षेत्र में काफी उत्पादन हो रहा है। भारत वैश्विक रूप से टाइलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन रहा है। साथ ही, उपभोक्ता पर या निर्माण लागत पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संभव प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य भी नहीं है।
- छ) पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए उपभोक्ताओं के लिए सभी फार्मेट प्रदान किए जाने के बावजूद, और यह स्पष्ट करने के बावजूद कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनयोग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।

- ज) रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से, यह भी देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी कम है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि उत्पाद की कीमत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट देखी गई है, जो यह प्रमाणित करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान उपाय जारी रखने से देश में उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।
- झ) उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

ढ . सिफारिशें

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
136. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखने की जरूरत है। तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में जिन उत्पादकों ने भाग नहीं लिया है, उनके अलावा, चीन जन. गणसे संबद्ध वस्तुओं के . आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। ऐसे असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों को इस निर्णायक जांच में वर्तमान में लागू अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया है। तदनुसार, संबद्ध देश से प्रतिवादी उत्पादकों और असहयोगी उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है। इस प्रकार प्राधिकारी चीन जन. गणके मूल की अथवा वहां से निर्यातित ., कॉलम में उल्लिखित 3 संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका में कॉलम के अनुसार 7, उल्लिखित राशि के बराबर, यथासंशोधित निश्चित पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष/*	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	69.07, 69.08, 69.14*	सोल्यूबल साल्ट, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइलें, 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण के साथ और सभी साइजों में**	चीन जन. गण.	चीन जन. गणसहित . कोई अन्य देश	फोशन चानचेंग जिनयी सेरामिक्स कं . लि, और सिन सिंग झिसेंग सेरामिक्स कं . लि	Nil	एसक्यूएम	यूएस अमरीकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	जन .गण. सहित कोई अन्य देश	कं .सं .1 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	1.87	एसक्यूएम	यूएस अमरीकी डॉलर

क्र.सं.	शीर्षउपशीर्ष/*	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी	1.87	एसक्यूएम	यूएस अमरीकी डॉलर

* संबद्ध वस्तुएं टैरिफ शीर्ष सं. 69.07, 69.08, 69.14 के तहत आयात की जा रही हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी भी तरह से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

** उत्पाद में माइक्रो क्रिस्टल टाइलें, फुल बॉडी टाइलें और 5 मि.मी. मोटाई से कम की थिन पैनल टाइलें शामिल नहीं हैं।

137. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और क के तहत शुल्कों को 9 छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

138. केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील, जो इस सिफारिश के कारण उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

139. यह सिफारिश माननीय अहमदाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

संलग्नक - क

घरेलू उत्पादकों की सूची, जिन्होंने जांच शुरू होने के बाद क्षति के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं

1. ऐसर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	15. ऐराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	29. मोजार्ट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	43. रोलजा प्राइवेट लिमिटेड
2. एडमिन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	16. फेमस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	30. मल्लीस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	44. सेगा ग्रानिटो एलएलपी
3. अलफांसो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	17. फुजन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	31. नेसा विट्रिफाइड एलएलपी	45. सेगम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
4. बिलिजार्ट विट्रिफाइड एलएलपी	18. होलिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	32. नेक्सियन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	46. सेंटो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
5. ब्ल्यूआर्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	19. इटालस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	33. नाइस सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	47. सेनटोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
6. ब्ल्यूजोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	20. जेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	34. ओसिस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	48. सिमपोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
7. ब्रोनजे ग्रानिटो एलएलपी	21. कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड	35. ओसिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	49. सकाजेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
8. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	22. कजारिया टाइल्स लिमिटेड	36. ऑलविन टाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50. सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड

9. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	23. केरा विट्रिफाइड एलएमपी	37. ओराकल ग्रानिटो लिमिटेड	51. सोमानी फाइन विट्रिफाइड लिमिटेड
10. कुसो विट्रिफाइड	24. लेमोरेक्स ग्रानिटो एलएमपी	38. पैसन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	52. सनकोन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
11. दुरेजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	25. लेमस्टोन ग्रानिटो	39. पर्थ सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	53. सनवर्ल्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
12. ऐलिका ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	26. लेमजोन ग्रानिटो एलएमपी	40. प्रोटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	54. टौरस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
13. ऐम्बोजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	27. मैप्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	41. क्यूरो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	55. विन्टेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
14. एमसेर सेरामिक	28. मोरबिलानो टाइल्स एलएमपी	42. रोमेस्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	56. जियल्टॉप टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

संलग्नक - ख

ऐसे सैम्पल उत्पादकों की सूची, जिन्होंने लागत संबंधी सूचना प्रदान की है

- क. कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड
- ख. कजारिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड
- घ. सोमानी फाइन विट्रिफाइड लिमिटेड
- ङ. सिम्पोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
- च. नेक्सन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- छ. फुजन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ज. सेन्टोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
- झ. ऐराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. नेसा विट्रिफाइड एलएमपी
- ट. सेंटो विट्रिफाइड एलएमपी
- ठ. केरा विट्रिफाइड एलएमपी
- ड. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
- ण. जेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक - ग

प्रत्येक एसोसिएशन के सदस्यों की सूची

गुजरात ग्रेनिटो मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन

1. आजवेतो मानु. प्रा. लि.	2. आईकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	3. ओरिंदा ग्रानिटो प्राइवेट लि.	4. सोरांटो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
5. एसेकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	6. इक्का ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	7. ओजोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	8. स्पारोन विट्रिफाइड एलएमपी
9. एसेर ग्रानिटो प्राइवेट	10. ईटाकोन ग्रानिटो प्राइवेट	11. पारकोस टाइल्स	12. स्पारटेन ग्रानिटो प्रा.

लिमिटेड	लिमिटेड	एलएलपी	लि.
13. एडमिन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	14. इटालुस विट्रिफाइड एलएलपी	15. पैशन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	16. स्पेक्टर्म जॉनसन विट्रिफाइड
17. एडोवेशन सेरामिक एलएलपी	18. इटकोस ग्रानिटो एलएलपी	19. पावियर्ट विट्रिफाइड	20. स्पोलो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
21. एफिल विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	22. जाक्स विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	23. पर्थ सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	24. स्टेफिना विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
25. अल्फा विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	26. जेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	27. प्लेटिना विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	28. स्टेनफोर्ड सेरामिक
29. अलफांसो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	30. कैग विट्रिफाइड	31. प्लाज्मा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	32. सनफ्लोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
33. अलिंटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	34. केरा विट्रिफाइड एलएलपी	35. प्रोटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	36. सनग्लेयर विट्रिफाइड
37. एलायंस विट्रिफाइड टाइल्स लिमिटेड	38. कोयो ग्रानिटो एलएलपी	39. क्यूरो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	40. सनपार्क ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
41. अंबानी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	42. क्रिप्टान ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	43. क्यूटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	44. सनशाइन टाइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
45. एंटीक्यू मार्बोनाइट प्राइवेट लिमिटेड	46. लाफांस ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	47. रोमेस्ट ग्रानिटो एलएलपी	48. सनवर्ल्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
49. अरमानो विट्रिफाइड एलएलपी	50. लैक्मे विट्रिफाइड एलएलपी	51. रामोजी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड	52. सनवर्ल्ड 2 विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
53. ऐसेंट विट्रिफाइड	54. लटीग्रेस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	55. रीयल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	56. सरनामी विट्रिफाइड
57. एक्सवैल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	58. लाविश ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	59. रेडस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	60. स्विजर सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
61. बिसेरो टाइल्स एलएलपी	62. लक्सवीर सेरामिक एलएलपी	63. रेनाइट विट्रिफाइड एलएलपी	64. सिंबोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
65. बलिजर्ड विट्रिफाइड एलएलपी	66. लेमस्टोन सेरामिक एलएलपी	67. रेक्सोना टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	68. टौरस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
69. ब्लू आर्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	70. लेमजोन ग्रानिटो एलएलपी	71. रे सेरा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड	72. टाइटेनियम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
73. ब्लूजोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	74. लेमोरेक्स ग्रानिटो एलएलपी	75. रिच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	76. टोको ग्रानिट प्राइवेट लिमिटेड
77. बोंजा विट्रिफाइड	78. लेनोरा ग्रानिटो एलएलपी	79. रॉकलैंड सेरामिक एलएलपी	80. वर्धमान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
81. ब्रावट ग्रानिटो एलएलपी	82. लेंज सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	83. रोलजा ग्रानिटो एलएलपी	84. वारमोरा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
85. ब्रोन्जे ग्रानिटो एलएलपी	86. लियोपर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	87. रोसाटो विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	88. वेल्सा विट्रिफाइड एलएलपी

89. काडिलक ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	90. लेविटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	91. रोटोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	92. वेरिटीस ग्रानिटो एलएलपी
93. कैपरोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	94. लेक्सस ग्रानिटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	95. सनफोर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	96. विंटेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
97. कासा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	98. लेजोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	99. संस्कार ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	100. विटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
101. क्लान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	102. एलजीएफ विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	103. सरजु विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	104. वेल्बोन विट्रिफाइड एलएलपी
105. क्लासी टाइल्स एलएलपी	106. लिबेंजा ग्रानिटो एलएलपी	107. साविनो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	108. व्हाइट हाउस टाइल प्राइवेट लिमिटेड
109. क्लेरिस सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	110. लिबोला ग्रानिटो एलएलपी	111. सावियो सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड	112. विनटेल सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
113. क्लेस्टोन	114. लिजर्ट ग्रानिटो एलएलपी	115. साइंटिफिका टाइल्स एलएलपी	116. विनटॉप विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
117. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	118. लोसेरो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	119. सेगा ग्रानिटो एलएलपी	120. जानड्रोस ग्रानिटो एलएलपी
121. कोमेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	122. लोरेस विट्रिफाइड एलएलपी	123. सेगम टाइल्स प्रा. लिमिटेड	124. जारको ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
125. कमांडर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	126. लोरेजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	127. सेनटोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	128. जीयलटॉप ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
129. कोनोर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	130. मैप्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	131. सेरॉन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	132. जेड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
133. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	134. मारबेलानो टाइल्स एलएलपी	135. सेज विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	136. एबोड ग्रानिटो
137. कोरस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	138. मैक्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	139. श्रीजी सेरामिक इंडस्ट्रीज	140. इटोली ग्रानिटो एलएलपी
141. कोसा सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	142. एमबीओ ग्रानिटो एलएलपी	143. श्रीजी सेरामिक इंडस्ट्रीज	144. एमसेर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
145. क्रीनजा सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड	146. मेगा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	147. श्रीम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	148. सिसम ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
149. क्रेविटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	150. मेट्रो सिटी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	151. रॉयलटच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	152. सोलिजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
153. कुसो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	154. मेट्रो पोल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	155. सिलोन ग्रानिटो एलएलपी	156. सनकोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
157. डोनाटो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	158. मिलिनियम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	159. सिमान्तो विट्रिफाइड एलएलपी	160. सेनटो विट्रिफाइड एलएलपी
161. डुराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	162. मोनार्क सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	163. सिमेरो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	164. सिमोला टाइल्स एलएलपी
165. दुरेजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	166. मोनजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	167. सिमोला विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	168. एब्रोड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड

169. एलिका विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	170. मोजर्ट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	171. सिमोनेक्स विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	172. डेल्टा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
173. एमबोजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	174. मल्टीस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	175. नेक्सन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	176. ओसिस टाइल्स एलएलपी
177. एपसोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	178. नीलसन सेरामिक एलएलपी	179. सिम्पोलो विट्रिफाइड लिमिटेड	180. ग्रेफोन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
181. ईराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	182. नेसा विट्रिफाइड एलएलपी	183. सिम्स सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	184. लानकोसा सेरामिक एलएलपी
185. फेमस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	186. न्यू पीयरल विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	187. सिम्स सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2	188. सिम्पेक्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
189. फिनोलाइट सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	190. न्यू वर्धमान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	191. सिमस्टोन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	192. बेरोना ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
193. फिनस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	194. नेक्सटाइल मारबोसिस पी.एल.	195. सियाराम ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	196. सेनसो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
197. फियोरेंजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	198. नाइस सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	199. सियाराम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	200. कारमिया ग्रानिटो एलएलपी
201. फ्लेवर ग्रानिटो एलएलपी	202. नोकेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	203. सकानेज विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	204. एकोर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
205. फुजन ग्रानिटो प्रा. लि.	206. नोटो ग्रानिटो एलएलपी	207. स्काईटच सेरामिक	208. क्यूटोन सेरामिक यूनिट-4
209. ग्रानोलैंड टाइल्स एलएलपी	210. ओसिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	211. सलीम टाइल्स प्रा. लि.	212. ग्रीनसिटी सेरामिक
213. हेवक ग्रानिटो प्रा.लि .	214. ओलविन टाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	215. सोलोग्रेस ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	216. होलिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
217. ओमेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	218. सोमानी फाइन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड		

इंडियन काउंसिल ऑफ सिरामिक टाइल्स एंड सेनिटरीवेयर

1. एसेर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	2. जाक्स विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	3. सेनटिनी सेरामिका (प्रा.) लिमिटेड	4. स्पेक्ट्रम जॉनसन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. एंटीक्यू मार्बोनाइट प्राइवेट लिमिटेड	6. कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड	7. सिलिका सेरामिका (प्रा.) लिमिटेड	8. वारमोरा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
9. एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड	10. कजारिया सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	11. सिम्पोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	12. वेन्नार सेरामिक्स लिमिटेड
13. कैलिप्सो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	14. कजारिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	15. सिराजी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	16. विंटेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
17. कमांडर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	18. ओरिएंट बेल लिमिटेड	19. स्माल जॉनसन फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	20. बाल सेरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
21. कोरल गोल्ड टाइल्स	22. प्रिजम जॉनसन लिमिटेड	23. सोलिजो विट्रिफाइड	24. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट

प्राइवेट लिमिटेड		प्राइवेट लिमिटेड	लिमिटेड
25. आरसेरामिक्स .के.ए. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	26. सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड	27. कोसा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	28. संस्कार सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
29. सोमानी फाइन विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड			

मोरबी सिरामिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

1. आजवेटो मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	2. सिमेरो विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	3. सुजलोन सेरामिक	4. क्रिप्टान सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
5. एबोड ग्रानिटो एलएलपी	6. सिमेरो विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड यूनिट- 2	7. स्विस् सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	8. कृष्णा बाल एंड ग्लेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
9. एबरोड विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	10. सिमोला टाइल्स एलएलपी	11. टीको सेरामिक्स	12. लैकटोस सेरामिक एलएलपी
13. एकोर्ड विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	14. सिमोला विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	15. टेकजा सेरामिक	16. लाडो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
17. एसिकोन विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	18. सिमोलेक्स सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	19. टोरंटो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	20. लम्ब सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21. एसेर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	22. सिमोंजा टाइल्स एलएलपी	23. यूकोन सेरामिका एलएलपी	24. लापर्विंग सेरामिक
25. एडमिन विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	26. सिमपोलो विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	27. उदय गोल्ड सेरामिक	28. लासा सेरा प्राइवेट लिमिटेड
29. एडोवेशन सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड	30. सिमटोन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	31. वारमोरा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट II- नोकिया)	32. लाटो टाइल्स एलएलपी
33. एफिल विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	34. सिनोक्स ग्रानिटो एलएलपी	35. वेटो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	36. लाविश सेरामिक्स
37. एगिलिस विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	38. सिसम ग्रानिटो एलएलपी	39. विक्की फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	40. लेमन टाइल्स एलएलपी
41. अल्फा विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	42. सिसकॉन टाइल्स एलएलपी	43. विकास सेनिटरी वेयर्स	44. लेमोसा टाइल्स एलएलपी
45. अलफांसो विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	46. सियाराम ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	47. विवियाना विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	48. लेवेंट सेरामिक्स
49. अल्लिंटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	50. सियाराम विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	51. वोलेंटो सेरामिक	52. लेर्विजा सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
53. अलाइव ग्रानिटो एलएलपी	54. सकाजेन विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	55. वोल्गा सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	56. लेविटोन सेरामिक एलएलपी
57. एलायंस विट्रिफाइट प्राइवेट लिमिटेड	58. स्काईटच सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	59. विनमाक्स सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	60. लेक्सिकोन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड

61. अंबानी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	62. सलीम टाइल प्राइवेट लिमिटेड	63. यशवीर सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	64. लेक्सो सेरामिक
65. एंटिक विट्राफाइड एलएलपी	66. सोलिजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	67. युवी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	68. लेक्सोप्लस सेरामिक
69. एंटिक मार्बोनाइट प्राइवेट लिमिटेड	70. सोलोग्रेस ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	71. आरु सेनिटरी वेयर्स	72. लेक्सस ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड
73. आर्क स्टोन एलएलपी	74. सोलोरेक्स टाइल्स एलएलपी	75. अंतरिक्ष सेनिटरीवेयर्स	76. लेजविन टाइल्स एलएलपी
77. अरमानो विट्रिफाइल एलएलपी	78. सोलोस्टोन सेरा एलएलपी	79. ऐपेक्स सेरामिक्स	80. लिचि सेरामिक
81. एसेंट सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड	82. सोमानी फाइन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	83. एक्वाटॉप सेरामिक	84. लाइटसिटी सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
85. अस्टिला सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	86. सनसेरा एलएलपी	87. बाफिट सेनिटरीवेयर एलएलपी	88. लिनिया सेरामिक एलएलपी
89. अवाल्ता ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	90. सोनेक्स विट्रिफाइड एलएलपी	91. बाथको सेरामिक एलएलपी	92. लाइवसिटी सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
93. एक्सीसन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	94. सोरेंटो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	95. बाथेरो सेनिटरी एलएलपी	96. लिवोन सेरामिक
97. एक्सवैल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	98. सोरिसो ग्रानिटो एलएलपी	99. बेल सेनिटरी वेयर्स	100. लिजा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
101. बलिजर्ड सेरामिका एलएलपी	102. स्पारोन विट्रिफाइड एलएलपी	103. ब्रिलियंट सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	104. लोगर्ट सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
105. बलिजर्ड विट्रिफाइड एलएलपी	106. स्पार्टन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	107. क्लासी सेनिटरीवेयर्स	108. लोरेक्स सेरामिक
109. ब्लूआर्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	110. स्पेक्ट्रम जॉनसन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	111. कान्फी सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	112. लोरियेंस सेरामिक एलपी
113. ब्ल्यूग्रेस पोर्सेलानो एलएलपी	114. स्पेरा विट्राफाइड एलएलपी	115. कोरोस्टार बाथवेयर एलएलपी	116. लोरिका टाइल्स एलएलपी
117. ब्लूजोन विट्राफाइड प्राइवेट लिमिटेड	118. स्पेरिटा ग्रानिटो एलएलपी	119. कोटो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	120. लोरस सेरामिक
121. बोफो ग्रानिटो एलएलपी	122. सपोलो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	123. कोजी सेनिटरीवेयर एलएलपी	124. लोटस सेरामिक
125. बोनजा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	126. स्केयर सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	127. कुरा सेनिटरीवेयर एलएलपी	128. लुमेन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
129. ब्रावत ग्रानिटो एलएलपी	130. स्टेनफोर्ड सेरामिक	131. डेलफि सेरामिक्स	132. लुक्सुरिको सेरामिक एलएलपी
133. ब्रोंजे ग्रानिटो एलएलपी	134. सनकोन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	135. डोवेल सेरामिक्स	136. लाइकोस सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
137. काडीलक ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	138. सनफ्लोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	139. डुरले सेनिवेयर	140. मार्क ग्लेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

		,विडा)	
141. कैपरोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	142. सनग्लेयर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	143. ईगल सेरामिक्स	144. मैक्स सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
145. कारामिया ग्रानिटो एलएलपी	146. सनपार्क ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	147. इरेटो सैनिटरी	148. मैक्सिमो सेरामिक
149. क्लान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	150. सनशाइन टाइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	151. इरोज फॉर सेनिटरीवेयर	152. मिलेनियम सेरामिक एलएलपी
153. क्लासी टाइल्स एलएलपी	154. सनशाइन टाइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	155. इयुरोका इंडस्ट्रीज	156. मिलियन सेरामिक
157. क्लेआर्ट ग्रानिटो एलएलपी	158. सनशाइन टाइल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	159. जियोबाथ सेनिटरीवेयर एलएलपी	160. मोड सेरामिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरगिल)
161. क्लेस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	162. सनवर्ल्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	163. ग्रेटा बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड	164. मोन्टाना टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
165. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	166. सुरानी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	167. हाविट सेनिटरी वेयर	168. मोनटेलो सेरामिक एलएलपी
169. कोमेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	170. स्वैल ग्रानिटो एलएलपी	171. हेम सेरामिक्स	172. मोटो टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
173. कमांडर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	174. स्विजर सियमिक प्राइवेट लिमिटेड	175. होम डेकोर सेनिटरी काम्प्लेक्स	176. मोक्स टाइल्स एलएलपी
177. कोनेर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	178. सिमबोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	179. हॉनेस्ट सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड (एंडेका बाथवेयर)	180. मोजारो टाइल्स एलएलपी
181. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	182. टौरस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	183. आइवोक सेनिटरीवेयर	184. मोजेको टाइल्स एलएलपी
185. कोरुसो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	186. टाइटेनियम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	187. आईजेक सेनिटरी वेयर-	188. मुरानो टाइल्स एलएलपी
189. कोसा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	190. टोको सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	191. कासेरा सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	192. नागेशवरी सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
193. कवरटेक सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड	194. वारमोरा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	195. कजारिया सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	196. नेहा सेरामिक इंडस्ट्रीज
197. क्रीन्जा सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	198. वेलबोन विट्रिफाइड एलएलपी	199. कल्याण पोटरी वर्क्स	200. नेहानी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
201. क्रेविटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	202. वेलोजा ग्रानिटो एलएलपी	203. लालपुर पोटरीज	204. नेक्सोना सेरामिक एलएलपी
205. कुसो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	206. वेलसा विट्रिफाइड एलएलपी	207. लिटो सेनिटरी वेयर्स	208. नीलकंड ग्लेज्ड प्राइवेट लिमिटेड (लिनोक्सा)
209. सायन ग्रानिटो एलएलपी	210. वेरिटास ग्रानिटो एलएलपी	211. नियो सेरामिक	212. नित्याराव सेरामिक एलएलपी
213. डेल्टा सेरामिक	214. वेरोना ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	215. नेक्सजेन सेनिटरीवेयर एलएलपी	216. नोबल वाल टाइल्स (स्पेक्टो)

217. डोनाटो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	218. वेटो सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड	219. निलकोर बाथ एलएलपी	220. नुबेल सेरामिक
221. डुराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	222. विंटेज टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	223. नोबल बाथवेयर एलएलपी	224. ओक्विवा सिरामिक
225. डुरेजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	226. विटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	227. नोबल सेनिटरीवेयर	228. ओलिविया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
229. ऐलिका विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	230. व्हाइट हाउस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	231. ओर्ब सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	232. ओमानो टाइल्स
233. ऐम्बिटो ग्रानिटो एलएलपी	234. विन्टेल सिरामिक्स - प्राइवेट लिमिटेड	235. ओसाका सेनिटरी	236. ओमेक्सो टाइल्स
237. एम्बोजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	238. विन्टॉप विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	239. ओशो सेनिटरीवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	240. ओपवेल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
241. एमसेन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	242. जानड्रोस ग्रानिटो एलएलपी	243. पोलो सेनिटरीवेयर्स	244. ओरबिट सेरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
245. ऐराकान विट्रिफाइड	246. जारको ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	247. प्रिया सिरामिक्स	248. ओरके सिरामिक एलएलपी
249. फेमस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	250. जीलटॉप ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	251. पुपा सेनिटरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	252. ओरकेन सिरामिक एलएलपी
253. फिनोलाइटन सिरामिक	254. जेड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	255. रेसी सेनिटरीवेयर्स	256. ऑस्कर सिरामिक्स
257. फिनस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	258. एक्विव सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	259. रामेश्वर सेनिटरी वेयर	260. ओयो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
261. फियोरेंजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	262. एयरसन सिरामिक इंडस्ट्रीज	263. रिबेरा सिरामिक	264. पनारा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
265. फ्लेवर ग्रानिटो एलएलपी	266. आकृति सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	267. रोब सेनिटरीवेयर एलएलपी	268. पार्कर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
269. फुजन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	270. ऐंगल सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	271. सम्राट सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	272. पेंगविन सिरामिक्स
273. जियोग्रेस टाइल्स एलएलपी	274. अंतिका सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	275. सान्यो सिरामिक	276. प्लेटिनियम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
277. ग्रानोलैंड टाइल्स एलएलपी	278. एंटोनोवा टाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	279. स्काटलेन सिरामिक्स	280. पल्सर टाइल्स
281. ग्रीनसिटी सिरामिक	282. एपल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	283. स्कोवेयर सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	284. क्यू-7 सिरामिक एलएलपी
285. ग्रीनरी ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	286. एप्रिकोट टाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	287. सेनिस्टो सेनिटरीवेयर एलएलपी	288. क्यूराक्स सिरामिक एलएलपी
289. ग्रीनस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	290. एक्वाल सिरामिक	291. सेन्टो सेनिटरीवेयर्स	292. क्यूलक्स टाइल्स एलएलपी
293. ग्रीनजोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	294. आरिडो सिरामिक	295. श्री नीलकंठ इंडस्ट्रीज	296. रामोस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड

297. ग्राइफोन सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	298. आशुतोष टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	299. सिफोन सिरामिक	300. रेंज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
301. हाक ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	302. आस्टोन सिरामिक	303. सिलोरा सिरामिक एलएलपी	304. रिकोर सिरामिक
305. होलिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	306. ऑडी सिरामिक एलएलपी	307. सिम्पोलो सिरामिक्स	308. रेवेंजा सिरामिक
309. आईबिस स्मार्ट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड	310. ऑकलैंड सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	311. स्काईमेट सेनिटरीवेयर (सेल्फी)	312. रेक्स सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
313. आइब्रिजा टाइल्स एलएलपी	314. एक्सिओम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	315. स्नोब सेनिटरी वेयर	316. रेक्स्ट्रोन सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
317. आईसेरा टाइल्स एलएलपी	318. बालाजी सिरामिक	319. सोका सेनिटरीवेयर एलएलपी	320. रिगा सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड
321. आईकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	322. बेज सिरामिक	323. सोलेक्सो सिरामिक्स	324. रियो सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड
325. आईका ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	326. बेंटा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	327. सोलितेयर सेनिटरी वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	328. रोअर सेरामिक एलएलपी
329. इमलिस सिरामिका एलएलपी	330. भाभा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	331. सोलो सिरामिक्स	332. रोलैंड सिरामिक
333. इटाकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	334. भिमानी सिरामिक इंडस्ट्रीज	335. सोमानी सेनिटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड	336. रोम टाइल्स
337. इटालिका फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	338. बिसेरो टाइल्स एलएलपी	339. सोमेक्स सिरामिक	340. रोजाबेला सिरामिक एलएलपी
341. इटालस विट्रिफाइड एलएलपी	342. कैनटोन सिरामिक	343. सोना सिरामिक	344. रोसा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
345. इटकोस ग्रानिटो एलएलपी	346. कैपसन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	347. सोना फील्ड सिरामिक	348. रोटो सिरामिक एलएलपी
349. आईटोली ग्रानिटो एलएलपी	350. सेरावत सिरामिक	351. सोनम सिरामिक्स (सनसेरा)	352. रोजबाई सेरामिक एलएलपी
353. जाक्स विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	354. सिबेला सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड पार्किंग	355. सोनारा सेनिटरी वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	356. सदाशिव सिरामिक एलएलपी
357. जेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	358. सिबेला विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड (सीवीएल)	359. सोनेट सेरामिक	360. सदभाव सेरामिक
361. कग ग्रानिटो एलएलपी	362. कोइन टाइल्स एलएलपी	363. सोनेट सेनिटरीवेयर	364. सेफ सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
365. कामरोन टाइल्स एलएलपी	366. कोरल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	367. सोनेक्स सिरामिक	368. सैकोन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
369. केरा विट्रिफाइड एलएलपी	370. कोरल प्लस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	371. सोयो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	372. साईमैक्स सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड

373. केवल (फलाइस (ग्रानिटो एलएलपी	374. कोरोनो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	375. स्टाइलिन सेनिटरीवेयर्स	376. साईविन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
377. केविन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	378. क्रोमा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	379. सन सिरामिक्स	380. सालियंट सिरामिक
381. कोयो ग्रानिटो एलएलपी	382. डेको गोल्ड ग्लेज्ड टाइल्स लिमिटेड	383. सनगोल्ड सिरामिक्स	384. सालिक्स सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
385. क्रिप्टन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	386. दीपसन सिरामिक	387. स्वेडे सिरामिक एलएलपी	388. सेमसन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
389. लाफंस ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	390. डेलफिना सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	391. स्वेलेटोस सेनिटरीवेयर एलएलपी	392. सनारिया सिरामिक एलएलपी
393. लक्मे विट्रिफाइड एलएलपी	394. डेल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	395. तथास्तु विट्रोस	396. संस्कार सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-1
397. लानकोसा सिरामिक एलएलपी	398. डेल्टा टाइल्स लिमिटेड	399. टेसा सेनिटरी वेयर्स	400. संतोष सेरा टाइल्स
401. लैंड डेकोर टाइल्स एलएलपी	402. डिग्सेरा टाइल्स एलएलपी	403. टिटा सेनिटरीवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	404. संदुरो सिरामिक्स एलएलपी
405. लटिग्रेस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	406. डिजिटल सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	407. टोरा सेनिटरीवेयर्स	408. सनविस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
409. लविश ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	410. दिलिसो सिरामिक	411. अल्ट्रा (ट्रोवाइन) सेनिटरी	412. सत्यम सिरामिक्स
413. लक्षवीर सिरामिक एलएलपी	414. ऐंजो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	415. विश्व सेनिटरी वेयर्स (बेलमोंटे)	416. साविनो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
417. लेमोरेक्स ग्रानिटो एलएलपी	418. ऐक्सल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	419. वाघेश्वर टाइल्स कंपनी	420. साइवियन सिरामिक (क्यूबीओ)
421. लेमस्टोन सिरामिक एलएलपी	422. फैशन सिरामिक	423. वाटेरो सेनिटरी एलएलपी	424. सवित्रा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
425. लेमजोन ग्रानिटो एलएलपी	426. फिया सिरामिक्स	427. वूगा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	428. साक्सन सिरामिक
429. लेनोरा विट्रिफाइड एलएलपी	430. फिनोमेक्स सिरामिक	431. एबीसी सिरामिक	432. स्कोटो टाइल्स एलएलपी
433. लेंसवुड सिरामिक एलएलपी	434. फ्लोरा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	435. अकोर्ड प्लस सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	436. सेकूरा टाइल्स एलएलपी
437. लेंज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	438. फ्रीडम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	439. एक्यूट सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	440. सेगा सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
441. लियोपर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	442. फ्रेसको सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	443. एड मार्क सिरामिक इन्ड.	444. सेकोल टाइल्स एलएलपी
445. लेपोनो पोर्सिलेनो एलएलपी	446. फ्रेसको प्लस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	447. एडोर सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	448. सेलियो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
449. लेटिक विट्रिफाइड	450. फ्रीटा सिरामिक प्राइवेट	451. आलेंड सिरामिक	452. सेल्वी सिरामिक्स

प्राइवेट लिमिटेड	लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड	
453. लेटोजा ग्रानिटो एलएलपी	454. ग्लोरी सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	455. अलकोरा सिरामिक	456. सेल्जा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
457. लेविटा ग्रानिटो एलएलपी	458. गोल्डक्वायन सिरामिक	459. एलियंट सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	460. सीनियर सिरामिक
461. लेक्सेस ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड	462. ग्रेस्टोन सिरामिक एलएलपी	463. ऐलिक्स सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	464. सेनिस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
465. लेजोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	466. ग्रीनस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	467. अमोथ सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	468. सेपाल सिरामिक
469. एलजीएफ विट्रिफाइड	470. हीलसेरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	471. अमोरा सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	472. सेपाल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
473. लियोली सिरामिका	474. हिलटॉप सिरामिक	475. अमोरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	476. सेरान सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
477. लिवा सिरामिक्स	478. आईकोलक्स पोर्सलेनो एलएलपी	479. एंपल सिरामिक	480. सेवन सिरामिक्स
481. लाइवेंजा ग्रानिटो एलएलपी	482. इटावा टाइल्स एलएलपी	483. अमृत सिरामिक	484. सेवेंजा सिरामिक
485. लिबोला ग्रानिटो एलएलपी	486. जय गणेश विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	487. अनमोल सेरामिक	488. सेजारा सिरामिक
489. लिजर्ट ग्रानिटो एलएलपी	490. जयको सिरामिक	491. एंटिला सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	492. शेरविन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
493. लोसेरो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	494. कैलाशदर्शन टाइल्स एलएलपी	495. अक्सा सिरामिक एलएलपी	496. शिवशक्ति सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
497. लोनिक्स सिरामिका एलएलपी	498. कावेरी सिरामिक	499. एक्कीला सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	500. श्रेया सिरामिक एलएलपी
501. लोरेंस विट्रिफाइड एलएलपी	502. केडा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	503. एराइज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	504. शुभम सिरामिक
505. लोरेन्जो विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	506. कोराडिया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	507. ऐरिक्स सिरामिक	508. शुकानसिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
509. एल टाइल ग्रानिटो-एलएलपी	510. लैंडग्रेस सिरामिक	511. आर्किटोन टाइल्स एलएलपी	512. सिको सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
513. लुफटेन टाइल्स एलएलपी	514. लेंडमार्क टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	515. एरोन सिरामिक	516. सिग्रेचर सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
517. लक्सग्रेस सिरामिका एलएलपी	518. लानफोर्ड सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	519. आर्ट टाइल एलएलपी	520. सिलिकॉन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
521. माक्सन विट्रिफाइड	522. लार्सन सिरामिक	523. आर्टिज सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	524. सिल्वेनिया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
525. मैप्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	526. लीडसन सिरामिक एलएलपी	527. आस्टा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	528. सिल्वेंटा सिरामिक टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
529. मार्बिलानो सर्फेसिस	530. लीजेंड सिरामिक	531. आस्तिस सिरामिक	532. सिल्वरपीयरल टाइल्स

एलएलपी	प्राइवेट लिमिटेड	एलएलपी	प्राइवेट लिमिटेड
533. मार्बिलानो टाइल्स एलएलपी	534. लेमोरेक्स ग्रानिटो एलएलपी	535. आस्टोनिया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	536. सिल्वरस्टोन सिरामिक
537. मार्फिल टाइल्स एलएलपी	538. लेक्सिको सिरामिक	539. अल्टोम सिरामिक	540. सिंबल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
541. मैक्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	542. लेक्सोलाइट सिरामिक एलएलपी	543. ऐवेंजर सिरामिक	544. सिमकेन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
545. मोजिनी टाइल्स एलएलपी	546. एलजीएफ विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	547. एवेंस टाइल्स एलएलपी	548. सिंपन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
549. एमबो ग्रानिटो - एलएलपी	550. लिनक्स टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	551. एविया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	552. सिम्पलोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
553. मेगा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	554. लिवांटो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	555. एवलोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	556. सिंपोलो वाल
557. मेगासिटी विट्रिफाइड एलएलपी	558. लिबोक्सी सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	559. अक्सोली टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	560. सिपोक सिरामिक
561. मेट्रोसिटली टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	562. लोगन सिरामिक	563. बिग टाइल्स	564. सरियम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
565. मेट्रोपोले टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	566. लोरेम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	567. बिस्कान टाइल्स एलएलपी	568. सिसम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
569. मिलेनियम ग्रानिटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	570. लोवाटो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	571. ब्लैकबेरी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	572. स्काई सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
573. मिलेनियम ग्रानिटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	574. लोविन टाइल्स एलएलपी	575. ब्लू लेक सेरामिक	576. सलोग्न सिरामिक
577. मिलेनियम टाइल्स एलएलपी	578. लॉयल सिरामिक एलएलपी	579. ब्लूविन टाइल एलएलपी	580. स्माइल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
581. मिलेनियम विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	582. लुकासो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	583. ब्लूजोन टाइल्स एलएलपी	584. सोबर प्लस सिरामिक्स
585. मिलो टाइल एलएलपी	586. लुनार सिरामिक्स	587. बाँस सिरामिक्स	588. सोफिया सिरामिक
589. मोनार्च सिरामिक	590. लुटन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	591. केलिस्पो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	592. सोलरीज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
593. मोंजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	594. मैजिक सिरामिक	595. कैप्टोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	596. सोलेरियम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
597. मोटो स्टोन प्राइवेट लिमिटेड	598. मैग्रम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	599. कैपटाइल एलएलपी	600. सोलेन्टा सिरामिक एलएलपी
601. मोजार्ट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	602. मार्शल सिरामिक इंडस्ट्रीज	603. कैप्टिव सिरामिक इंडस्ट्रीज	604. सोलविश सिरामिक एलएलपी
605. मोजिला ग्रानिटो एलएलपी	606. मारुति गोल्ड इंडस्ट्रीज	607. सेबन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	608. सोनेक्स इंडस्ट्रीज
609. मल्टीस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	610. मैट्रिक्स सिरामिक	611. सिफोन सिरामिक एलएलपी	612. सोनिक सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड

613. नीलसन सिरामिक एलएलपी	614. एमबी सिरामिक एलएलपी	615. सेराकॉन टाइल्स	616. सोनी सिरामिक्स
617. नीलसन पोर्सलिनो एलएलपी	618. मेगाट्रोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	619. कलर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	620. स्पेनो सिरामिक
621. नेसा विट्रिफाइड	622. मेट्रो सिरामिक	623. कमांडर सिरामिक इन्ड.	624. स्पेनटिका सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
625. न्यू पीयरल विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	626. मेट्रोस्टार टाइल्स एलएलपी	627. कोरल गोल्ड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	628. स्पेनजेन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
629. न्यू वर्धमान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	630. मेट्रोवर्ल्ड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	631. कोरियल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	632. स्पेंजर सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
633. नेक्सियन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	634. मिलेनियम विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	635. क्रिजल टाइल्स एलएलपी	636. स्पाइस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
637. लेक्सटाइल मार्बोसिस प्राइवेट लिमिटेड	638. मिटको सिरामिक्स	639. साइबर सिरामिक्स	640. स्पिनोरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
641. नाइस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	642. मोरल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	643. साइजन सिरामिक एलएलपी	644. स्टेफिना सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
645. नोकेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	646. नमो सिरामिक्स	647. डेल्टन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	648. स्ट्राबेरी सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
649. नोटो ग्रानिटो एलएलपी	650. नेलको सिरामिक्स	651. देवांटो सिरामिक	652. स्ट्रीम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
653. ओसिस टाइल्स एलएलपी	654. ओसियन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	655. डिजिसेरा टाइल्स एलएलपी	656. टाइलम टाइल्स एलएलपी
657. ओसिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	658. आलिविया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	659. डोल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड (नासा सिरामिक (	660. सबवे टाइल्स एलएलपी
661. ओल्विन टाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	662. ओम सिरामिक इंडस्ट्रीज	663. डोलिफर टाइल कान्सेप्ट	664. सक्सेस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
665. ओनेरी टाइल्स एलएलपी	666. ओमन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	667. डुनेक्सा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	668. सनबॉड सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
669. ओरिंडा ग्रानिटो एलएलपी	670. ओमेक्स सिरामिक	671. एडिका सिरामिक्स एलएलपी	672. सनफेस सिरामिक
673. ओरिंडा इंडस्ट्रीज एलएलपी	674. ओपल सिरामिक	675. एडिज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	676. सनफेम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
677. पैशन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	678. ऑप्टेल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	679. यूरोक्वाइन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	680. सनग्रासिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
681. पर्थ सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	682. ओरेंज सिरामिक	683. इवोना बाल टाइल्स एलएलपी	684. सनलैंड सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
685. पायनियर सिरामिक इंडस्ट्रीज	686. ओरेंटो सिरामिक	687. एक्सोरा टाइल्स एलएलपी	688. सनमार्क सिरामिकि
689. प्लेटिना विट्रिफाइड	690. ओरफिना सिरामिक	691. एक्सोटिका सिरामिक	692. सनक्यूरो सिरामिक

प्राइवेट लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड	प्राइवेट लिमिटेड	
693. प्रोटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	694. पारकोस टाइल्स एलएलपी	695. फाबुला सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	696. सनराज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
697. क्यूरो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	698. प्लाजमा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	699. फेस सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	700. सनरे टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
701. क्यूटोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	702. रेडियंट सिरामिक	703. फेम सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	704. सनराज सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
705. रामेस्ट सिरामिक एलएलपी	706. रीयल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	707. फेमस सिरामिक इंडस्ट्रीज	708. सुपरग्रेस सिरामिक एलएलपी
709. रामेस्ट ग्रानिटो एलएलपी	710. रिकोन सिरामिक्स	711. फेवरिट प्लस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	712. सुपरग्रेस टाइल्स एलएलपी
713. रामोजी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड	714. रॉकलैंड सिरामिक एलएलपी	715. फेनिक्स सिरामिक	716. सुपीरियर सिरामिका
717. रीयल सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड	718. रोमेक्स टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	719. फिनोलाइट सिरामिक	720. स्वाट सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
721. रीयल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	722. रॉय सिरामिक्स	723. फ्लेक्टो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	724. स्वीट सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
725. रेडस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	726. रॉयलिका टाइल्स	727. फ्लोरेक्स सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	728. स्वाइडन सिरामिक
729. रेनाइट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	730. साफिलो सिरामिक्स	731. फ्लोराइस सिरामिक एलएलपी	732. स्विम सिरामिक
733. रेक्सोना टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	734. साहेब सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	735. फ्लोरिड सिरामिक	736. टेकॉन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
737. रे सेरा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड	738. सलोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	739. फोरम ग्लेज्ड टाइल्स	740. टाइलग्रेस सिरामिक्स
741. रिच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	742. सान्ट्रो सिरामिक्स	743. जीटोन टाइल्स - एलएलपी	744. टोरिनो टाइल्स एलएलपी
745. रोल्लजा ग्रानिटो एलएलपी	746. सायोना सिरामिक	747. जेमस्टोन सिरामिक एलएलपी	748. उदय इंडस्ट्रीज
749. रोसाटा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	750. सेगल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	751. जेन्यूइन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	752. यूनिरामा सिरामिक एलएलपी
753. रोटान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	754. सेटमेक्स सिरामिक	755. जियोटेक सिरामिक	756. वाडसोला सिरामिक
757. रोजार्क ग्रानिटो एलएलपी	758. शगुन सिरामिक्स	759. ग्लोसरी टाइल्समाई / टाइल	760. वालेनसिया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
761. सनफोर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	762. शालो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	763. ग्रेविटी सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	764. वी-7 सिरामिक
765. संस्कार सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड यूनित-2	766. शेपिहायर सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	767. ग्रेनिक टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	768. वेगांटो सिरामिक

769. सनविस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	770. शुक्न प्लस सिरामिक	771. ग्रेस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	772. वेलोक्स सिरामिक
773. सरजु विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	774. सिमोरा टाइल्स एलएलपी	775. ग्रेटा सेराटेक प्राइवेट लिमिटेड	776. वीनाइस सिरामिक्स
777. साविनो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	778. सिजल सिरामिक	779. ग्रिस सिरामिक एलएलपी	780. वेंटो सिरामिक
781. सेवियो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	782. स्काईमैक्स सिरामिक	783. जीटॉप डिजाइनर - टाइल्स	784. विवांटा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
785. साइंटिफिक टाइल्स एलएलपी	786. स्माल जॉनसन फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	787. हरिसन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	788. बालसेरा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
789. सेगा ग्रानिटो एलएलपी	790. सोबर सिरामिक्स	791. हेम सिरामिक्स	792. बालमार्क सिरामिक इंडस्ट्री
793. सेगम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	794. सॉलिड जॉनसन फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	795. हेक्सा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	796. बालस्टोन सिरामिक
797. सेन्टो विट्रिफाइड एलएलपी	798. सोरिसो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	799. हिलस्टोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	800. वेलकम मिनरल प्राइवेट लिमिटेड
801. सेनटोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	802. स्पा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	803. हिमत ग्लेज्ड टाइल्स	804. वेलकम मिनरल प्राइवेट लिमिटेड
805. सेरन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	806. स्पेन्टागन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	807. हिमसन सिरामिक	808. वेलोना सिरामिक एलएलपी
809. सेज विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	810. स्पेनटो फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	811. हिटको सिरामिक्स प्राइवेट (इंडिया) लिमिटेड	812. व्हाइटगोल्ड सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
813. श्रीजी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	814. स्टेनफोर्ड (गोडविन (सिरामिक	815. इंडेसाइन सिरामिक्स एलएलपी	816. विंडसन सिरामिक
817. श्रीजी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	818. स्टोनजा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	819. इटाका सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	820. विनमैक्स प्लस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
821. श्रीजीवर्ल्ड सिरामिक एलएलपी	822. सुमन सिरामिक्स	823. इटालेक सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	824. विनसन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
825. श्रीम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	826. सनब्राइट सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	827. इटाइल एलएलपी	828. विनटेल सिरामिक - प्राइवेट लिमिटेड
829. शुभ टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	830. सनग्लोस सिरामिक इंडस्ट्रीज	831. इवांटा सिरामिक्स एलएलपी	832. विनटच सिरामिक
833. सिल्क सिरामिक्स	834. सुनोरो सिरामिक इंडस्ट्रीज	835. इयोटा टाइल्स एलएलपी	836. एक्सपर्टसिरामिक्स
837. सिल्क टच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	838. सनटेल सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	839. जुबेली टिलेश एलएलपी	840. जिवन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
841. सिलोन ग्रानिटो एलएलपी	842. सनटोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	843. कल्याण ग्लेज्ड टाइल्स	844. सिमांटो वैरिफाइड एलएलपी

845. सुपीरियर सिरामिका	846. कीजिया टाइल्स एलएलपी (एमफियो टाइल्स)	847. सुपरस्टार सिरामिक	848. किटो सिरामिकि
849. सिमेरो इंटरनेशनल एलएलपी			

साबरकंता डिस्ट्रिक्ट सिरामिक्स एसोसिएशन

1. ओराकल ग्रानिटो लिमिटेड	2. रिवासा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	3. सिगनोवा सिरामिक (एरिना)	4. एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड
5. वी आर एन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	6. सान्द्रो टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	7. सोनाटा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	8. सेंचुरी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
9. अरिस्टन टाइल्स लिमिटेड	10. ऐक्सारो टाइल्स लिमिटेड	11. अडिसन टाइल्स लिमिटेड	12. केथरोज टाइल्स लिमिटेड
13. एमेजोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	14. एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड		

संलग्नक – घ

ऐसे उत्पादकों की सूची, जिन्होंने शुरुआत से पूर्व समर्थन दिया

1. अजवेटो मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	2. एमसेर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	3. लोरेजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	4. सिमांटो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
5. एसिकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	6. इराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	7. मैप्स ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	8. सिमोला विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
9. एडमिन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	10. ऐक्सारो टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	11. मेगा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	12. सिमोलेक्स सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
13. एफिल विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	14. फेमस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	15. मिलेनियम टाइल्स एलएलपी	16. सिमपोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
17. अजिताकेम -सिल- प्राइवेट लिमिटेड	18. फिनोलाइट सिरामिक	19. मोनजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	20. सिसम ग्रानिटो एलएलपी
21. अल्फा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	22. फियोरेन्जा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	23. मोजार्ट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	24. सियाराम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
25. अलफांसो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	26. फुजन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	27. मल्टीस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	28. सियाराम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
29. अम्बाई विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	30. हाक ग्रेनिटो प्राइवेट लिमिटेड	31. नीलसन सिरामिक एलएलपी	32. सकाजेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
33. एसेंट सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड	34. होलिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	35. नेक्सओन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	36. सलीम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
37. एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड	38. आईकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	39. नोकेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	40. स्माल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

41. बिसेरो टाइल्ड एलएलपी	42. आईका ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	43. नोटो ग्रानिटो एलएलपी	44. सोलिजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
45. ब्लू आर्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	46. इटाकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	47. ओसिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	48. सोमानी फाइन विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
49. ब्लूजोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	50. इटालस विट्रिफाइड एलएलपी	51. ओलविन टाइल्स ,इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	52. सपोलो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
53. ब्रावट ग्रानिटो एलएलपी	54. केरा विट्रिफाइड एलएलपी	55. ओराकल ग्रानिटो लिमिटेड	56. स्टेफिर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
57. बोनजा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	58. कोयो ग्रानिटो एलएलपी	59. ओरिंडा ग्रानिटो लिमिटेड	60. सनकोन टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
61. ब्रोनजे ग्रानिटो एलएलपी	62. क्रिप्टन ग्रानिटो एलएलपी	63. पैसन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	64. सनफलोरा विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
65. कैडिलक ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	66. लक्मे विट्रिफाइड एलएलपी	67. पर्थ सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	68. सनग्लेयर विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
69. कैपरोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	70. लाटिग्रेस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	71. प्लेटिना विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	72. सनपार्क ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
73. क्लान विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	74. लविश ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	75. प्रोटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	76. सनवर्ल्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
77. क्लासी टाइल्स एलएलपी	78. लक्सवीर सिरामिक एलएलपी	79. क्यूटोन सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	80. स्वीजर सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
81. क्लेस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	82. लाफंस ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	83. रामेस्ट ग्रानिटो एलएलपी	84. टौरस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
85. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	86. लेमोरेक्स ग्रानिटो एलएलपी	87. रेडस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	88. वेल्बोन विट्रिफाइड एलएलपी
89. कोमेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	90. लेमजोन ग्रानिटो एलएलपी	91. रिच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	92. टोको सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
93. कोसा सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	94. लेनोरा विट्रिफाइड एलएलपी	95. रामोजी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड	96. वेरिटास ग्रानिटो एलएलपी
97. कोरल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	98. लियोपार्ट विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	99. सिल्क टच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	100. वारमोरा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
101. क्रिंजा सिरामि प्राइवेट लिमिटेड	102. लेविटा ग्रानिटो एलएलपी	103. सेगा ग्रानिटो एलएलपी	104. विटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
105. क्रेविटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	106. लेक्सस ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड	107. संस्कार सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड	108. विनटेल सिरामिक्स - प्राइवेट लिमिटेड
109. कुसो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	110. लेजोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	111. सरजु विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	112. विनटॉप विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
113. क्रिस्टल सिरामिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	114. लिवोला ग्रानिटो एलएलपी	115. सेगम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	116. जेड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
117. दुरेजा ग्रानिटो प्राइवेट	118. लिजर्ट ग्रानिटो	119. सेंटो विट्रिफाइड	120. आइका ग्रानिटो प्राइवेट

लिमिटेड	एलएलपी	एलएलपी	लिमिटेड
121. एलिका विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	122. लोसेरो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	123. सेनटोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	124. श्रीम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
125. एमबोजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड			

संलग्नक - ड.

ऐसे उत्पादकों की सूची, जिन्होंने सुनवाई के बाद शुल्क जारी रखने के लिए अनुरोध दाखिल किया

1. अब्रोड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	2. फ्लेवर ग्रानिटो एलएलपी	3. नीलसन सिरामिक एलएलपी	4. श्रीजी सिरामिक इंडस्ट्रीज
5. अकोर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	6. फुजन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	7. नेहा सिरामिक इंडस्ट्रीज	8. श्रीजी विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
9. एसिकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	10. हास ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	11. नेहानी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	12. श्रीम विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
13. एडमिन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	14. होलिस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	15. नेस्सा विट्रिफाइड एलएलपी	16. सिल्क टच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
17. एलायंस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	18. आईबीआईएस स्मार्ट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड	19. नाइस सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	20. सिमेरो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
21. अंबानी विट्रिफाइड टाइल्स	22. आईकोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	23. नोकेन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	24. सिमोला विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
25. अरमानो विट्रिफाइड एलएलपी	26. इटालिका फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	27. नोटो ग्रानिटो एलएलपी	28. सिमोला विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
29. आक्सियन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	30. जेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	31. ऑलविन टाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	32. सिम्पोलो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
33. आक्सवेल ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	34. कामरोन टाइल्स एलएलपी	35. ओरिंड ग्रानिटो एलएलपी	36. सियाराम ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
37. ब्लूआर्ट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	38. केरा विट्रिफाइड एलएलपी	39. ओरिंडा इंडस्ट्रीज एलएलपी	40. स्केजन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
41. बोंजा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	42. कार्डिया सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	43. पैशन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	44. स्माल जानसन फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
45. बराबट ग्रानिटो एलएलपी	46. लैक्मे विट्रिफाइड एलएलपी	47. पर्थ सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	48. सोलिजो विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
49. बराबट ग्रानिटो एलएलपी	50. लटिग्रेस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	51. प्रोटोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	52. स्पार्टन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
53. ब्रांजे ग्रानिटो एलएलपी	54. लेमजॉन ग्रानिटो एलएलपी	55. रमेस्ट ग्रानिटो एलएलपी	56. स्पेरा विट्रिफाइड एलएलपी
57. कार्पन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	58. लेंसवुड सिरामिक्स एलएलपी	59. रामोजी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड	60. स्पेरिटा विट्रिफाइड एलएलपी
61. क्लान विट्रिफाइड प्राइवेट	62. लेविटा ग्रानिटो एलएलपी	63. रेडस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट	64. स्टेनफोर्ड सिरामिक

लिमिटेड		लिमिटेड	
65. क्लेस्टोन ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	66. लेजोरा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	67. रेक्सोना टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	68. सनवर्ल्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
69. कलर ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	70. लिबोला ग्रानिटो एलएलपी	71. रिच विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	72. टौरस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
73. कोमेट ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	74. मार्फिल टाइल्स एलएलपी	75. रोसाटा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	76. वेलोजा ग्रानिटो एलएलपी
77. कमांडर विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	78. मारुति गोल्ड इंडस्ट्रीज	79. सनफोर्ड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	80. वेरिटास ग्रानिटो एलएलपी
81. क्रिजा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड	82. एमनिटो बीओ ग्रा-एलएलपी	83. सविनो ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	84. वेरोना ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड
85. क्रेविटा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	86. मेगा विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	87. सेगम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	88. वेटो सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड
89. डुराकोन विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	90. मिलेनियम ग्रानिटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	91. सेन्टो विट्रिफाइड एलएलपी	92. विक्टरी फ्लोर टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
93. दुरेजा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	94. मिलेनियम विट्रिफाइड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	95. सेनटोसा ग्रानिटो प्राइवेट लिमिटेड	96. विनटॉप विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
97. ऐलिका विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	98. मिलो टाइल एलएलपी	99. सेज विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	100. जेड विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड
101. फेमस विट्रिफाइड प्राइवेट लिमिटेड	102. मोनार्क सिरामिक		

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

FINAL FINDINGS

[Case No. AD (SSR) – 20/2020]

Subject: Sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified Tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption” originating in or exported from China PR.

F. No. 7/39/2020-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application, from Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramics Association, and Sabarkantha District Ceramics Association (hereinafter also referred to as the “Applicants”) requesting initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of glazed/unglazed porcelain/vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The anti-dumping investigation ('the original investigation'), was initiated on 13th October 2015 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to subject goods originating and exported from the subject country. The Authority vide Preliminary Findings dated 11th March 2016 recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country, which was given effect vide Customs Notification No. 12/2016-Customs (ADD) dated 29th March 2016. Thereafter, the Authority, vide its Final Findings No. 14/14/2014 – DGAD dated 8th April 2017 recommended imposition of definitive anti-dumping duty, which were given effect through Notification No. 29/2017 – Customs (ADD) dated 14th June 2017.
3. Gujarat Granito Manufacturers Association and Sabarkantha Distinct Ceramics Association filed Special Civil Application no. 11115 of 2017 and 11851 of 2017 before Hon'ble High Court of Gujarat challenging notification no. 29/2017-Customs (ADD) and final finding dated 08.04.2027. The matter is at present pending before Hon'ble High Court of Gujarat.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, the Authority may conduct a review based on its own initiative as well.
6. The Applicants filed an application, requesting initiation of sunset review of the anti-dumping duty imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duty concerning imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the grounds that the expiry of the measures is likely to result in continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The applicants filed an application claiming likelihood of dumping and injury in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules. Further, the applicants submitted that the ceramic tiles industry in India is fragmented with a large number of small-scale producers located in Morbi and Himmatnagar in Gujarat. It was also emphasized that it was not possible to collect injury data and costing information for the domestic producers accounting for 25% of the total domestic production in a short period of time. It was submitted that more than 90% of the domestic producers belong to the MSME sector. About 244 producers are engaged in the production of the product under consideration, and the production of individual producers is quite low.
7. The application was examined, and it was also noted that the domestic producers who would become part of the domestic industry was not identified in the application at the time of initiation, and therefore, relevant information for determining injury and other costing information was not available.
8. Having regard to the aforesaid facts, considering the fragmented nature of MSME industry, and provisions of Rule 23(1B), the Authority initiated the present sunset review investigation “on its own initiative” (suo motu) vide Initiation Notification dated 22nd January 2021 to review the need for continued imposition of anti-dumping duty in respect of subject goods originating from or exported from China PR.
9. Pending conclusion of the investigation, the anti-dumping duty were extended first extended till 28th June 2021 vide Notification No. 09/2021 – Customs (ADD) dated 25th February 2021. Thereafter the duty was extended again till 31st December 2021 vide Notification No. 34/2021 – Customs (ADD) dated 28th June 2021 and finally till 28th February 2022 vide Notification No. 54/2021 – Customs (ADD) dated 30th September 2021.

B. PROCEDURE

10. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings No. 14/14/2014 – DGAD dated 8th April 2017 wherein, the Designated Authority recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
11. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.

- b. The Authority issued a public notice dated 22nd January 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation of anti-dumping duty on import of subject goods from the subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to other interested parties.
- e. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation along with Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Enping City Huanchang Ceramics Company Limited
 - ii. Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Company Limited
 - iii. Foshan Lihua Ceramics Company Limited
 - iv. Foshan Oceanland Ceramics Company Limited
 - v. Guangdong Haosen Ceramics Company Limited
 - vi. Jiangxi Fuligao Ceramics Company Limited
 - vii. Jingdezhen Kito Ceramic Company Limited
 - viii. Monalisa Group Company Limited
 - ix. New Zhong Yuan Ceramics Import & Export Company Limited
 - x. Qingyuan Ouya Ceramics Company Limited
 - xi. Xin Xing Xian Zhisheng Ceramics Company Limited
- f. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy along with the list of the known producers/ exporters from the subject country.
- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - i. Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Company Limited
 - ii. Foshan Worcester Trade Company Limited
 - iii. Xin Xing Zhisheng Ceramics Company Limited
- h. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Asian Granito India Limited
 - ii. Bright International Import & Export
 - iii. H&R Johnson India
 - iv. Katariya Capital Promoters & Builders
 - v. Malwa Ceramics Private Limited
 - vi. Penda Marketing Private Limited
 - vii. Spaniso Studio
 - viii. The Impex Private Limited
- i. The Authority sent Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Builders Association of India

- ii. Confederation of Real Estate Developers' Association of India
- iii. CREDAI-MCHI
- j. In response to the initiation of the subject investigation, none of the importers/users have responded by filing questionnaire response.
- k. The Authority circulated the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties for inspection by the other interested parties.
- l. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- m. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- n. Having regard to the explanation to Rule 22 of the Anti-Dumping Rules the Authority has considered 1st April 2019 to 30th September 2020 as the period of investigation for the following reasons:

- i. The period of investigation is a recent period and covers one full financial year.
- ii. Since the present investigation involves small scale domestic producers it is preferable to have an investigation period that includes accounting year of the industry.
- iii. The proposed investigation period is a recent period and is consistent with the law.

The injury analysis period covers 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019 and the period of investigation.

- o. The Authority invited views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within the time limit prescribed. Since no comments were received from the other interested parties, the Authority notified the PCN methodology vide letter dated 26th February 2021.
- p. Disclosure statement (NCV) was served to all interested parties with confidential version to concerned interested parties on 18.11.2021 through email along with reasonable time given for filing the comments, if any. The comments were received from one interested party, and the same has been taken on record by the Authority, in this final findings.
- q. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- r. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings, to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- u. ‘***’ in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 73.17.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

12. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“6 The product under consideration in the petition is the same as that in the earlier investigation that is Soluble Salt, Double Charge, GVT and PGVT Porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water absorption of all sizes; excluding Micro-crystal tiles, Full body tiles and Thin Panels below 5 mm thickness.

7. The product under consideration is manufactured using clay, color, powder and chemicals, which are mixed together with water. The slurry is pumped to a spray dryer, to convert it to powder form, which goes for pressing into biscuits and then entered into a dryer. The biscuits are entered into a kiln, at a temperature of 1190 - 1220 Celsius. However, in case of glazed vitrified tiles, the biscuits are first glazed and then entered into a kiln. The tile so produced goes for sizing, rectification and polishing, which gives the final product. However, glazed tiles are not required to go through a separate polishing process.

8. The subject goods are used for coverings floors and walls in buildings, homes, restaurants, cinema halls, airports, swimming pools, railway stations etc. The product under consideration is measured by weight or area. For the present application, the information has been presented in terms of area expressed in square meters.

9. The product under consideration is classified under the Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). Till 2nd February 2017, the product under consideration was classifiable under 69071010, 69071090, 69079010 and 69079090. Thereafter, the prescribed codes have been modified to 69072100 and 69072200. However, the Applicants have submitted that the product is also being imported under 69072190, 69072300, 69073010 and 69074010. Accordingly, the Authority has considered tariff heading 6907 for the purpose of the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

C.1. Submissions of other interested parties

13. No submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of the product under consideration and like article.

C.2. Submissions of the domestic industry

14. The submissions of the domestic industry with regards to product under consideration and like article are as follows:

- a. The scope of the product under consideration is the same as that in the original investigation.
- b. The product has evolved over the period and the domestic industry has started manufacturing large-sized slabs of up to 1600 mm X 3200 mm. While there are no imports of such tiles, the Chinese producers have set up capacities for such products.
- c. The product under consideration is classified under chapter heading 6907. The product under consideration was classified under HS Codes 6907 1010, 6907 1090, 6907 9010 and 6907 9090 till 2nd February 2017. Thereafter, the tariff classification was changed to 6907 2100 and 6907 2200. However, it has also been imported into India under the HS Codes 6907 2190, 6907 2300, 6907 3010 and 6907 4010.
- d. The PCN earlier considered was based on type and size of tiles, However, there is a need for further recognition of product parameters.
- e. There are no differences in the product under consideration produced by the domestic industry and the imported product.
- f. The product profile has changed from 300x300 being the majority product in 2000, to 1000x1000 mm and 1200x1200 mm being the norm now. Product range supplied by the Indian industry is superior to that being supplied by the Chinese producers.

C.3. Examination by the Authority

15. The product under consideration is Soluble Salt, Double Charge, GVT and PGVT Porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water absorption of all sizes; excluding Micro-crystal tiles, Full body tiles and Thin Panels below 5 mm thickness.

16. No interested parties have made any submissions with regard the scope of product under consideration. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation.
17. The subject goods are classified under Chapter Heading 6907. Prior to 2nd February 2017, the subject goods were classified under 6907 1010, 6907 1090, 6907 9010 and 6907 9090. Thereafter, the tariff classification has been modified to 6907 2100 and 6907 2200. The applicants have submitted that the product is also being imported under 6907 2190, 6907 2300, 6907 3010 and 6907 4010. Accordingly, the Authority has considered tariff heading 6907 for the purpose of the present investigation. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of product under consideration.
18. The Authority has considered the following PCN methodology for the purpose of the present investigation: -

Description	Code	Range/parameter
Size in MM	A	Where larger side is upto 500
	B	Where larger side is more than 500 and upto 900
	C	Where larger side is more than 900 and upto 1200
	D	Where larger side is more than 1200 and upto 1800
	E	Where larger side is more than 1800
Thickness in MM	1	Upto 5 mm
	2	More than 5 mm and upto 10 mm
	3	More than 10 mm and upto 15 mm
	4	More than 15 mm and upto 20 mm
	5	More than 20 mm
Surface Finish	1	Glazed Polished
	2	Glazed Un-Polished
	3	Unglazed Polished (including Double Charge, soluble salt)
	4	Unglazed Un-Polished
	5	Other – please specify

19. On the basis of the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. In view of the same, the Authority noted that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the other interested parties

20. The submissions of the other interested parties with regards scope of the domestic industry & standing are as follows:

“There is no clarity on standing and 26.43% cannot be considered as a major proportion. Claim must represent at least 50% along with supports and a threshold below that must not be accepted as a major proportion also as per the consistent practice of the Authority.”

D.2. Submissions of the domestic industry

21. Following submissions have been made by the Applicant with regard to the domestic industry and standing:
- The petition has been filed by Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramics Associations and Sabarkantha District Ceramics Association.

- b. The application filed by producer associations on behalf of their members is sufficient for a sunset review investigation as held by the Authority in investigations related to silk yarns and silk fabrics.
- c. Of the 244 producers, 56 producers, constituting 26.43% of the domestic production have submitted injury data.
- d. D. A further 83 producers have supported the continuation of duty.
- e. The industry for vitrified tiles is a fragmented industry with more than 244 producers with the total number of production lines exceeding 600.
- f. About 90% of the producers belong to the MSME sector, while only 8-10% from other organized sectors.
- g. The individual production of each company is significantly low. However, all the producers are a part of one of the applicant associations.

D.3. Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

23. The application was filed by Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramics Association and Sabarkantha District Ceramics Association. It is noted that there are 244 domestic producers of the subject goods in India and all of them are a part of one or the other said associations. A list of domestic producers who are members of Gujarat Granito Manufacturers Association, or Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, or Morbi Ceramics Association, or Sabarkantha District Ceramics Association is annexed as Attachment-C. It is thus seen that every domestic producer is a member of one or other association, while some producers are members of more than one association.
24. The following members had initially provided their complete data for the purpose of the present investigation.
- a. Kajaria Ceramics Limited
 - b. Kajaria Tiles Private Limited
 - c. Somany Ceramics Limited
 - d. Sudha Somany Ceramics Limited
25. Prior to initiation, the petition was supported by 126 domestic producers of subject goods. The list of producers which expressed support is enclosed as Attachment-D.
26. Post initiation of the investigation, the Authority directed the applicant associations to provide injury and other information in accordance with the Rules in respect of domestic producers of the product under consideration in India. In response, a number of companies provided their injury information. Names of these domestic producers are annexed with this disclosure as Attachment-A. Further, Kajaria Ceramics Limited, Kajaria Tiles P Limited, Acer Granito Private Limited, Somany Ceramics Limited, Somany Fine Vitrified Private Limited and Vintage Tiles Private Limited provided their costing information in the form and manner prescribed.
27. Pursuant to the oral hearing, the Authority received letters from 102 domestic producers supporting the request for continuation of duty. The list of such producers is enclosed as Attachment-E.
28. It was noted that the application was filed by four associations collectively and all the domestic producers are part of at least one or more of the associations. Further, the producers, who have filed injury information collectively account for 26.38% of the total Indian production. The application is thus deemed to have been filed on behalf of the domestic industry. Domestic producers who have provided injury data account for a major proportion in the domestic production in India. It is noted that the producers are not related to any exporter or importer of subject goods in India. The Authority, therefore, holds that the 56 producers that have provided their injury information constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality:

- a) The parties claimed certain information as confidential as permissible in the rule by adducing reasons which is not disputed here. Also, indexation has been provided wherever possible.
- b) Producers like Kajaria, Somany etc. has not even given an indexation of their injury parameters as per Format H which is clearly amenable to indexation.

E.2. Submissions of the domestic industry

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to confidentiality:

- a. The responding producers have claimed excessive confidentiality, which has significantly impaired the ability of the applicants to defend their interests.
- b. The responding producers have not disclosed the data relating to capacity, production and sales in the subject country, even though the same is third party information.

E.3. Examination by the Authority

31. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- 32. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
- 33. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions of the other interested parties

34. The submissions of the other interested parties with regard to miscellaneous issues are as following:

- a) The interested parties have submitted that suo-moto investigation was initiated only when the applicant failed to substantiate their case. Foshan Chancheng is not able to understand how the Authority has considered the information submitted by the Indian producers. Foshan Chancheng will provide rebuttal to specific aspects like standing, claims on dumping and injury etc. only after proper factual disclosure.
- b) Jinyi's exports declined as the importers in India could source the material at lower price than its price domestically due to cutthroat inter se competition in India and the importers were not interested to import even at zero duty, irrespective of the outcome of the Special Civil Application due to an interim order of the Hon'ble Gujarat High Court.
- c) The drop in import was for reasons other than the interim order and the imports dropped as the material was available at a much lower price in India and exporters from China PR could not match such prices in India.
- d) Jinyi reserves it right to respond to many aspects of this investigation upon receipt of proper facts.

- e) Low price in India was the precise reason why imports declined even after many exporters getting zero duty or very low duty.
- f) The issue here is not really public interest but the lack of merit in continuation of the duties anymore as the duties are not essential to curb imports which has almost annihilated. The Indian producers have grown manifold and are big exporters now and competing with China PR etc. in other countries and the ADD has no meaning in such a situation.

F.2. Submissions of the domestic industry

35. The submissions of the domestic industry with regards to miscellaneous issues are as following:
- a. When the initiation notification states that an application was filed by the applicants, it is unclear how the exporters can claim to be unaware of an application made. The application was served upon the respondents vide email dated 1st April 2021. Further, Foshan Chancheng was listed as a known producer, implying that the application would have been served upon them at the stage of initiation itself.
 - b. In response to the contention that there is no disclosure with regard to standing, dumping and likelihood of injury, it was emphasized that the initiation notification not only included the observations of the Authority regarding standing, but also explained the prima facie evidence regarding dumping and likelihood of injury.
 - c. The data obtained by the petitioners reveals that the producers of subject goods in the subject country directly exported the subject goods as well.
 - d. The impact of duty on the users would not be significant.
 - e. The High Court specifically noted that any imports cleared would be liable for payment of additional duty, if the petition filed is accepted. Obviously, in such a situation, the importers would be hesitant to import, as any burden of additional duty would fall on them.
 - f. The trend of decline in exports is not unique to India and therefore, cannot be attributed to the price competition amongst the domestic producers.
 - g. The respondents are not refraining from commenting upon the aspects due to lack of disclosure, but because of lack of any meritorious argument they could make.

F.3. Examination by the Authority

36. With regard to the contention of the other interested parties regarding consideration of information submitted by the Indian producers, the Authority notes that the application for initiation of sunset review investigation was filed by Gujarat Granito Manufacturers Association, Indian Council for Ceramic Tiles and Sanitaryware, Morbi Ceramics Associations and Sabarkantha District Ceramics Association on behalf of the domestic producers. Since the domestic producers who will become part of the domestic industry were not identifiable, the Authority suo moto initiated the investigation based on the application filed.
37. The non-confidential version of the application which contained claims of the applicants with regards to standing, dumping and likelihood of injury was circulated to all the interested parties. The Authority circulated the application filed by the applicants to all known producers and exporters, including the responding producers, in accordance with the provisions of Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. Further, the application was again circulated to all interested parties by the applicant associations on 1st April 2021. Therefore, the responding producers had ample opportunity to make submissions with regard to standing, dumping and likelihood of injury.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the other interested parties

38. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a) Jinyi's domestic price and also export price to India increased significantly in the injury period and by the POI, along with considerable increase in profits, which shows the company is no way compelled to sell the product at any lower price than prevailing prices to India even if the country wide duties are expired.
 - b) Attempts to show high dumping margin has no relevance and the realities of the case must not be undermined by the Authority that imports of Tiles has annihilated with the growth of the Indian producers.

G.2. Submissions of the domestic industry

39. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - b. USA should be considered as surrogate country for the purpose of the present investigation. European Union has considered USA as an appropriate surrogate country in the investigation on subject goods.
 - c. For the purpose of calculation of normal value, price of exports from India to USA have been considered, based on the published trade data. Adjustments with respect to ocean freight, insurance and customs duty have been made to the FOB prices in order to arrive at ex-factory prices.
 - d. European Commission has analysed and found that USA is an appropriate surrogate country for China PR. In this regard, European Commission has analysed level of production, level of consumption, level of competition, lack of import restrictions, significant volume of imports in USA, as well as similarity of production process with producers in China PR.
 - e. Normal value can be determined based on the price of exports from a third country to the subject country as previously done in various cases like 'PX13' originating in or exported from Chinese Taipei, European Union. Accordingly, price of exports from India to USA can be considered as normal value.
 - f. The domestic industry is providing PCN-wise price of exports from India to USA, based on the prices at which participating producers are exporting to USA.
 - g. Normal value can be determined based on price paid or payable in India, only when it is not possible to determine normal value based on price or constructed value in a surrogate country or price of exports from such country to other countries.
 - h. Despite a lapse of more than nine months from the initiation, the exporters have not made any submission regarding appropriateness of USA as an appropriate surrogate country. Therefore, they should now be precluded from making any submissions.
 - i. The secondary data shows direct exports by Foshan Chancheng, whereas the producer has claimed that it has only exported through Foshan Worceter. The Authority is requested to call for and examine DG Systems data to evaluate the same.
 - j. Foshan Chancheng has disclosed only ocean freight and marine insurance as adjustments, whereas it must have also incurred inland freight, bank charges, commission and port handling charges
 - k. While the cost of Xin Xing has increased by 76%, and the cost of Foshan Chancheng has increased by 6%, the selling price of Foshan Worceter has increased by only 50%. This implies an increase in cost by 36% has been absorbed by the producers.
 - l. There is a need to examine whether any sales have been made through M/s Sheenway, or other parties forming part of channel of distribution in the past investigations, for further exports to India.
 - m. The Authority is requested to consider whether Foshan Worceter has purchased and supplied products produced by any other producer in the present investigation as well.

G.3. Examination by the Authority

40. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ('Anti-Dumping Agreement') and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

41. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted information substantiating that they are operating under market economy conditions, the normal value is required to be determined as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

G.4. Determination of Normal Value

42. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

43. The domestic industry has claimed that normal value should be determined based on the prices in USA. In this regard, they have relied on the findings of the European Commission. The Authority has examined the findings of the European Commission and noted that the Commission found that USA is an appropriate market economy third country for determination of normal value of China PR. In this regard, European Commission has analyzed level production, level of consumption, level of competition, lack of import restrictions, significant volume of imports in USA, as well as similarity of production process with producers in China PR.

"(60) Based on available information, the Commission concluded that the USA had significant production and a satisfactory level of competition on its domestic market. The USA's domestic consumption was around 254 million m². There were at least 28 domestic producers. Moreover, imports represent 68 % of the consumption, originating mainly from the PRC (from a total import volume of 49 million m²). Apart from a customs duty of 8.5 %-10 % there are no import restrictions in force. The US

producers used a similar production process than the Chinese sampled exporting producers. The US cooperating producers reported as domestic sales respectively 2,0 and 2,9 million m²."

The Authority notes that the European Commission has already examined the relevant parameters for considering whether USA can be considered as an appropriate market economy third country for determination of normal value for China PR. The other interested parties have also not brought forth any material to indicate that USA cannot be considered for determination of normal value. In view of the same, the Authority finds that the normal value can be determined based on prices or constructed value in USA.

44. The Authority also notes that as per the provisions of para 7, the normal value may also be determined based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from such country to other countries, including India. The Authority notes that there is no information available with regard to constructed value in USA. The Authority also notes the product does not have a dedicated product code, and other products are also imported under the same codes. Therefore, the determination of normal value based on the prices of exports from USA under the entire HS Code would not be appropriate.
45. The Authority also explored whether normal value can be determined based on the prices of imports from a market economy third country into India. The Authority notes that there are significant imports from European Union into India, exceeding 3% of total imports into the country. However, the PCN is not identifiable in the DGCI&S data. Accordingly, the Authority has not determined based on exports from a market economy third country to other countries, including India.
46. In view of the foregoing, the Authority found that the normal value can be determined based only on the prices in a market economy third country, USA. In this regard, few of the applicant domestic producers have furnished their data for exports to USA. Considering such exports, the Authority has been able to determine prices in USA on a PCN-wise basis.
47. The Authority also considered that under the provisions of para (7) of Annexure – I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price of exports from such a third country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India. This has also been observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs. Exide Industries Ltd., as under.

"7.By this notification a separate procedure was prescribed for determining the normal value of non-market economies. Paragraph 7 to Annexure I now provides for the determination of the normal value with reference to the price paid by a third country with a market economy to India of a like product. If such a third country is selected, the Designated Authority has to inform the exporters of the selection and grant them a reasonable period to offer their comments. It is only if this procedure is not possible that the Designated Authority can act on any other 'reasonable basis'. In other words, the Designated Authority must exhaust the first method before moving to the alternative procedure."

The Hon'ble Supreme Court has held that the Authority may move to the alternative procedures, only when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in market economy third country, or price of exports from such a third country to other countries, including India. Since in the present case, it is possible to determine normal value based on price in a market economy third country, no reference can be made to price paid or payable in India.

48. In view of the foregoing, the Authority has determined the normal value based on price of exports by domestic industry to USA. Since such exports were made on FOB basis, ocean freight, insurance and customs duty in USA have been added to arrive at the price in the USA for product under consideration. The normal value so determined is indicated in the dumping margin table below.

G.5. Determination of Export Price

49. The followings producers / exporters have filed responses to Exporters' Questionnaire:

- i. Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Company Limited
- ii. Foshan Worceter Trade Company Limited
- iii. Xin Xing Zhisheng Ceramics Company Limited

Export price for Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Company Limited, Foshan Worceter Trade Company Limited and Xin Xing Zhisheng Ceramics Company Limited

50. Exporters' questionnaire response has been filed by a tiles manufacturer from China PR namely Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. along with Xin Xing Xian Zhisheng Ceramics Co., Ltd, who is a related tiles biscuit manufacturer, and Foshan Worceter Trade Co., Ltd, who is a related exporter of the subject goods

to India. It is noted from the EQR filed by the aforesaid related companies that during the POI, the Group has exported *** SQR. MTR of subject goods to India. The Authority has verified the data through remote cross check, and other supporting documents. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, and the same have been allowed. The export price has been determined on PCN basis and accordingly, the weighted average export price determined is provided in the dumping margin table.

51. The domestic industry has claimed that the producer Foshan Chancheng has also exported directly to India, which has not been disclosed in the response. To examine the claim, the Authority has examined the transaction wise import data received from DG Systems and it is observed that there are no exports of the PUC by Foshan Chancheng to India during the POI.
52. Further, the domestic industry has claimed that Foshan Chancheng was exporting the subject goods through M/s Sheenway. However, the Authority notes that there are no supporting documents validating the claim of the domestic industry in this regard.

For all other producers/exporters from China PR

53. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.6. Dumping Margin

54. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows: -

Sl. No.	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/SQM)	(USD/SQM)	(USD/SQM)	(%)	(Range)
China PR						
1	Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. And Xin Xing Zhisheng Ceramics Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
2	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	***	110-120

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the other interested parties

55. The submissions made by the other interested parties with regards to injury and causal link are as follows:
 - a. The petitioners have stated that PCN-wise undercutting should be considered, but have not provided the same.
 - b. The negative price undercutting implies that prices of domestic producers declined due to inter-se unhealthy competition. The net sales realization is below the non-injurious price. This shows that the anti-dumping duties are not serving any purpose.
 - c. Parameters show that Indian producers are not vulnerable to the imports. Indian producers hid the performance parameters by claiming no injury to the domestic industry.
 - d. The duties on the import of subject goods from the subject country have served their purpose and there is no reason to extend the duties for a further period of 5 years.
 - e. The exports from the subject country declined, even though the duties are nil.
 - f. During the original investigation, no duty was imposed on Foshan Chancheng. Even during the current period, the imports of Foshan Chancheng were not injurious.

- g. The information provided by Foshan Chancheng show that none of the parameters for listed under clause (vii) of Annexure-II exist. Examination on the parameters must be conducted based on the exporter questionnaire response of Foshan Chancheng and not with the countrywide claim.
- h. While the petitioners have claimed that the Indian producers belong to SME/MSME sector, the producers also include large producers like Kajaria Ceramics, Cera Sanitaryware, Somany Ceramics, Asian Granito, etc. which are making huge profits. This is evident from the published financial results of these producers. The SME/MSME units are suffering from decline in profits or increased losses due to unfair competition from large players.
- i. Number of plants of the subject country have been shut down due to pollution measures by the Government of China PR, which further indicates lack of likelihood.
- j. The contention that the participation of Foshan Chancheng itself shows likelihood is contrary to legal framework and shows that the petitioners want decisions based solely on their claims.
- k. There is a nominal decline in the inventory level of Foshan Chancheng.
- l. Export price of Foshan Chancheng to India and domestic price significantly increased with increase in profits of the company. This indicates that the company is in no way selling the product below the price prevailing in India.
- m. The Indian producers are selling the subject goods below the price of imports due to inter se competition.
- n. There is no price effect from exports by Foshan Chancheng as the price of imports from Foshan Chancheng is higher than net sales realisation, cost and net import price of the domestic industry, even if considered on PCN-wise basis.
- o. The capacity utilization of the Foshan Chancheng was 95-100% during the injury period, and therefore, there are no surplus capacities for export to India or to a third country.
- p. Contrary to the claim of the petitioners, the interim order of Hon'ble Gujarat High Court allowed imports as per prevailing notification and there was no order to collect cash deposits or bonds. Exports of Foshan Chancheng declined as the importers in India due to availability of lower priced material domestically. Otherwise, Foshan Chancheng would have approached the Court for timely conclusion of the SCA.
- q. Capacity expansion and increased market share of Indian producers show no likelihood of injury to the domestic industry.
- r. The landed price of imports from Jinyi was much higher than the NSR, Cost and NIP of the domestic industry which rules out any price effects from exports by Jinyi.
- s. The reason as to why the Indian producers are selling at a price much lower than the landed price of imports and their own NIP when ADD is in place is not explained at all.
- t. The imports have declined in this matter as the exporters could not match the lower prices in India. Thus, not the determination of injury margin, but the cause of negative injury margin is the issue which requires examination in this matter.
- u. Injury margin determination is a settled practice before the Authority and the freight cannot be considered as part of the NIP or landed price of imports.

H.2. Submissions of the domestic industry

56. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link are as follows:

- a. Domestic industry is not suffering injury at present, as the anti-dumping duties have kept the imports at dumped prices in check.
- b. Regarding the performance parameters of the petitioners, it was submitted that the petitioners themselves have acknowledged that the domestic industry is not suffering any injury. The economic parameters were shared with the respondents on 25th June 2021.
- c. Since the present case is based only on likelihood of recurrence of injury and the petitioners are requesting for extension of same duty, there is no need for determination of injury margin in the present investigation as held in of Nirma Limited vs. Union of India.
- d. Unless the freight cost is considered, the injury margin determined would not be appropriate, and would not allow a fair comparison as more than 80% of production of tiles is in Gujarat whereas the consumption is spread throughout the Country.

- e. There is no requirement to assess causal link between likely dumping and likely injury in a sunset review.
- f. The domestic industry has not suffered injury due to other factors such as import from other countries, contraction in demand, trade restriction policy, changes in technology and production process, pattern of consumption.
- g. The petitioners have given extensive information showing likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury in the event of expiry of duty.
- h. There is continued dumping of the subject goods by the producers during the period of investigation.
- i. There is a long history of dumping by the producers which caused injury to the domestic industry.
- j. The producers are not only dumping the subject goods in India but have also resorted to dumping of subject goods in Brazil, European Union, GCC, Korea RP, Mexico, Pakistan and USA as well. As a result, other jurisdictions have also imposed duty on the exports from China PR.
- k. 77% of the exports from the subject country to third countries are at dumped prices.
- l. The imports from the subject country have declined only due to the duties in force. This is evident from the findings in the original investigation as well, wherein the Authority noted that the imports declined when the duty was in force till 2013-14, but increased after expiry of duty.
- m. Even though nil duties were imposed against some exporters, the duties were challenged before the Gujarat High Court. The Court has passed interim orders that the imports may be cleared at duties specified in the notification subject to final order passed by the Court.
- n. It is evident that the imports have declined due to duties as the same trend can be observed in other jurisdictions such as USA, Mexico, Brazil, Argentina, Pakistan and Saudi Arabia.
- o. India was the 4th largest market for the producers in the subject country, prior to the imposition of duty.
- p. The increase in price of imports is only due to anti-dumping duty in force, as the price of exports to other countries have not shown such an increase.
- q. The increase in prices is as a result of change in product mix.
- r. As compared to 244 producers in India, there are around 1500 producers in China, having about 3600 production lines. China PR accounts for more than 60% of the global capacities.
- s. The producers from the subject country are highly export oriented, with 67.65% capacities held for export.
- t. There are significant underutilized capacities in the subject country. Despite this, the producers in the subject country are continuing to add further capacities.
- u. While there was significant demand in the country, such demand was not equal to the capacities set up. Further, the growth in demand for real estate has declined.
- v. The producers in subject country are facing loss of export markets. The exports have declined by 229.7 million square meters, which is equivalent to 48% of the demand in India.
- w. The interested parties have claimed that a number of plants were shutdown in China PR, but have not provided evidence of the same.
- x. Responding to the contention that the domestic industry has not provided information with regard to PCN-wise undercutting, it was submitted that it is not possible to determine PCN in DGCIS import data due to incomplete description given in the data.
- y. As regards sale of subject goods below import price, it was submitted that the domestic producers were selling at profitable prices till 2018-19. Thereafter, the profits dipped in the period of investigation, which was affected by Covid-19.
- z. As regards the allegation that decline in profits of domestic industry is due to unfair competition from large players, it is submitted that the injury analysis is required to be conducted for domestic industry as a whole, and not individual constituents as held by the Appellate Body in the case of United States – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan. Further, a number of smaller producers have witnessed an improvement in profitability, whereas some of the larger producers have witnessed decline in performance.
- aa. Contrary to the claim of the interested parties, the non-injurious price cannot be compared with the net sales realization, as the former is determined for the purpose of injury margin only which is evident

- from the findings of the Authority in the anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin C from China PR.
- bb. Regarding non-imposition of duties on Foshan Chancheng, it was submitted that the determination of injury margin in the previous investigation is under consideration by the Hon'ble High Court of Gujarat. The petitioners had raised concerns that there is a need to include freight to determine the non-injurious price in the original investigation. Further, changes in consumption or utilization should not be considered as inefficiencies as they were on account of changes in product mix. When a bigger tile is produced, it is also thicker, leading to an increase in clay used per square meters. Moreover, due to the longer baking period, there is an increase in consumption of utilities while capacity utilization declined.
 - cc. If non-injurious price is determined, optimum utilization of raw materials, utilities and capacities should not be considered, as they may vary due to changes in product mix. The domestic industry has also contended that optimum utilization of raw materials, utilities and capacities should not be considered for determination of non-injurious price, as they are affected by changes in product mix.
 - dd. Regarding the contention that there is no dumping or injury by Foshan Chancheng, it was submitted that the dumping margin for the producer is positive. Further, the data of the exporter suggests that it is absorbing cost increases, suffering increase in inventories, and face lack of other markets. In any case, likelihood of continuation of dumping and injury to the petitioners is to be evaluated for producers in the subject country as a whole and not for individual producers.
 - ee. Regarding price effect from exports by Foshan Chancheng, the domestic industry highlighted that the average price cannot be considered for analysis and the respondents have exported goods as samples at a significantly higher price. Further they have also exported goods in non-commercial volumes of less than 1,000 square meters, small sized tiles of 48 mm x 48 mm, at significantly higher prices.
 - ff. As regards the contention that inventory of Foshan Chancheng has declined, it was pointed out that production declined by 1%, whereas the total sales declined by 4%. In such a situation, the inventories should have increased, and not shown a decline.
 - gg. Contrary to the assertion of the exporters, the domestic industry did not claim that participation by exporters shows that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping. Rather, the exporters claimed that the lack of participation by other producers shows that the producers do not have any interest in the market.

H.3. Examination by the Authority

57. The interested parties have contended that there are a number of large-scale producers of the subject goods, and that while the large-scale producers have earned profits, the smaller producers are suffering injury. The Authority notes that it is no one's case that all producers of the product belong to the MSME sector. The applicants have only claimed that 90% of the producers belong to the MSME sector. This fact has not been controverted by the interested parties. As regards performance of large-scale and small-scale producers falling within the scope of domestic industry, the Authority notes that it is required to undertake injury analysis for the totality of the domestic industry, and not one part, sector or segment of the domestic industry. Therefore, no reliance can be placed on the performance of individual producers within the domestic industry. Having regard to the totality of the domestic industry, the Authority has recorded its observations hereinbelow regarding whether the domestic industry has suffered material injury.

H.3.1. Assessment of demand / apparent consumption

58. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Domestic industry	Million SQM	84	112	148	238	159
Other producers	Million SQM	265	277	296	476	317
Subject imports	Million SQM	7	3	2	2	1
Other imports	Million SQM	1	1	1	2	1
Demand	Million SQM	357	394	446	717	478

59. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

60. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Subject imports	Million SQM	6.68	3.15	1.53	1.70	1.14
Other imports	Million SQM	1.40	1.42	1.07	1.61	1.07
Total	Million SQM	8.08	4.58	2.60	3.31	2.21
Imports in relation to						
Domestic production	%	1.74	0.64	0.26	0.16	0.16
Consumption	%	1.87	0.80	0.34	0.24	0.24
Total Imports	%	83	69	59	51	51

61. It is seen that the volume of subject imports in absolute terms as well as in relation to consumption and production in India is insignificant.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

62. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

63. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. In order to ensure a fair comparison, the Authority has calculated the PCN-wise price undercutting. However, the Authority notes that PCN-wise data is not identifiable in the DGCI&S data. Accordingly, the Authority has referred the responses filed by the cooperating exporter in the present case, for determination of price undercutting.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	Rs./SQM	***
Landed price of imports	Rs./SQM	***
Price undercutting	Rs./SQM	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	Negative

64. It is also noted that on the basis of aggregate DGCIS data covering all imports of subject goods from subject country, the price undercutting is also negative.
65. It is seen that the product under consideration has been imported at varying prices and the volume of import in individual transactions also varies significantly. While the prices could vary due to different PCN involved, even in respect of one PCN, the price difference is quite significant. The Association has submitted that even when the average price undercutting is negative, there are significant transactions of subject goods from subject country where the price undercutting is positive. The Association has submitted that transactional level price

undercutting is directly supported by the WTO decision in the matter of European Communities-Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [WT/DS219/R].

b) Price suppression/depression

66. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	Rs./SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	89	84
Selling price	Rs./SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	88	80
Landed price	Rs./SQM	468	500	566	594
Trend	Indexed	100	107	121	127

67. It is seen that cost of sales and selling price of the domestic industry has declined over the injury period while the landed price of the subject imports has increased, and is much higher than cost of sales and selling price. Thus, landed price of subject goods has not adversely impacted the subject goods in the domestic market.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

68. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

69. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Capacity	Million SQM	231	309	357	545	364
Production	Million SQM	97	132	169	279	186
Capacity utilization	%	42	43	47	51	51
Domestic sales	Million SQM	86	113	149	247	165
Export sales	Million SQM	8	13	18	34	23

70. The Authority notes that the capacity, capacity utilisation, production and sales of the domestic industry have increased over the injury period.

b) Market share

71. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject imports	%	1.87	0.80	0.34	0.24

Other imports	%	0.39	0.36	0.24	0.22
Domestic industry	%	23.42	28.36	33.05	33.18
Other producers	%	74.32	70.48	66.37	66.36
Total	%	100%	100%	100%	100%

72. It is seen that the market share of the domestic industry has increased over the injury period and the Indian industry commands the majority of market in India.

c) Inventories

73. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening inventory	Million SQM	6.84	10.00	16.15	17.38
Closing inventory	Million SQM	10.00	16.15	17.38	15.60
Average inventory	Million SQM	8.42	13.08	16.80	16.54

74. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased over the injury period.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

75. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Cost of sales	Rs./SQM	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	89	84	84
Selling price	Rs./SQM	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	88	80	80
Profit/(loss)	Rs./SQM	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	70	37	37
Profits/(loss)	Rs. crore	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	123	71	71
Cash profits	Rs. crore	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	143	106	106
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	99	70	70

76. The Authority notes that both the selling price and cost of sales of the domestic industry have declined over the injury period. However, the selling price has declined more than the decline in cost of sales. Accordingly, the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry has declined over the injury period. The domestic industry has conceded that this decline during the period of investigation is on account of Covid-19.

e) Employment, wages and productivity

77. Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
No of employees	Nos	7,129	8,803	9,294	9,513	9,513
Trend	Indexed	100	123	130	133	133
Productivity per day	Million sqm/Day	0.27	0.37	0.47	0.52	0.52
Trend	Indexed	100	136	173	191	191
Productivity per employee	Million sqm/Nos	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02
Trend	Indexed	100	110	133	143	143
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	148	156	156
Wages per unit	Rs./sqm	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	83	83	83

78. It is seen that number of employees and productivity per day of the domestic industry has increased over the injury period.

f) Magnitude of dumping

79. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

g) Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI(A)
Capacity	%	-	33.92	15.71	52.64
Production	%	-	36.04	27.33	65.22
Domestic sales	%	-	32.10	31.82	65.56
Profit/(loss) per unit	%	-	(22.32)	(9.41)	(47.24)
Cash profit	%	-	17.37	21.93	11.15
Return on capital employed	%	-	(6.22)	5.67	(29.64)

80. It is noted that the capacity, production and domestic sales have shown growth over the injury period. The profitability parameters of the domestic industry declined. Cash profits have shown a growth in 2018-19 but thereafter declined in the period of investigation. Return on capital employed is negative in 2017-18 but increased in 2018-19. However, return on capital employed declined again in the period of investigation.

h) Ability to raise capital investment

81. The Authority notes that the domestic industry has the ability to raise fresh investment.

i) Factors affecting prices

82. The domestic producers hold 34% of the market share and the Indian industry holds almost all the demand in India. The negligible volume of imports has not impacted the prices of the domestic industry during the present period.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

83. Considering the fragmented nature of the industry, and the number of producers involved, the Authority found it appropriate to undertake sampling of domestic producers for the purpose of determination of non-injurious price. Therefore, while the information concerning all producers constituting domestic industry was considered for injury analysis, the non-injurious price and injury margin has been determined based on data of a sample. For this purpose, the Authority determined a statistically valid sample, and vide email dated 28th September

2021, the Authority communicated to the applicants that the following sampled producers were required to furnish the costing information.

- a. Kajaria Ceramics Limited
- b. Kajaria Tiles Private Limited
- c. Somany Ceramics Limited
- d. Somany Fine Vitrified Limited
- e. Simpolo Vitrified Private Limited
- f. Nexion International Private Limited
- g. Fusion Granito Private Limited
- h. Sentosa Granito Private Limited
- i. Eracon Vitrified Private Limited
- j. Nessa Vitrified LLP
- k. Sento Vitrified LLP
- l. Kera Vitrified LLP
- m. Color Granito Private Limited
- n. Coral Granito Private Limited
- o. Jet Granito Private Limited

84. Accordingly, the Authority has determined Non-Injurious Price for the sampled domestic producers as mentioned above on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, utilities and production capacity by the domestic industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
85. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
86. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:-

SN	Name of producers	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(Rs/SQM)	(Rs/SQM)	(Rs/SQM)	(%)	(Range in %)
1	Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. And Xin Xing Zhisheng Ceramics Co., Ltd.	***	***	***	Negative	Negative
2	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	Negative	Negative

I.1.1. Analysis of injury

87. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry clearly shows that:
- i. The volume of imports in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India is negligible.
 - ii. The weighted average price undercutting for all imports is negative.
 - iii. The imports have not suppressed or depressed the prices of the domestic industry.
 - iv. The production, sales and capacity of the domestic industry increased.
 - v. The market share of imports is negligible, and the Indian industry holds almost all of the demand in the Indian market.
 - vi. The profits, the cash profits and the return on capital employed of the domestic industry have declined, due to Covid-19 along with other factors.
 - vii. While the volume parameters of the domestic industry have shown growth, the profitability parameters have shown negative growth.
 - viii. The imports have not impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments of the product under consideration.
 - ix. The prices of the domestic industry are not impacted by imports during the injury period.
 - x. The dumping margin is positive and significant.
88. The Authority concludes that the volume of imports has significantly declined in absolute terms, and in relation to production & consumption, imports were not undercutting the domestic industry prices & the domestic industry did not suffer depressing or suppressing effect on its prices on account of dumped imports of subject goods from subject country with the existing antidumping duty. Further, performance of domestic industry has not deteriorated over the current injury period, and the domestic industry has not suffered material injury due to subject imports owing to the anti-dumping duty in force.

I.1.2. Non-attribution analysis

89. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry

a) Volume and value of imports from third countries

90. It is seen that other than subject imports, major imports are from European Union. However, such imports are priced much more than the price of the subject imports. Further, the price of imports from European Union is higher than the selling price of the domestic industry. Other than the subject country and European Union, imports from other countries are negligible in volume. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b) Contraction in demand

91. The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently grown throughout the injury period. Thus, the domestic industry has not suffered any injury on this account.

c) Pattern of consumption

92. It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

93. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country. With regards to the claim of the other interested parties that injury to the domestic industry could be due to the inter-

se domestic competition, the Authority notes that competition between the domestic producers existed throughout the injury period when the domestic industry did not suffer any injury. The domestic industry only witnessed a decline during the period of investigation, which it has acknowledged on account of Covid-19. Thus, inter-se competition between domestic producers is not likely to cause injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

94. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

f) Productivity

95. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

96. The Authority notes that injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

97. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

J.1.1. Submissions of the other interested parties

98. The submissions made by the other interested parties with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:
- a. Jinyi did not export at a price injuring the domestic industry in the current POI also and the Company is confident that even if the duties are found essential against China PR, the quantum will continue as Nil in case of exports by Jinyi.
 - b. An examination of the information submitted by Jinyi in the context of the parameters as mentioned under clause (vii) of Annexure II of the AD
 - c. Rules would show that none of the parameters show any likelihood of dumping and injury in the case of exports by Jinyi if the duties are removed. A company specific examination of parameters must be conducted based on EQR of Jinyi and country wide claims should not be attributed to it.
 - d. The exports by the Jinyi even when the duties were zero has tremendously declined from a 100 basis indexed points in the base year to 23 indexed points in the POI. Thus, there is no increase. Rather the exports declined indicating no likelihood. The decline is clearly part of massive capacity expansion and gaining of market share by the Indian producers and the trend is not going to be reversed even if the duties are allowed to be expired.
 - e. Capacity and capacity utilization figures of Jinyi do not show any likelihood in terms of freely disposable capacity.
 - f. Even the nominal inventory level with the company only declined by the POI from 100 to 99 indexed points. Thus, there is no likelihood from this parameter also.
 - g. If participation is the bench mark to determine likelihood, then there is no likelihood in the present matter as only one exporter group is participating in the present matter whereas in the original matter, more than 50 groups participated along with many importers etc.
 - h. While the tile industry in India is in the thriving stage, many plants in China PR have been shut due to pollution control measures and China PR is not any threat to Indian tiles industry and there are no facts adduced to rebut this position.
 - i. The overall capacity situation in China PR or measures on Chinese exports in other countries etc. has no bearing on Jinyi as the company was not exporting to any such other countries nor it has any excess capacity. Its capacity is primarily used for Chinese market itself and even after reduction in exports to India, its capacity utilization remained very high around 95-100% with reduction in inventory. Jinyi does

not show any sign of likelihood of dumping and injury in its exports even if the duties are expired, which is in any case nil now.

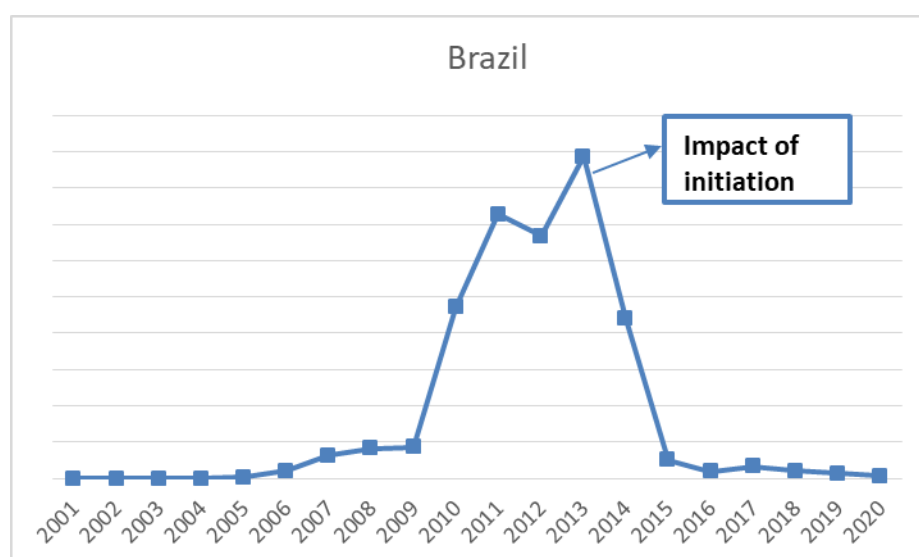
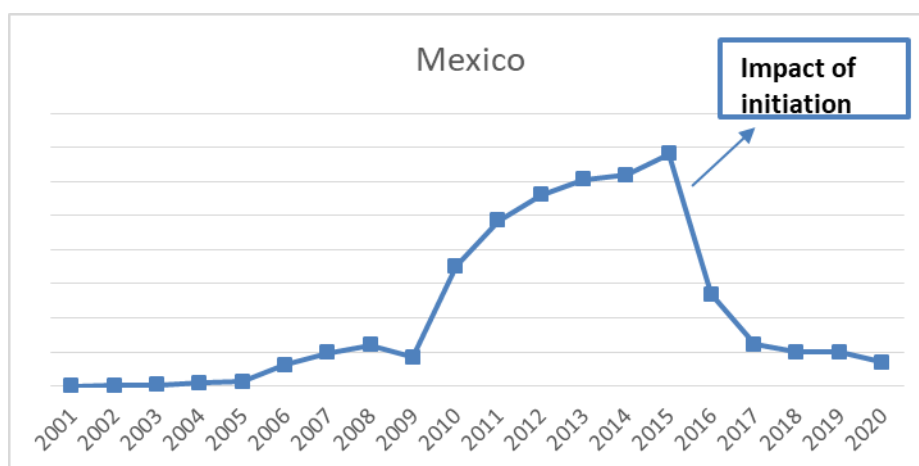
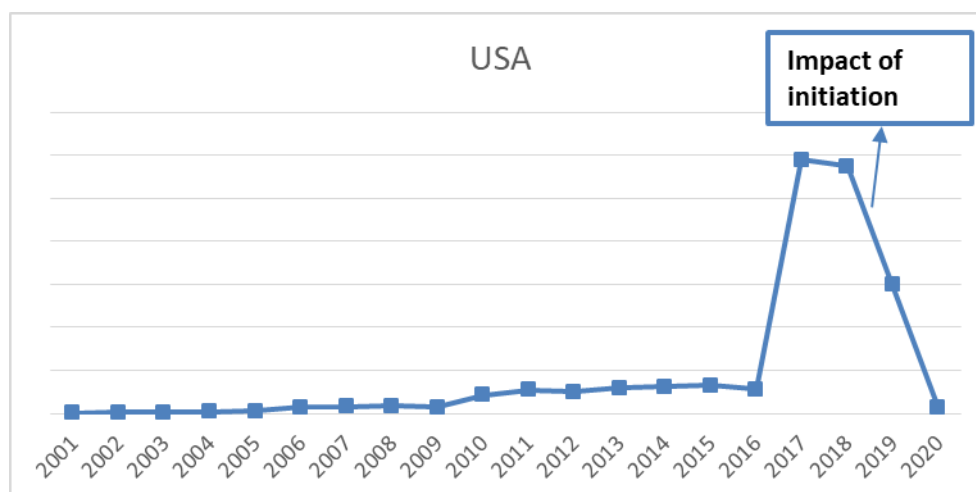
- j. The unhealthy inter se competition has created negative effects on the Indian producers and such competition continues to be a concern for them and no ADD is essential in such a scenario as the threat is now from unhealthy inter se competition triggered by excess Indian capacity and not from imports from China PR.

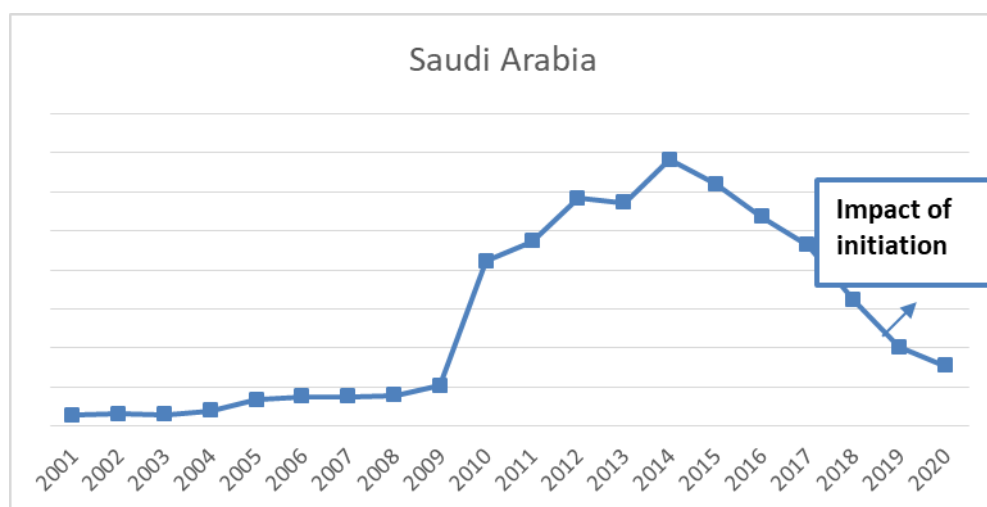
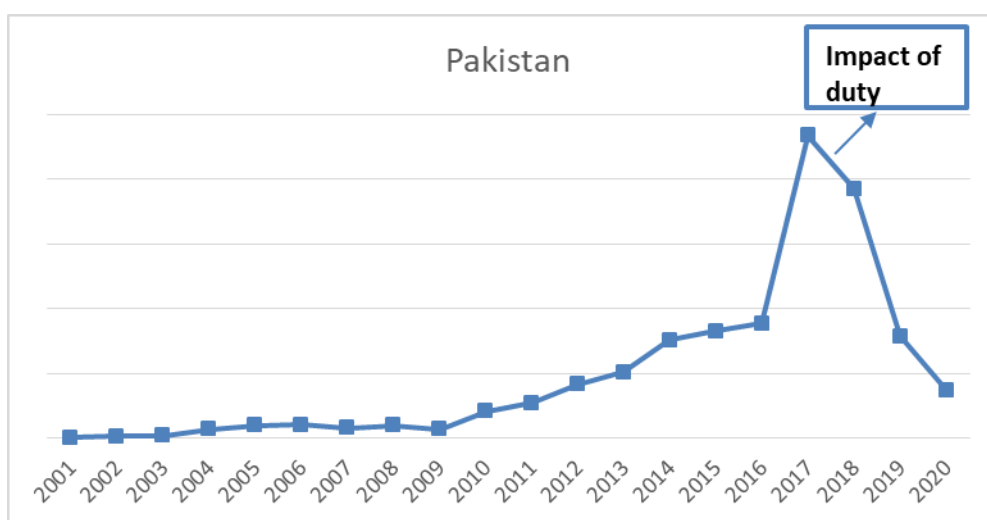
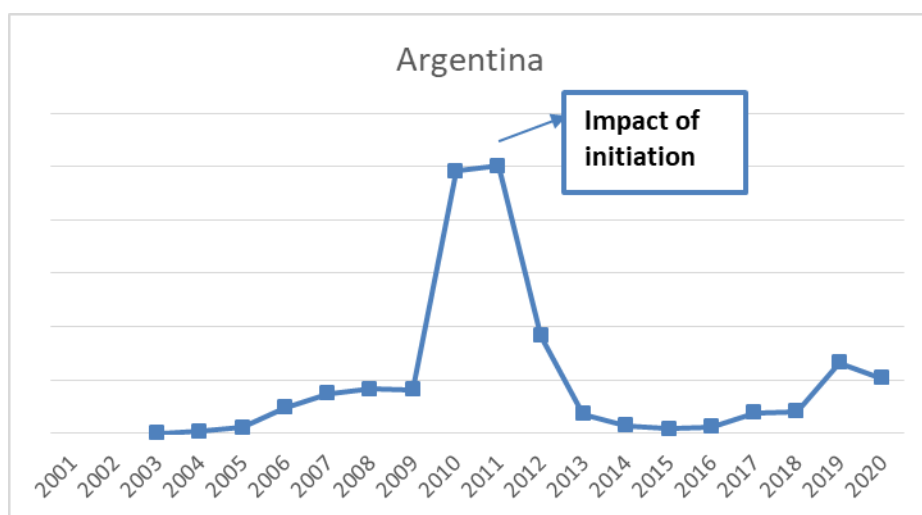
J.1.2. Submissions of the domestic industry

99. The submissions made by the domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- a. The continued dumping, despite duties in force, clearly demonstrates that the dumping is only likely to continue if the duties are removed.
- b. The producers in the subject country have a tendency to resort to unfair pricing behavior.
- c. The unfair pricing practices are evident from the fact that the producers are not only dumping the subject goods in India but have also resorted to dumping of subject goods in other countries as well.
- d. In the absence of duty, continued dumping of the subject goods is likely.
- e. The imports have declined only due to the duties in force.
- f. Vide order dated 13th July 2017, the Hon'ble Gujarat High Court directed that the imports may be cleared at duties specified in the notification subject to final order passed by the Court. That is, in case, the Court finds that there is a need to increase the duties, the additional duties shall be recovered from the importers. Since this created an uncertainty with regard to the duties applicable, the imports abated, as there was an apprehension that higher duties may be collected at a later stage.
- g. The imports declined only due to the duties in force, from the fact that the exports to other jurisdictions also declined, once anti-dumping investigation was initiated or duty was imposed against China PR.
- h. Decline in the exports from the subject country is only due to the present duties which are in force. However, in the event of expiry of duties, India is likely to become a major market for exports from the subject country again.
- i. The increase in price of exports to India does not reflect a real increase in prices of the exporters. Rather, it is only a reflection of the change in product mix, owing to the duties in force.
- j. The subject country has huge domestic production as compared to India.
- k. Excess surplus capacity held by the producers of the subject country are meant for export. Thus, producers from the subject country are highly export oriented.
- l. Even if the producers in China PR increase their capacity utilization by 10%, the Indian producers are likely to be wiped out from the Indian market.
- m. The new plants are being set up to produce large-sized tiles.
- n. While there was significant demand in the country, such demand was not equal to the capacities set up. Further, the domestic demand in the country has witnessed a decline in the recent period.
- o. In the absence of duties, the domestic producers are likely to face loss of market.
- p. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry is to be evaluated for producers in the subject country as a whole and not for individual producers and exporters.
- q. The production of the respondents declined by 1% over the period, whereas the total sales declined by 4%. In such a situation, the inventories of the respondents should have increased, and not show a decline.
- r. The petitioners clarify that they had only pointed out that while the respondents are suggesting that non-participation by producers implies a lack of interest in the Indian market, the respondents are participating in the investigation which shows that they were still interested in the Indian market.
- s. The respondents have failed to adduce any evidence to show that the plants in China PR are being shut down. Even after extensive research, the petitioners have not been able to find an iota of evidence to suggest that there is large-scale closure of plants in the subject country.
- t. The domestic industry has also submitted that the growth rate of real estate sector in China PR has declined. Further, real estate market has witnessed a decline due to COVID-19 pandemic.

- u. The decline in imports during the existence of duty is not unique to India. The exports from China PR to some of the other jurisdictions have also followed the same trend. In all the jurisdictions, when the anti-dumping duty was imposed, the imports have declined as can be seen from the table below:





- v. Due to imposition of duty, only high priced special products are being imported into India. It is also submitted that while the price of exports to India has increased by 56%, the price of other exports has increased by only 11%. This indicates that in the absence of duties, the price of exports to India is likely to decline.

Price in Rs./sqm

Particulars	2015-16	POI	Change
Exports to India	345	788	56%
Global exports	501	560	11%

J.1.3. Examination by the Authority

100. The Authority observes that this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
101. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
102. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provide, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article being investigated.
103. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

a. Continued dumping of subject goods

104. The dumping of the subject goods has continued from China PR, in spite of the duties in force. For the cooperative producer from China PR as well, the dumping margin is positive while the injury margin is negative. Thus, in absence of duties, the dumping of subject goods is likely to continue. It is also noted that the contention of the domestic industry given in their submissions that the volume of exports from China to a number of countries rose sharply, and the same resulted in trade remedies by these countries, and the volume of Chinese exports to these countries fell sharply thereafter, thus indicating the Chinese producer's behaviour, has also remained uncontroverted.

b. History of dumping of the subject goods

105. The producers in the subject country have a history of dumping the subject goods in the country as they were found to be dumping in the previous investigations in 2003, 2008 and 2017 as well. Thus, if the present duties are allowed to expire, the dumping of subject goods is likely to continue.

c. Third country dumping

106. The domestic industry has provided information with regard to exports from the subject country to show that the producers in the subject country are also dumping the subject goods in third countries as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	China PR
Total Exports from China	Million Sqm	685.92
Exports at dumped prices	Million Sqm	592.32

Exports at dumped prices - Dumping	USD Sqm	5.31
Share of dumped volume in total exports	%	86%

Source: Trade data

d. Imposition of anti-dumping duties by third countries

107. Various third countries including Argentina, Brazil, European Union, GCC, Korea RP, Mexico, Pakistan and USA, have imposed anti-dumping duty on import of PUC in their country from China PR, (as specified in the table below) which highlights the tendency of the producers from subject country to dump.

Country	Year of imposition	Form of duty	Quantum of duty
Argentina	2018	Ad valorem	27.7%
Brazil	2014, continued pursuant to review in 2019	Fixed quantum	3.34 to 6.42 USD per sqm
European Union	2017	Ad valorem	13.9% to 69.7%
GCC	2020	Ad valorem	23.05%
Korea RP	2005, continued pursuant to reviews in 2011, 2015 and 2018	Ad valorem	9.07% to 29.41%
Mexico	2016	Fixed quantum	2.9 to 12.42 USD per sqm
Pakistan	2017	Ad valorem	9.35% to 36.35%
USA	2020	Ad valorem	229.04% to 356.02%

e. Significant surplus capacities in the subject country

108. The producers in China PR hold 60% global production capacities which is more than three times their estimated domestic demand.

Particulars	Unit	China PR
Capacity	Million sqm	17,000
Production	Million sqm	11,100
Demand in China PR	Million sqm	5,500
Exportable capacity	Million sqm	11,500
Exportable capacity as a share of total capacity	%	67.65%
Production	Million sqm	11,100
Capacity utilization	%	65%
Unutilized capacities	Million sqm	5,900
Demand in India	Million sqm	478
Exportable capacity in relation to demand in India	Times	24.06
Unutilized capacities in relation to demand in India	Times	12.34

(*Figures as per findings of EC)

Considering that the idle capacities of the Chinese producers are more than 10 times the demand in India, the imports are likely to increase in the event of expiry of duty.

109. The interested parties have contended that the plants in the subject country have shut down due to pollution measures. However, no evidence of the same has been provided by the parties to demonstrate the same.

f. Recent capacity expansions in the subject country

110. In addition to existing significant capacities in the subject country, the producers are setting up new capacities. The domestic industry also submitted that Monalisa Company, Guang Dong ICOT Ceramics, Sun Enterprise Group and Goldme Ceramics are adding capacities.

g. Loss of export markets

111. The domestic industry submitted that the producers in the subject country have lost export markets as well. The information provided by the domestic industry shows that the exports from China have declined in 2019 as compared to 2016, as can be seen from the table below:

Volume in million sqm

Region	2016	2019	Decline
Asia	583.1	477.6	-18%
Africa	197.9	120.1	-39%
NAFTA	78.2	45.2	-42%
Latin America	80.0	75.5	-6%
European Union	15.9	10.0	-37%
Other Europe	10.2	10.3	1%
Oceania	34.7	31.8	-8%
Total	1,000.2	770.5	-23%

**Source: Ceramic world review*

112. In total, the total exports from China PR have declined by 229 million square meters, which is significant. In the event of cessation of anti-dumping duties on import of subject goods from China PR, these exports are likely to be diverted to India.

h. Reduction in imports post imposition of duty

113. The domestic industry submitted that the volume of imports has declined significantly over the injury period due to anti-dumping duty in force. The interested parties have contended that major exporters are subjected to nil duties, and accordingly, the decline in imports is not as a consequence of duties. In response, the domestic industry has referred to the interim order of the Hon'ble High Court of Gujarat. The Authority notes that the domestic industry had filed a writ [Special Civil Application No. 11115 of 2017 with Special Civil Application No. 11851 of 2017] challenging the quantum of duties determined in the original investigation. The challenge was primarily with regard to the determination of non-injurious price and injury margin. Vide interim order dated 13th July 2017, the High Court has directed as under.

“4. This Court is of the view that let there be a direction to respondent nos.1 and 3 to ensure that above said exporters from China and importers of same or similar goods in India, shall have to furnish details of the material imported for domestic consumption and clearance of the same will be subject to final outcome of these petitions and further order that may be passed in these petitions. It would be open to concerned exporters and/or importers of such goods to approach this Court with prayer for joining party seeking audience in this proceeding, if so desired.

5. It goes without saying that at present and till any further orders are passed, the duty as specified in the notification against the exports, shall be paid subject to final outcome in these petitions and the clearance of imported goods of the subject material will be as per final orders passed in these matters. In case, if the prayers made in this petition are accepted, then the import so cleared, as per the existing notification dated 21st July, 2017 will be liable for payment of additional duty that would be paid and the duty that would be imposed after the result of the petition, in case if these petitions are allowed.”

114. The Court, therefore, allowed clearance of goods as per the existing rates, mentioned in the customs notification. The exporters from China and importers in India were required to furnish details of details of the goods imported. However, the imports were made subject to the final outcome of the petitions. If the Court

finds merit in the petitions and allows the same, the importers will be liable to pay anti-dumping duty on the imports already cleared and sold/consumed. Therefore, the Authority finds merit in the contention of domestic industry that interim orders of the High Court have deterred imports, as there was a threat of additional duty burden, should the petitions be accepted.

115. Since the imports have declined due to the existence of anti-dumping duties, it is evident that the imports are likely to increase in the absence of duty. The Authority recalls that similar trend was observed in the past as well. In the original investigation, the Authority noted that the imports declined till 2013-14, due to anti-dumping duties in force. However, after cessation of duty, the imports increased substantially.
116. Based on information on record, the Authority notes that prior to imposition of present anti-dumping duties, India was the fourth largest export market for producers in the subject country in 2014-15 and 2015-16. In 2015-16, exports to India accounted for 6.65% of total exports from the subject country. However, with the imposition of provisional and definitive duties, the exports to India declined and India became the 21st largest market in 2016 and 34th largest market in 2017. At present, India constitutes only a small share of the exports from the country. However, this shows that India was a major market for the Chinese producers in the absence of duties.

Volume in million sqm

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Global exports	406	378	390	626	585	465	365
Exports to India	19	25	6	4	2	1	1
Share of India in global exports	4.66%	6.65%	1.42%	0.65%	0.36%	0.30%	0.27%
Ranking*	4 th	4 th	21 st	34 th	41 st	51 st	58 th

**position of Indian market, in terms of ranking of exports markets by size*

117. The Authority notes the volume of exports from China to global markets at dumped prices as well as below export price to India is significant. Further, landed price in respect of significant volume of exports to global markets are below NIP of the domestic industry. These injurious exports would be sufficient to take away production of more than 15 producers.

Total Exports from China	Million Sqm	685.92
Exports at dumped prices	Million Sqm	592.32
Exports at dumped prices - Dumping	USD SQM	5.31
Share of dumped volume in total exports	%	86%
Attractive volume (which is being exported below India price)	Million Sqm	603.84
Injurious Volume	Million MT	0.85
Injurious Volume in SQM	SQM	4,06,34,105
Avg production of 242 producers	SQM	26,78,600.60
Injurious Volume in SQM - sufficient to production of	Nos	15.17

Source: Trade data

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions made by the other interested parties

118. The submissions made by the other interested parties are as under:

- a) The disclosure at para 29 shows that the producers who have filed injury information collectively account for 26.38% of the total Indian production. However, Trade Notice No 9/2021 dated 29th July, 2021 which was in effect at the time of issuance of the present Disclosure clearly stated the requirement of at least 50% share. It is submitted that a 26.38% share in Indian production cannot be considered as sufficient percentage to meet the major proportion requirement in the Rule. It is decades old practice of this very Authority that at least 50% share along with supporters is considered as a major proportion and diluting such practices as prayed by the DI in the present case is not justified in any manner.

- b) The disclosure at para 18 reaffirms that the Authority has considered a PCN methodology in this investigation. However, there are no PCN wise separate disclosure of facts.
- c) Consideration of USA as an appropriate third country and export price from India to USA at landed levels in USA as a basis of the price in USA for the purpose of normal value for China PR is not supported by proper and reliable facts and warrants reconsideration.
- d) Jinyi reiterates its submissions that the allegation of likelihood of dumping and injury so far it concerns exports by Jinyi is totally unsubstantiated. The disclosure has evaluation of likelihood parameters concerning China PR as a whole and there are no such likelihood evaluations done specifically for Jinyi.
- e) The disclosure has considered unit of measurement as MSQM/SQM at most of the places. But, USD/MT and Rs/MT is used at places like dumping margin and injury margin table and likelihood tables which appears inconsistent with the use of SQM and price per SQM at other places.
- f) The undercutting and also underselling in the present case is significantly negative and that too when the ADD in force is not considered. The factor which has kept the domestic industry's/Indian producer's price so low in comparison to the landed price of import price is the precise reason for fall in imports and not the ADD per se.
- g) It is not shown in the likelihood analysis how the prevailing prices in India will make the Indian market lucrative for the Chinese producers after the expiry of duties when the price in India even when the duties in force is significantly lower than the landed price of imports from China PR. Why would China PR divert its material to such low-priced market is not explained and certain factors are mechanically put together to suggest likelihood which is not correct.
- h) It is requested to put the name of Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. in the duty table. The same has been correctly mentioned in the dumping margin and injury margin table in the disclosure statement.

K.2. Submission made by the Domestic Industry

119. The submissions made by the domestic industry are as under:

- a) While the domestic industry submitted that non-injurious price is not required to be determined in the present case, the Authority has determined non-injurious price in the present case.
- b) There is no inefficient utilisation of production capacities by the domestic industry. Any decline in capacity utilisation is because of factors other than within the control of the domestic industry.
- c) As the size of tile increases, the production of the plant reduces. Therefore, any decline in capacity utilization due to change in size of tiles should not be considered as inefficiency.
- d) In case of some producers normated raw material cost is artificially low, if the provisions of Annexure III are mechanically applied. However, reason for this difference is that the production of glazed tile has increased in the current period as compared to the past, and glazing chemicals are quite expensive.
- e) Change in utilization of raw materials is not on account of inefficient utilisation of raw materials. It is a matter of different product mix (higher production of unglazed tiles and lower production of glazed tiles in the past) and different raw materials used for different types of the product.
- f) Comparison of ex-factory NIP with price at port is without any legal, factual, economic basis and completely ignores business realities.
- g) The Authority has allowed a return based on the depreciated value of the assets. However, in such a case the non-injurious price would not allow a reasonable return on the fresh investment.

K.3. Examination by the Authority

120. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority are examined below:

- a) As regards to the contention of the other interested parties that a 26.38% share in Indian production cannot be considered as sufficient percentage to meet the major proportion requirement, the Authority notes that vide Trade Notice No. 11/2021 dated 18th November, 2021, para 3 of the Trade Notice No 9/2021 dated 29th July, 2021 was substituted as under:

“Where the industry is fragmented and consists of excessively large number of domestic producers, the application for AD/CVD investigation can be filed by an Association on behalf of domestic industry. Such domestic producers must constitute a major proportion of the total eligible domestic production of like

article as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 ("AD Rules")/ Rule 2(b) and Rule 6(3)(a) of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (CVD Rules"), as the case may be."

In the present investigation the producers, who have filed injury information collectively account for 26.38% of the total Indian production. Domestic producers who have provided injury data account for a major proportion in the domestic production in India. It is noted that the producers are not related to any exporter or importer of subject goods in India. The application is thus deemed to have been filed on behalf of the domestic industry. The Authority, therefore, holds that the 56 producers that have provided their injury information constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

- b) As regards to the contention of the other interested parties that the Authority has considered a PCN methodology in this investigation and there are no PCN wise separate disclosure of facts, it is noted by the Authority that the PCN is not identifiable in the DGCI&S data concerning imports of subject goods from China PR.
- c) As regards to the contention of the other interested parties that the consideration of USA as an appropriate third country and export price from India to USA at landed levels in USA as a basis of the price in USA for the purpose of normal value for China PR, it is reiterated that none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. In addition to it, the other interested parties have also not brought forth any material to indicate that USA cannot be considered for determination of normal value. In view of the same, the Authority finds that the normal value can be determined based on prices or constructed value in USA.
- d) As regards to the submission of the other interested parties that the disclosure has evaluation of likelihood parameters concerning China PR as a whole and there are no such likelihood evaluations done specifically for Jinyi, the Authority notes that the information on third country exports by Jinyi has not been provided.
- e) The Authority notes the submission of the other interested parties that the disclosure has considered unit of measurement as MSQM/SQM at most of the places and USD/MT and Rs/MT is used at places like dumping margin and injury margin table and likelihood tables. Accordingly, the unit of measurement has been changed to MSQM/SQM wherever required for consistency.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1. Submissions of the other interested parties

121. No submissions have been made by the other interested parties with regards to Indian industry's interest.

L.2. Submissions of the domestic industry

122. The submissions made by the other interested parties with regards to Indian industry's interest are as follows:

- a. Capacity of Indian industry has increased from 3 million square meter to more than 1,000 million square meters.
- b. The domestic producers have sufficient capacities to cater to the entire demand in the country and the subject.
- c. As the Indian industry is entirely capable to meet the entire demand in the country, cheap imports would necessitate outflow of foreign exchange payments going out of the country.
- d. The investment made by industries has increased from Rs. 100 Crore in 2000, to Rs. 50,000 Crore in present year.
- e. The industry provides direct employment to 1,25,000 individuals, and indirect employment for 2,00,000.
- f. The industry has a production of 700 million square meters, with an additional capacity of more than 300 million square meters becoming available in due course.
- g. The major raw materials are also sourced locally. Domestic production of the goods implies significant savings of foreign exchange.
- h. The prices of the product under consideration have declined from Rs. 400-700 per square meter in 2000 to Rs. 100-120 per square meter at present.

- i. The continuation of anti-dumping measure on imports of product under consideration would be in the interests of the domestic manufacturers, consumers and public at large.
- j. If the floodgates to cheap imports are opened, the survival of the MSME producers, that operate on small margins, would be threatened.
- k. There is healthy market competition between domestic producers and as a result, the subject goods are available in the market at competitive prices.
- l. If the domestic producers suffer in the domestic market, they would not be able to achieve their export potential as well.
- m. The continuation of duty is not likely to have a significant impact on users as the the cost of tiles in the total cost of construction is not very high.
- n. The producers in the subject country receive significant support from the Government directly as well as indirectly, which has a determinantal effect on the conditions of competition in India.

L.3. Examination by the Authority

- 123. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 124. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
- 125. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. However, it is noted that barring the domestic industry, no other parties have made any submissions with regard to public interest.
- 126. The domestic industry has highlighted that the number of producers has increased from about 5 producers in 2005 to 244 producers at present. The industry has installed capacity of more than 1,000 million square meters. In order to achieve this growth, the Indian industry has invested about Rs. 50,000 crores in the product. With increase in capacities, the employment generated by the Indian industry has increased and the industry is providing employment to 1,25,000 individuals directly and 2,00,000 individuals indirectly.
- 127. While the industry has achieved significant growth, a number of producers belong to the MSME sector. The domestic industry has submitted that only 8-10% of the producers belong to the organized sector. Therefore, the continuation of duties would be important to maintain the viability of the smaller producers. The domestic producers are vulnerable as the profitability has declined in recent period due to Covid-19 pandemic. In such a case, dumping of product under consideration will adversely impact the performance of the Indian industry.
- 128. It is further noted that the price of product under consideration has declined significantly during the duration of the anti-dumping duty. Further, the product range of the producers has evolved, and they are supplying tiles of 1000X1000 mm and 1200X1200 mm, as well as tiles of upto 1600X3200 mm.
- 129. In view of the foregoing, the Authority notes that the Indian industry has achieved growth during the life of the duty. However, since the industry continues to be vulnerable and there is likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is removed, continuation of anti-dumping duty would be in the interest of the industry.
- 130. The Authority has also examined the impact of the continuation of duty on the interests of the users. The Authority notes that the imposition of duty does not restrict imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. Further, there is no demand-supply gap in the country. As against a demand of less than 500 million square meters, the production of the domestic producers is 700 million square meters. The capacity of the domestic producers is double the demand in the country. Therefore, even if there are no imports from the subject country, the domestic supply is more than sufficient to cater to the demand. Additionally, the product can also be imported from other countries, including Italy, Spain, UAE and other countries, at fair prices.

131. The Authority also notes that there is a significant number of producers in India, and the producers have capacities exceeding the domestic demand and exports. Therefore, there is significant price competition between the domestic producers. This ensures that the users have ample availability of the product, at competitive prices. No undue advantage of the anti-dumping duty is possible in such a situation.
132. The Authority notes that the major raw material is locally procured by the domestic producers and the domestic producers are catering to almost the entirety of demand in India which has led to saving of substantial amount of foreign exchange. The industry has also emphasized that it is the second largest exporter of the product, and is therefore, earning foreign exchange for the country. However, if the viability of the operations of the industry is affected, the exports would also suffer.
133. The domestic industry has provided an impact analysis of continuation of anti-dumping duty on the users. The Authority has considered the impact on the users, as per the residual duties applicable of USD 1.87 per square meter. The impact of the anti-dumping duty on the cost to the users is as below.

Particulars	Unit	Value
Total construction cost - four floors	Rs. Lakhs	250
Area per floor	sq ft	1,500
Coverage area for tiles	sq ft	1,100
Coverage area for tiles	sqm	102
Coverage area for tiles - four floors	sqm	409
Price of tiles (landed price)	Rs./sqm	594
Total cost of tiles	Rs. Lakhs	2.43
Share of tiles in total construction cost	%	0.97%
Anti-dumping duty	USD/SQM	1.87
Exchange Rate (Present)		74.40
Anti-dumping duty	Rs./sqm	139.13
Total duty on tiles for 4 floors	Rs. Lakhs	0.57
Impact	%	0.23%

It is noted that there is no significant impact on the users as the cost of product under consideration in construction is insignificant.

M. CONCLUSIONS

134. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- The product under consideration is Soluble Salt, Double Charge, GVT and PGVT Porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water absorption of all sizes; excluding Micro-crystal tiles, full body tiles and thin panels below 5 mm thickness.
 - The product produced by the domestic industry is like article to the PUC imported from the subject country.
 - The product under consideration continues to be exported to India at prices below normal value resulting in continued dumping. The volume of imports has remained low because of antidumping duty in force. However, the volume of import is likely to increase significantly, considering the low & dumped price at which goods have been exported from China to third countries, significant surplus capacities in China coupled with further addition to capacities. It is evident that the dumping of the product is likely to continue and the volume of imports is likely to increase significantly in the event of cessation of anti-dumping duties.
 - In event of expiry of anti-dumping duty, there is clear likelihood of dumping in significant volumes and consequent to injury to the domestic industry. Chinese producers have been found to have exported the product at dumped prices during previous investigations in 2003, 2008 in 2017 as well,

which clearly establishes history of dumping of the product in the country. A significant volume of product is being exported from China to third countries at dumped prices, further showing likelihood of dumping in the event of cessation of duty. Chinese producers are facing trade remedy measures in a number of countries globally. The trend of imports in these countries clearly show a significant increase in Chinese exports to these countries before invoking action and a significant decline in Chinese exports after imposition of measures. Chinese producers are holding significant unutilized capacities and some of the Chinese producers are now further adding production capacities.

- e) The Authority notes that imposition of anti-dumping duties on the product under consideration has led to significant increase in number of domestic producers, and the product is now largely produced in MSME sector. India has emerged as second largest producer of tiles globally. At the same time, there is no evidence of possible adverse effect of the ADD imposed either on the consumer or on construction cost.
- f) Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information.
- g) From the information on record, it is also seen that the impact of ADD on the consumers is quite insignificant. Further, it is seen that there has been a significant decline in the price of the product over the injury period after imposition of ADD which establishes that imposition of ADD has not led to increase in prices. Therefore, there is no reason to believe that continuation of present measure is likely to lead to increase in the prices of the product in the country.
- h) In view of the above, the Authority finds that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury upon cessation of the existing anti-dumping duties and recommends continuation of anti-dumping measures for a further period of five years.

N. RECOMMENDATIONS

135. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
136. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duty are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR, except in respect of those producers who have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producers and exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty as applicable at present. Accordingly, the anti-dumping duty for responding producers and non-cooperative producers from subject country are recommended as per the duty table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, on all imports of the subject goods, mentioned in column 3, originating in or exported from China PR, equivalent to amount mentioned as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

DUTY TABLE

S. No	Heading g / Subheading*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	69.07, 69.08, 69.14*	Soluble Salt, Double GVT Charge, and PGVT Porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water	China PR	Any country including China PR	Foshan Chancheng Jinyi Ceramics Co., Ltd. And Xin Xing Zhisheng Ceramics	Nil	SQM	USD

S. No	Heading g / Subheading*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
		absorption and All sizes**			Co., Ltd.			
2	-Do-	-Do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1	1.87	SQM	USD
3	-Do-	-Do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1.87	SQM	USD

* The subject goods are being imported under tariff headings No. 69.07, 69.08, 69.14. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

** The product does not cover Micro-crystal tiles, Full body tiles and Thin Panels below 5 mm thickness.

137. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

O. FURTHER PROCEDURE

138. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
139. The recommendation shall be subject to the final outcome of the writ petitions filed before the Hon'ble Ahmedabad High Court.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Attachment-A

List of domestic producers that submitted injury data, post initiation of investigation

1. Acer Granito Private Limited	15. Eracon Vitrified Private Limited	29. Mozart Vitrified Private Limited	43. Rollza Private Limited
2. Admin Vitrified Private Limited	16. Famous Vitrified Private Limited	30. Multistone Granito Private Limited	44. Sega Granito LLP
3. Alfonso Vitrified Private Limited	17. Fusion Granito Private Limited	31. Nessa Vitrified LLP	45. Segam Tiles Private Limited
4. Blizzart Vitrified LLP	18. Hollis Vitrified Private Limited	32. Nexion International Private Limited	46. Sento Vitrified Private Limited
5. BlueArt Granito Private Limited	19. Italus Vitrified Private Limited	33. Nice Ceramic Private Limited	47. Sentosa Granito Private Limited
6. Bluezone Vitrified Private Limited	20. Jet Granito Private Limited	34. Oasis Tiles Private Limited	48. Simpolo Vitrified Private Limited
7. Bronze Granito LLP	21. Kajaria Ceramics Limited	35. Oasis Vitrified Private Limited	49. Skajen Vitrified Private Limited
8. Color Granito Private	22. Kajaria Tiles Limited	36. Olwin Tiles India	50. Somany Ceramics

Limited		Private Limited	Limited
9. Coral Granito Private Limited	23. Kera Vitrified LLP	37. Oracle Granito Limited	51. Somany Fine Vitrified Limited
10. Cruso Vitrified	24. Lemorex Granito LLP	38. Passion Vitrified Private Limited	52. Suncore Tiles Private Limited
11. Dureza Granito Private Limited	25. Lemstone Granito	39. Perth Ceramic Private Limited	53. Sunworld Vitrified Private Limited
12. Elica Vitrified Private Limited	26. Lemzone Granito LLP	40. Proton Granito Private Limited	54. Taurus Tiles Private Limited
13. Emboza Granito Private Limited	27. Maps Granito Private Limited	41. Quro Vitrified Private Limited	55. Vintage Tiles Private Limited
14. Emcer Ceramic	28. Morbilano Tiles LLP	42. Ramest Granito Private Limited	56. Zealtop Tiles Private Limited

Attachment-B

List of sampled producers who have provided costing information

- a. Kajaria Ceramics Limited
- b. Kajaria Tiles Private Limited
- c. Somany Ceramics Limited
- d. Somany Fine Vitrified Limited
- e. Simpolo Vitrified Private Limited
- f. Nexion International Private Limited
- g. Fusion Granito Private Limited
- h. Sentosa Granito Private Limited
- i. Eracon Vitrified Private Limited
- j. Nessa Vitrified LLP
- k. Sento Vitrified LLP
- l. Kera Vitrified LLP
- m. Color Granito Private Limited
- n. Coral Granito Private Limited
- o. Jet Granito Private Limited

Attachment-C

List of members of each association

Gujarat Granito Manufacturers Association

1. Aajveto Manu.P.L.	2. Icon Granito Pvt. Ltd.	3. Orinda Granito Pvt. Ltd.	4. Soranto Granito Pvt. Ltd.
5. Acecon Vitrified Pvt. Ltd.	6. Ikaa Granito Pvt. Ltd.	7. Ozon Vitrified Pvt. Ltd.	8. Sparron Vitrified LLP
9. Acer Granito Pvt. Ltd.	10. Itacon Granito Pvt. Ltd.	11. Parcos Tiles LLP	12. Sparten Granito P.L.

13. Admin Vittrified Pvt. Ltd.	14. Italus Vittrified LLP	15. Passion Vittrified Pvt. Ltd.	16. Specturm Johnson Vittrified
17. Adoration Ceramic LLP	18. Itcos Granito LLP	19. Pavart Vittrified	20. Spolo Ceramic Pvt. Ltd.
21. Affil Vittrified Pvt. Ltd.	22. Jaxx Vittrified Pvt. Ltd.	23. Perth Ceramic Pvt. Ltd.	24. Stefina Vittrified Pvt. Ltd.
25. Alfa Vittrified Tiles Pvt. Ltd.	26. Jet Granito Pvt. Ltd.	27. Platina Vittrified Pvt. Ltd.	28. Stenford Ceramic
29. Alfanso Vittrified Pvt. Ltd.	30. Kag Vittrified	31. Plazma Granito Pvt. Ltd.	32. Sunflora Vittrified Pvt. Ltd.
33. Alinta Granito Pvt. Ltd.	34. Kera Vittrified LLP	35. Proton Granito Pvt. Ltd.	36. Sunglare Vittrified
37. Alliance Vittrified Tiles Pvt. Ltd.	38. Koyo Granito LLP.	39. Quro Vittrified Pvt. Ltd.	40. Sunpark Granito Pvt. Ltd.
41. Ambani Vittrified Pvt. Ltd.	42. Krypton Granito Pvt. Ltd.	43. Qutone Granito Pvt. Ltd.	44. Sunshine Tiles Company Pvt. Ltd.(S
45. Antique Marbonite Pvt. Ltd.	46. Laffans Granito Pvt. Ltd.	47. Ramest Granito LLP	48. Sunworld Vittrified Pvt. Ltd.
49. Armano Vittrified LLP	50. Lakme Vittrified LLP.	51. Ramoji Granite Pvt. Ltd.	52. Sunworld 2 Vittrified Pvt. Ltd.
53. Ascent Vittrified	54. Latigress Vittrified Pvt. Ltd.	55. Real Granito Pvt. Ltd.	56. Surani Vittrified
57. Axwell Granito Pvt.,Ltd.	58. Lavish Granito Pvt. Ltd.	59. Redstone Granito Pvt. Ltd.	60. Swizzer Ceramic Pvt. Ltd.
61. Bicero Tiles LLP	62. Laxveer Ceramic LLP	63. Renite Vittrified LLP	64. Symbosa Granito Pvt. Ltd.
65. Blizzard Vittrified LLP	66. Lemstone Ceramic LLP	67. Rexsona Tiles Pvt. Ltd.	68. Taurus Tiles Pvt. Ltd.
69. Blue Art Granito Pvt. Ltd.	70. Lemzon Granito LLP	71. Rey Cera Creation Pvt. Ltd.	72. Titanium Vittrified Pvt. Ltd.
73. Bluezone Vittrified Pvt. Ltd.	74. Lemorex Granito LLP	75. Rich Vittrified Pvt. Ltd.	76. Tocco Granito Pvt. Ltd.
77. Bonza Vittrified	78. Lenora Vittrified	79. Rockland Ceramic LLP	80. Vardhman Vittrified Pvt. Ltd.
81. Bravat Granito LLP	82. Lenz Ceramic Pvt. Ltd.	83. Rollza Granito LLP	84. Varmora Granito Pvt. Ltd.
85. Bronze Granito LLP	86. Leopard Vittrified Pvt. Ltd.	87. Rosata Vittrified Tiles Pvt. Ltd.	88. Velsaa Vittrified LLP
89. Cadillac Granito Pvt. Ltd.	90. Levita Granito Pvt. Ltd.	91. Roton Vittrified Pvt. Ltd.	92. Veritees Granito LLP
93. Capron Vittrified Pvt. Ltd.	94. Lexus Granito (India) Pvt. Ltd.	95. Sanford Vittrified Pvt. Ltd.	96. Vintage Tiles Pvt. Ltd.
97. Casa Tiles Pvt. Ltd.	98. Lezora Vittrified Pvt. Ltd.	99. Sanskar Granito Pvt. Ltd.	100. Vita Granito Pvt. Ltd.
101. Clan Vittrified Pvt. Ltd.	102. Lgf Vittrified Pvt. Ltd.	103. Sarju Vittrified Pvt. Ltd.	104. Velbon Vittrified LLP
105. Classy Tiles LLP	106. Livenza Granito LLP	107. Savino Granito Pvt. Ltd.	108. White House Tile Pvt. Ltd.

109. Clayris Ceramic Pvt. Ltd.	110. Livolla Granito LLP	111. Savio Ceramica Pvt. Ltd.	112. Wintel Ceramics Pvt. Ltd.
113. Claystone Granito Pvt. Ltd.	114. Lizzart Granito LLP	115. Scientifica Tiles LLP	116. Wintop Vitrified Pvt. Ltd.
117. Color Granito Pvt. Ltd.	118. Locero Ceramic Pvt. Ltd.	119. Sega Granito LLP	120. Zandros Granito LLP
121. Comet Granito Pvt. Ltd.	122. Lorence Vitrified LLP	123. Segam Tiles P.Ltd.	124. Zarko Granito Pvt. Ltd.
125. Commander Vitrified Pvt. Ltd.	126. Lorenzo Vitrified Tiles Pvt. Ltd.	127. Sentosa Granito Pvt. Ltd.	128. Zealtop Granito Pvt. Ltd.
129. Conor Granito Pvt. Ltd.	130. Maps Granito Pvt. Ltd.	131. Seron Granito Pvt. Ltd.	132. Zed Vitrified Pvt. Ltd.
133. Coral Granito Pvt. Ltd.	134. Marbelano Tiles LLP	135. Sez Vitrified Pvt. Ltd.	136. Abode Granito
137. Corus Vitrified Pvt. Ltd.	138. Max Granito Pvt. Ltd.	139. Shreeji Ceramic Industries	140. Itoli Granito LLP
141. Cosa Ceramic Pvt. Ltd.	142. Mbo Granito LLP	143. Shreeji Vitrified Pvt. Ltd.	144. Emcer Tiles Pvt. Ltd.
145. Creanza Ceramic Pvt. Ltd.	146. Mega Vitrified Pvt. Ltd.	147. Shreem Vitrified Pvt. Ltd.	148. Sisam Granito Pvt. Ltd.
149. Crevita Granito Pvt. Ltd.	150. Metro City Tiles Pvt. Ltd.	151. Royaltouch Vitrified Pvt. Ltd.	152. Solizo Vitrified P.L.
153. Cruso Granito Pvt. Ltd.	154. Metro Pole Tiles Pvt. Ltd.	155. Silon Granito LLP	156. Suncore Tiles Pvt. Ltd.
157. Donato Vitrified Pvt. Ltd.	158. Millennium Vitrified Tiles Pvt. Ltd.	159. Simanto Vitrified LLP	160. Sento Vitrified LLP
161. Duracon Vitrified Pvt. Ltd.	162. Monarch Ceramic Pvt. Ltd.	163. Simero Vitrified Pvt. Ltd.	164. Simola Tiles LLP.
165. Dureza Granito Pvt. Ltd.	166. Monza Granito Pvt. Ltd.	167. Simola Vitrified Pvt.. Ltd.	168. Abroad Vitrified Pvt. Ltd.
169. Elica Vitrified Pvt. Ltd.	170. Mozart Vitrified Pvt. Ltd.	171. Simolex Vitrified Pvt. Ltd.	172. Delta Granito Pvt. Ltd.
173. Emboza Granito Pvt. Ltd.	174. Multistone Granito Pvt. Ltd.	175. Nexion International Pvt. Ltd.	176. Oasis Tiles LLP
177. Epson Vitrified Pvt. Ltd.	178. Neelson Ceramic LLP.	179. Simpolo Vitrified Ltd.	180. Grayphon Ceramic Pvt. Ltd.
181. Eracon Vitrified Pvt. Ltd.	182. Nessa Vitrified LLP	183. Sims Ceramic Pvt. Ltd.	184. Lancosa Ceramic LLP
185. Famous Vitrified Pvt. Ltd.	186. New Pearl Vitrified Pvt. Ltd.	187. Sims Ceramic Pvt. Ltd. Unit-2	188. Simpex Granito Pvt. Ltd.
189. Finolight Ceramic Pvt. Ltd.	190. New Vardhman Vitrified Pvt. Ltd.	191. Simstone Ceramic Pvt. Ltd.	192. Verona Granito Pvt. Ltd.
193. Finstone Granito Pvt. Ltd.	194. Nextile Marbosys P.L.	195. Siyaram Granito Pvt. Ltd.	196. Senso Granito Pvt. Ltd.
197. Fiorenza Granito Pvt. Ltd.	198. Nice Ceramic Pvt. Ltd.	199. Siyaram Vitrified Pvt. Ltd.	200. Caramia Granito LLP
201. Flavour Granito LLP	202. Noken Vitrified Pvt. Ltd.	203. Skajen Vitrified Pvt. Ltd.	204. Accord Vitrified Pvt. Ltd.

205. Fusion Granito P.L.	206. Notto Granito LLP	207. Skytouch Ceramic	208. Qutone Ceramic Unit-4
209. Granoland Tiles LLP	210. Oasis Vitrified Pvt. Ltd.	211. Slim Tiles P.L.	212. Greencity Ceramic
213. Hewk Granito P.L.	214. Olwin Tiles(India) Pvt. Ltd.	215. Sologres Granito Pvt. Ltd.	216. Hollis Vitrified Pvt. Ltd.
217. Omen Vitrified Pvt. Ltd.	218. Somany Fine Vitrified P.L.		

Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitaryware

1. Acer Granito Pvt. Ltd.	2. Jaxx Vitrified Pvt. Ltd.	3. Sentini Cermica (P) Ltd.	4. Spectrum Johnson Tiles Pvt. Ltd.
5. Antique Marbonite Pvt. Ltd.	6. Kajaria Ceramics Ltd.	7. Silica Ceramica (P) Ltd.	8. Varmora Granito Pvt. Ltd.
9. Asian Granito India Ltd.	10. Kajaria Sanitaryware Pvt. Ltd.	11. Simpolo Vitrified Pvt. Ltd.	12. Vennar Ceramics Ltd.
13. Calypso Ceramic Pvt. Ltd.	14. Kajaria Tiles Pvt. Ltd.	15. Sirazee Tiles Pvt. Ltd.	16. Vintage Tiles Pvt. Ltd.
17. Commander Vitrified Pvt. Ltd.	18. Orient Bell Ltd.	19. Small Johnson Floor Tiles Pvt. Ltd.	20. Wall Cera Tiles Pvt. Ltd.
21. Coral Gold Tiles Pvt. Ltd.	22. Prism Johnson Ltd	23. Solizo Vitrified Pvt. Ltd.	24. Coral Granito Pvt. Ltd.
25. R.A.K. Ceramics India Pvt. Ltd.	26. Somany Ceramics Ltd.	27. Cosa Ceramics Pvt. Ltd.	28. Sanskar Ceramics Pvt. Ltd.
29. Somany Fine Vitrified Pvt. Ltd.			

Morbi Ceramic Manufacturers Association

1. Aajveto Manufacturing Pvt. Ltd.	2. Simero Vitrified Private Limited	3. Suzlon Ceramic	4. Krypton Ceramic Pvt. Ltd.
5. Abode Granito LLP	6. Simero Vitrified Pvt. Ltd. Unit-2	7. Swiss Ceramic Pvt. Ltd.	8. Krishna Wall And Glaze Tiles Private Limited
9. Abroad Vitrified Pvt. Ltd.	10. Simola Tiles LLP	11. Tecco Ceramics	12. Lactose Ceramic LLP.
13. Accord Vitriefied Pvt. Ltd.	14. Simola Vitrified Pvt. Ltd.	15. Tekza Ceramic	16. Lado Ceramic Pvt. Ltd.
17. Acecon Vitrified Pvt. Ltd.	18. Simolex Ceramic Pvt. Ltd.	19. Toronto Ceramic Pvt. Ltd.	20. Lamb Ceramics Pvt. Ltd.
21. Acer Granito Pvt. Ltd.	22. Simonza Tiles LLP	23. Ucon Ceramica LLP	24. Lapwing Ceramic
25. Admin Vitrified Private Limited	26. Simpolo Vitrified Private Limited	27. Uday Gold Ceramic	28. Lasa Cera Pvt. Ltd.
29. Adoration Ceramica Pvt. Ltd.	30. Simstone Ceramic Pvt. Ltd.	31. Varmora Granito Pvt. Ltd.(Unit li-	32. Latto Tiles LLP

		Nokia)	
33. Affil Vittrified Pvt. Ltd.	34. Sinox Granito LLP.	35. Veto Ceramic Pvt. Ltd.	36. Lavish Ceramics
37. Agilis Vittrified Pvt. Ltd.	38. Sisam Granito LLP	39. Victory Floor Tiles Pvt. Ltd.	40. Lemon Tiles LLP
41. Alfa Vittrified Pvt. Ltd.	42. Siscon Tiles LLP	43. Vikas Sanitary Wares	44. Lemosia Tiles LLP.
45. Alfanso Vittrified Pvt. Ltd.	46. Siyaram Granito Pvt. Ltd.	47. Viviana Vittrified Pvt. Ltd.	48. Levent Ceramics
49. Alinta Granito Private Limited	50. Siyaram Vittrified Pvt. Ltd.	51. Volento Ceramic	52. Levinza Ceramic Pvt. Ltd.
53. Alive Granito LLP	54. Skajen Vittrified Pvt. Ltd.	55. Volga Ceramic Pvt. Ltd.	56. Leviton Ceramic LLP.
57. Alliance Vittrified Pvt. Ltd.	58. Skytouch Ceramic Pvt. Ltd.	59. Winmax Ceramic Pvt. Ltd.	60. Lexicon Ceramic Pvt. Ltd.
61. Ambani Vittrified Private Limited	62. Slim Tile Pvt. Ltd.	63. Yashveer Ceramic	64. Lexo Ceramic
65. Antiek Vittrified LLP	66. Solizo Vittrified Pvt. Ltd.	67. Yuvi Tiles Pvt. Ltd.	68. Lexoplus Ceramic
69. Antique Marbonite Pvt. Ltd.	70. Sologres Granito Pvt. Ltd.	71. Aaru Sanitary Wares	72. Lexus Granito India Limited
73. Ark Stone LLP	74. Solorex Tiles LLP	75. Antrix Sanitarywares	76. Lezwin Tiles LLP
77. Armano Vittrified LLP	78. Solostone Cera LLP	79. Apex Ceramics	80. Lichi Ceramic
81. Ascent Ceramica Pvt. Ltd.	82. Somany Fine Vittrified Pvt. Ltd.	83. Aquatop Ceramic	84. Lightcity Ceramic Pvt. Ltd.
85. Astila Ceramic Pvt. Ltd.	86. Soncera LLP	87. Bafit Sanitaryware LLP	88. Linia Ceramic LLP
89. Avalta Granito Private Limited	90. Sonex Vittrified LLP	91. Bathco Ceramic LLP	92. Livecity Ceramic Pvt. Ltd.
93. Axison Vittrified Pvt. Ltd.	94. Sorento Ggranito Pvt. Ltd.	95. Bathero Sanitary LLP.	96. Livon Ceramic
97. Axwell Granito Pvt. Ltd.	98. Soriso Granito LLP	99. Bell Sanitary Wares	100. Liza Tiles Pvt. Ltd.
101. Blizzard Ceramica LLP	102. Sparron Vittrified LLP	103. Brilliant Sanitaryware Private Limited	104. Logart Ceramic Pvt. Ltd.
105. Blizzard Vittrified LLP	106. Sparten Granito Pvt. Ltd.	107. Classy Sanitarywares	108. Lorex Ceramic
109. Blueart Granito Pvt. Ltd.	110. Spectrum Johnson Tiles Pvt. Ltd.	111. Conffi Sanitaryware Pvt. Ltd.	112. Lorian Ceramic Lp
113. Bluegress Porselano LLP	114. Spera Vittrified LLP	115. Corostar Bathware LLP	116. Lorica Tiles LLP
117. Bluezone Vittrified Pvt. Ltd.	118. Sperita Granito LLP	119. Coto Ceramic Pvt. Ltd.	120. Lorus Ceramic
121. Boffo Granito LLP	122. Spolo Ceramic Pvt. Ltd.	123. Cozy Sanitaryware LLP	124. Lotus Ceramic
125. Bonza Vittrified Pvt.	126. Square Ceramic Pvt.	127. Cura Sanitaryware	128. Lumen Ceramic Pvt.

Ltd.	Ltd.	LLP	Ltd.
129. Bravat Granito LLP	130. Stenford Ceramic	131. Delphi Ceramics	132. Luxurico Ceramic LLP
133. Bronze Granito LLP	134. Suncore Tiles Private Limited	135. Dovel Ceramics	136. Lycos Ceramic Pvt. Ltd.
137. Cadillac Granito Pvt. Ltd.	138. Sunflora Vitrified Pvt. Ltd.	139. Durley Saniware (Vida)	140. Mark Glaze Tiles Pvt. Ltd.
141. Capron Vitrified Pvt. Ltd.	142. Sunglare Vitrified Pvt. Ltd.	143. Eagle Ceramics	144. Max Ceramics Pvt. Ltd.
145. Caramia Granito LLP	146. Sunpark Granito Pvt. Ltd.	147. Ereto Sanitary	148. Maximo Ceramic
149. Clan Vitrified Pvt. Ltd.	150. Sunshine Tiles Company Pvt. Ltd.	151. Eros For Sanitaryware	152. Millennium Ceramic LLP
153. Classy Tiles LLP.	154. Sunshine Tiles Company Pvt. Ltd.	155. Euroca Industries	156. Million Ceramic
157. Clayart Granito LLP	158. Sunshine Tiles Company Pvt. Ltd.	159. Geobath Sanitaryware LLP	160. Mod Ceramic Industries Ltd. (Argil)
161. Claystone Granito Pvt. Ltd.	162. Sunworld Vitrified Pvt. Ltd.	163. Greta Bathware Pvt. Ltd.	164. Montana Tiles Pvt. Ltd.
165. Color Granito Pvt. Ltd.	166. Surani Vitrified Pvt. Ltd.	167. Havit Sanitary Ware	168. Montello Ceramic LLP
169. Comet Granito Pvt. Ltd.	170. Swell Granito LLP	171. Hem Ceramics	172. Motto Tiles Pvt. Ltd.
173. Commander Vitrified Pvt. Ltd.	174. Swizzer Ceamic Pvt. Ltd.	175. Home Decor Sanitary Complex	176. Mox Tiles LLP
177. Coner Granito Pvt. Ltd.	178. Symbosa Granito Pvt. Ltd.	179. Honest Ceramic Pvt. Ltd. (Endeka Bathware)	180. Mozaro Tiles LLP
181. Coral Ggranito Pvt. Ltd.	182. Taurus Tiles Pvt. Ltd.	183. Ivoc Sanitarywares	184. Mozzeco Tiles LLP
185. Coruso Vitrified Pvt. Ltd.	186. Titanium Vitrified Pvt. Ltd.	187. I-Zec Sanitary Ware	188. Murano Tiles Pvt. Ltd.
189. Cosa Ceramics Pvt. Ltd.	190. Tocco Ceramic Pvt. Ltd.	191. Kacera Sanitaryware Pvt. Ltd.	192. Nageshwari Ceramic Pvt. Ltd.
193. Covertek Ceramica Private Limited	194. Varmora Ggranito Pvt. Ltd.	195. Kajaria Sanitaryware Private Limited	196. Neha Ceramic Industries
197. Creanza Ceramic Private Limited	198. Velbon Vitrified LLP	199. Kalyan Pottery Works	200. Nehani Tiles Pvt. Ltd.
201. Crevita Granito Pvt. Ltd.	202. Velloza Granito LLP	203. Lalpar Potterys	204. Nexona Ceramic LLP
205. Cruso Granito Pvt. Ltd.	206. Velsaa Vitrified LLP	207. Lito Sanitary Wares	208. Nilkanth Glazed Pvt. Ltd. (Linoxa)
209. Cyan Granito LLP	210. Veritaas Granito LLP	211. Neo Ceramic	212. Nityarav Ceramic LLP
213. Delta Ceramic	214. Verona Granito Private Limited	215. Nexgen Sanitaryware LLP	216. Nobel Wall Tiles (Specto)
217. Donato Vitrified Pvt. Ltd.	218. Veto Ceramic Pvt. Ltd.	219. Nilcore Bath LLP	220. Nubel Ceramic

221. Duracon Vitrified Pvt. Ltd.	222. Vintage Tiles Pvt. Ltd.	223. Nobel Bathware LLP	224. Oactiva Ceramic
225. Dureza Granito Pvt. Ltd.	226. Vita Granito Pvt. Ltd.	227. Nobel Sanitaryware	228. Olivia Ceramic Pvt. Ltd.
229. Elica Vitrified Pvt. Ltd.	230. White House Tiles Pvt. Ltd.	231. Orb Ceramic Pvt. Ltd.	232. Omano Tiles
233. Embito Granito LLP	234. Win-Tel Ceramics Pvt. Ltd.	235. Osaka Sanitary	236. Omexo Tiles
237. Emboza Granito Pvt. Ltd.	238. Wintop Vitrified Pvt. Ltd.	239. Osho Sanitarywares Pvt. Ltd.	240. Opwell Ceramic Pvt. Ltd.
241. Emcer Tiles Pvt. Ltd.	242. Zandros Granito LLP	243. Polo Sanitarywares	244. Orbit Cera Tiles Pvt. Ltd.
245. Eracon Vitrified	246. Zarko Granito Private Limited	247. Priya Ceramics	248. Orkay Ceramic LLP
249. Famous Vitrified Pvt. Ltd.	250. Zealtop Granito Pvt. Ltd.	251. Pupa Sanitary Industries Pvt. Ltd.	252. Orken Ceramic Pvt. Ltd.
253. Finolite Ceramic	254. Zed Vitrified Private Limited	255. Racy Sanitarywares	256. Oscar Ceramics
257. Finstone Granito Private Limited	258. Active Ceramic Pvt. Ltd.	259. Rameshwar Sanitary Ware	260. Oyo Ceramic Pvt. Ltd.
261. Fiorenza Granito Pvt. Ltd.	262. Airson Ceramic Industries	263. Rivera Ceramic	264. Panara Ceramic Private Limited
265. Flavour Granito LLP	266. Akruti Ceramic Pvt. Ltd.	267. Robb Sanitaryware LLP	268. Parker Tiles Pvt. Ltd.
269. Fusion Granito Pvt. Ltd.	270. Angel Ceramics Pvt. Ltd.	271. Samrat Sanitaryware Pvt. Ltd.	272. Penguin Ceramics
273. Geogres Tiles LLP	274. Antiqua Ceramic Pvt. Ltd.	275. Sanyo Ceramic	276. Platinum Ceramic Pvt. Ltd.
277. Granoland Tiles LLP	278. Antonova Tiles India Pvt. Ltd.	279. Scotlane Ceramics	280. Pulsar Tiles
281. Greencity Ceramic	282. Apple Tiles Pvt. Ltd.	283. Scoware Ceramic Pvt. Ltd.	284. Q-7 Ceramic LLP
285. Greenray Granito Pvt. Ltd.	286. Apricot Tiles India Pvt. Ltd.	287. Senisto Sanitaryware LLP	288. Qrax Ceramic LLP
289. Greenstone Granito Pvt. Ltd.	290. Aqval Ceramic	291. Sento Sanitarywares	292. Qulux Tiles LLP
293. Greenzone Granito Pvt. Ltd.	294. Arido Ceramic	295. Shri Nilkanth Industries	296. Ramos Ceramic Pvt. Ltd.
297. Gryphon Ceramics Pvt. Ltd.	298. Ashutosh Tiles Pvt. Ltd.	299. Sifon Ceramic	300. Range Ceramic Pvt. Ltd.
301. Hawk Granito Pvt. Ltd.	302. Aston Ceramic	303. Silora Ceramic LLP	304. Recore Ceramic
305. Hollis Vitrified Pvt. Ltd.	306. Audi Ceramic LLP	307. Simpolo Ceramics	308. Revenza Ceramic
309. Ibis Smart Marble Pvt. Ltd.	310. Auckland Ceramic Pvt. Ltd.	311. Skymate Sanitaryware (Selfie)	312. Rex Ceramic Pvt. Ltd.
313. Ibiza Tiles LLP	314. Axiom Ceramic Pvt. Ltd.	315. Snob Sanitary Ware	316. Rextron Ceramics Pvt. Ltd.

317. Icera Tiles LLP	318. Balaji Ceramic	319. Socca Sanitaryware LLP	320. Riga Ceramica Pvt. Ltd.
321. Icon Granito Pvt. Ltd.	322. Bej Ceramic	323. Solexo Ceramics	324. Rio Ceramic Pvt. Ltd.
325. Ikaa Granito Pvt. Ltd.	326. Benta Ceramic Pvt. Ltd.	327. Solitaire Sanitary Wares Pvt. Ltd.	328. Roar Ceramic LLP
329. Imlis Ceramica LLP	330. Bhabha Ceramic Pvt. Ltd.	331. Solo Ceramics	332. Roland Ceramic
333. Itacon Granito Pvt. Ltd.	334. Bhimani Ceramic Industries	335. Somany Sanitaryware Pvt. Ltd.	336. Rome Tiles
337. Italica Floor Tiles Pvt. Ltd.	338. Bicero Tiles LLP	339. Somex Ceramic	340. Rosabella Ceramic LLP
341. Italus Vitrrified LLP	342. Canton Ceramic	343. Sona Ceramic	344. Rossa Tiles Pvt. Ltd.
345. Itcos Granito LLP	346. Capson Tiles Pvt. Ltd.	347. Sona Field Ceramic	348. Rotto Ceramic LLP
349. Itoli Granito LLP	350. Ceravat Ceramic	351. Sonam Ceramics (Soncera)	352. Rozzby Ceramik LLP
353. Jaxx Vitrified Pvt. Ltd.	354. Cibela Ceramic Pvt. Ltd. Parking	355. Sonara Sanitary Wares Pvt. Ltd.	356. Sadashiv Ceramic LLP
357. Jet Granito Private Limited	358. Cibela Vitrified Pvt. Ltd. (Cvl)	359. Sonet Ceramic	360. Sadbhav Ceramic
361. Kag Granito LLP	362. Coinn Tiles LLP	363. Sonet Sanitaryware	364. Safe Ceramic Pvt. Ltd.
365. Kamron Tiles LLP	366. Coral Ceramic Pvt. Ltd.	367. Sonex Ceramic	368. Saicon Tiles Pvt. Ltd.
369. Kera Vitrified LLP	370. Coral Plus Ceramic Pvt. Ltd.	371. Soyo Ceramic Pvt. Ltd.	372. Saimax Ceramic Pvt. Ltd.
373. Keval (Flais) Granito LLP	374. Corona Vitrified Pvt. Ltd.	375. Stylin Sanitarywares	376. Saiwin Ceramic Pvt. Ltd.
377. Kevin Ceramic Pvt. Ltd.	378. Croma Ceramic Pvt. Ltd.	379. Sun Ceramics	380. Salient Ceramic
381. Koyo Granito LLP	382. Deco Gold Glazed Tiles Ltd.	383. Sungold Ceramics	384. Salix Ceramic Pvt. Ltd.
385. Krypton Granito Pvt. Ltd.	386. Deepson Ceramic	387. Swede Ceramic LLP	388. Samsun Ceramic Pvt. Ltd.
389. Laffans Granito Pvt. Ltd.	390. Delfina Ceramic Pvt. Ltd.	391. Sweltos Sanitaryware LLP	392. Sanariya Ceramic LLP
393. Lakme Vitrified LLP	394. Dell Ceramic Pvt. Ltd.	395. Tathastu Vitrous	396. Sanskar Ceramics Pvt. Ltd. Unit-1
397. Lancosa Ceramic LLP	398. Delta Tiles Ltd.	399. Tessa Sanitary Wares	400. Santosh Cera Tiles
401. Land Decor Tiles LLP	402. Digicera Tiles LLP	403. Tita Sanitarywares Pvt. Ltd.	404. Santuro Ceramics LLP
405. Latigres Vitrified Pvt. Ltd.	406. Digital Ceramics Pvt. Ltd.	407. Tora Sanitarywares	408. Sanvis Ceramic Pvt. Ltd.
409. Lavish Granito Private Limited	410. Diliso Ceramic	411. Ultra(Trovine) Sanitary	412. Satyam Ceramics
413. Laxveer Ceramic	414. Enzo Ceramic Pvt.	415. Vishva Sanitary	416. Savino Ceramic Pvt.

LLP	Ltd.	Wares (Belmonte)	Ltd.
417. Lemorex Granito LLP	418. Excel Ceramic Pvt. Ltd.	419. Wagheshwar Tiles Company	420. Savion Ceramic (Qbo)
421. Lemstone Ceramic LLP	422. Fashion Ceramic	423. Watero Sanitary LLP	424. Savitra Tiles Pvt. Ltd.
425. Lemzon Granito LLP	426. Fea Ceramics	427. Wooga Ceramic Private Limited	428. Saxan Ceramic
429. Lenora Vitrified LLP	430. Finomax Ceramic	431. Abc Ceramic	432. Scotto Tiles LLP
433. Lenswood Ceramic LLP	434. Flora Ceramic Pvt. Ltd.	435. Accord Plus Ceramics Pvt. Ltd.	436. Secoora Tiles LLP
437. Lenz Ceramic Pvt. Ltd.	438. Freedom Ceramic Pvt. Ltd.	439. Acute Ceramic Pvt. Ltd.	440. Sega Ceramics Private Limited
441. Leopard Vitrified Pvt. Ltd.	442. Fresco Ceramic Pvt. Ltd.	443. Ad Mark Ceramic Ind	444. Sekol Tiles LLP
445. Lepono Porcelano LLP	446. Fresco Plus Ceramic Pvt. Ltd.	447. Ador Ceramics Pvt. Ltd.	448. Seleo Ceramic Pvt. Ltd.
449. Letic Vitrified Private Limited	450. Frita Ceramic Pvt. Ltd.	451. Aland Ceramic Pvt. Ltd.	452. Selvi Ceramics
453. Letoza Granito LLP	454. Glory Ceramic Pvt. Ltd.	455. Alcora Ceramic	456. Selza Ceramic Pvt. Ltd.
457. Levita Granito LLP	458. Goldcoin Ceramic	459. Alient Ceramics Pvt. Ltd.	460. Senior Ceramic
461. Lexus Granito India Ltd.	462. Graystone Ceramic LLP	463. Allix Ceramic Pvt. Ltd.	464. Senis Ceramic Private Limited
465. Lezora Vitrified Pvt. Ltd.	466. Greenstone Granito Pvt. Ltd.	467. Amodh Ceramic Pvt. Ltd.	468. Sepal Ceramic
469. Lgf Vitrified Pvt. Ltd.	470. Heelcera Tiles Pvt. Ltd.	471. Amora Ceramics Pvt. Ltd.	472. Sepal Tiles Pvt. Ltd.
473. Lioli Ceramica	474. Hilltop Ceramic	475. Amora Tiles Pvt. Ltd.	476. Seron Ceramics Pvt. Ltd.
477. Liva Ceramics	478. Icolux Porcelano LLP	479. Ample Ceramic	480. Seven Ceramics
481. Livenza Granito LLP	482. Itawa Tiles LLP	483. Amrut Ceramic	484. Sevenza Ceramic
485. Livolla Granito LLP	486. Jai Ganesh Vitrified Pvt. Ltd.	487. Anmol Ceramic	488. Sezanza Ceramc
489. Lizzart Granito LLP	490. Jayco Ceramic	491. Antila Ceramic Pvt. Ltd.	492. Sherwin Tiles Pvt. Ltd.
493. Locero Ceramic Pvt. Ltd.	494. Kailashdarshan Tiles LLP	495. Aqsa Ceramic LLP	496. Shivshakti Ceramic Pvt. Ltd.
497. Lonix Ceramica LLP	498. Kaveri Ceramic	499. Aquila Ceramic Pvt. Ltd.	500. Shravya Ceramic LLP
501. Lorence Vitrified LLP	502. Keda Ceramic Pvt. Ltd.	503. Arise Ceramic Pvt. Ltd.	504. Shubham Ceramic
505. Lorenzo Vitrified Tiles Pvt. Ltd.	506. Koradiya Ceramic Pvt. Ltd.	507. Arix Ceramic	508. Shukanceramic Pvt. Ltd.
509. L-Tile Granito LLP	510. Landgrace Ceramic	511. Arkiton Tiles LLP	512. Sico Ceramic Pvt. Ltd.
513. Luften Tiles LLP	514. Landmark Tiles Pvt.	515. Arrone Ceramic	516. Signature Ceramic

	Ltd.		Pvt. Ltd.
517. Luxgres Ceramica LLP	518. Lanford Ceramic Pvt. Ltd.	519. Art Tile LLP	520. Silicon Ceramics
521. Makson Vitrified LLP	522. Larson Ceramic	523. Artiz Ceramics Pvt. Ltd.	524. Silvenia Ceramic Pvt. Ltd.
525. Maps Granito Pvt. Ltd.	526. Leadsun Ceramic LLP	527. Asta Ceramic Pvt. Ltd.	528. Silventa Ceramic Tiles Pvt. Ltd.
529. Marbilano Surfaces LLP	530. Legend Ceramic Pvt. Ltd.	531. Astis Ceramic LLP	532. Silverpearl Tiles I Pvt. Ltd.
533. Marbilano Tiles LLP	534. Lemorex Granito LLP	535. Astonia Ceramic Pvt. Ltd.	536. Silverstone Ceramic
537. Marfil Tiles LLP	538. Lexico Ceramic	539. Atom Ceramic	540. Simbel Ceramic Private Limited
541. Max Granito Pvt. Ltd.	542. Lexolite Ceramic LLP	543. Avenger Ceramic	544. Simken Ceramic Pvt. Ltd.
545. Mazzini Tiles LLP	546. Lgf Vitrified Pvt. Ltd.	547. Avens Tiles LLP	548. Simpan Ceramic Pvt. Ltd.
549. M-Bo Granito LLP	550. Linux Tiles Pvt. Ltd.	551. Avia Ceramic Pvt. Ltd.	552. Simplon Ceramic Pvt. Ltd.
553. Mega Vitrified Private Limited	554. Livanto Ceramic Pvt. Ltd.	555. Avlon Ceramic Pvt. Ltd.	556. Simpolo Wall
557. Megacity Vitrified LLP	558. Livoxi Ceramica	559. Axoli Tiles Pvt. Ltd.	560. Sipoc Ceramic
561. Metrocity Tiles Pvt. Ltd.	562. Logan Ceramic	563. Big Tiles	564. Sirium Cearmic Pvt. Ltd.
565. Metropole Tiles Pvt. Ltd.	566. Lorem Tiles Pvt. Ltd.	567. Biscon Tiles LLP	568. Sisam Ceramics Pvt. Ltd.
569. Millennia Ceramica Pvt. Ltd.	570. Lovato Ceramic Pvt. Ltd.	571. Blackberry Tiles Pvt. Ltd.	572. Sky Ceramic Pvt. Ltd.
573. Millennium Granito India Pvt. Ltd.	574. Lovin Tiles LLP	575. Blue Lake Ceramic	576. Slogan Ceramic
577. Millennium Tiles LLP	578. Loyal Ceramic LLP	579. Bluewin Tile LLP	580. Smile Ceramic Pvt. Ltd.
581. Millennium Vitrified Tiles Pvt. Ltd.	582. Lucaso Ceramic Pvt. Ltd.	583. Bluezone Tiles LLP	584. Sober Plus Ceramics
585. Milo Tile LLP	586. Lunar Ceramics	587. Boss Ceramics	588. Soffia Ceramic
589. Monarch Ceramic	590. Luton Ceramic Pvt. Ltd.	591. Calypso Ceramic Pvt. Ltd.	592. Solaris Ceramics Pvt. Ltd.
593. Monza Granito Pvt. Ltd.	594. Magic Ceramic	595. Capstone Ceramics India LLP	596. Solarium Ceramic Pvt. Ltd.
597. Motto Stone Private Limited	598. Magnum Ceramics Pvt. Ltd.	599. Captile LLP	600. Solenta Ceramic LLP
601. Mozart Vitrified Pvt. Ltd.	602. Marsal Ceramic Industries	603. Captiva Ceramic Industries	604. Solvish Ceramic LLP
605. Mozilla Granito LLP	606. Maruti Gold Industries	607. Cebon Ceramic Pvt. Ltd.	608. Sonex Industries
609. Multistone Granito Pvt. Ltd.	610. Matrix Ceramic	611. Cefone Ceramic LLP	612. Sonic Ceramic Pvt. Ltd.

613. Neelson Ceramic LLP	614. Mb Ceramic LLP	615. Ceracon Tiles	616. Sony Ceramics
617. Neelson Proslino LLP	618. Megatron Ceramic Pvt. Ltd.	619. Color Tiles Pvt. Ltd.	620. Speno Ceramic
621. Nessa Vitrified LLP	622. Metro Ceramic	623. Commander Ceramic Ind.	624. Spentika Ceramic Pvt. Ltd.
625. New Pearl Vitrified Pvt. Ltd.	626. Metrostar Tiles LLP	627. Coral Gold Tiles Pvt. Ltd.	628. Spenzen Ceramic Pvt. Ltd.
629. New Vardhman Vitrified Pvt. Ltd.	630. Metroworld Tiles Pvt. Ltd.	631. Corial Ceramic Pvt. Ltd.	632. Spenzzer Ceramic Pvt. Ltd.
633. Nexion International Pvt. Ltd.	634. Millennium Vitrified Tiles Pvt. Ltd.	635. Crizal Tiles LLP	636. Spice Ceramic Pvt. Ltd.
637. Nextile Marbosys Pvt. Ltd.	638. Mitco Ceramics	639. Cyber Ceramics	640. Spinora Tiles Pvt. Ltd.
641. Nice Ceramic Pvt. Ltd.	642. Moral Ceramic Pvt. Ltd.	643. Cygen Ceramic LLP	644. Stefina Ceramic Pvt. Ltd.
645. Noken Vitrified Pvt. Ltd.	646. Namu Ceramics	647. Delton Ceramic Pvt. Ltd.	648. Strawberry Ceramic Pvt. Ltd.
649. Notto Granito LLP	650. Nelco Ceramics	651. Devanto Ceramic	652. Stream Ceramic Private Limited
653. Oasis Tiles LLP	654. Ocean Ceramics Pvt. Ltd.	655. Digicera Tiles LLP	656. Stylem Tiles LLP
657. Oasis Vitrified Pvt. Ltd.	658. Olivia Ceramic Pvt. Ltd.	659. Doll Ceramic Pvt. Ltd. (Nasa Ceramic)	660. Subway Tiles LLP
661. Olwin Tiles India Pvt. Ltd.	662. Om Ceramic Industries	663. Dolphin Tile Concept	664. Success Ceramic Pvt. Ltd.
665. Onery Tiles LLP	666. Omen Vitrified Pvt. Ltd.	667. Dunexo Ceramic Pvt. Ltd.	668. Sunbond Ceramic Pvt. Ltd.
669. Orinda Granito LLP	670. Omex Ceramic	671. Eddica Ceramics LLP	672. Sunface Ceramic
673. Orinda Industries LLP	674. Opal Ceramic	675. Ediz Ceramic Pvt. Ltd.	676. Sunfame Ceramic Pvt. Ltd.
677. Passion Vitrified Pvt. Ltd.	678. Optel Ceramics Pvt. Ltd.	679. Eurocoin Ceramics Pvt. Ltd.	680. Sungracia Tiles Pvt. Ltd.
681. Perth Ceramic Pvt. Ltd.	682. Orange Ceramic	683. Evona Wall Tiles LLP	684. Sunland Ceramic Private Limited
685. Pioneer Ceramic Industries	686. Orento Ceramic	687. Exora Tiles LLP	688. Sunmark Ceramic
689. Platina Vitrified Pvt. Ltd.	690. Orfina Ceramic Pvt. Ltd.	691. Exotica Ceramic Pvt. Ltd.	692. Sunquro Ceramic
693. Proton Granito Pvt. Ltd.	694. Parcos Tiles LLP	695. Fabulla Ceramics Pvt. Ltd.	696. Sunraj Ceramic Pvt. Ltd.
697. Quro Vitrified Pvt. Ltd.	698. Plazma Granito Pvt. Ltd.	699. Face Ceramics Pvt. Ltd.	700. Sunray Tiles Pvt. Ltd.
701. Qutone Ceramic Pvt. Ltd.	702. Radiant Ceramic	703. Fame Ceramic Pvt. Ltd.	704. Sunrise Ceramic Pvt. Ltd.
705. Ramest Ceramic LLP	706. Real Ceramic Pvt. Ltd.	707. Famous Ceramic Industries	708. Supergres Ceramic LLP

709. Ramest Granito LLP	710. Rikon Ceramics	711. Favourite Plus Ceramic Pvt. Ltd.	712. Supergres Tiles LLP
713. Ramoji Granite Pvt. Ltd.	714. Rockland Ceramic LLP	715. Fenix Ceramic	716. Superior Ceramica
717. Real Ceramic Pvt. Ltd.	718. Romex Tiles Pvt. Ltd.	719. Finolite Ceramic	720. Swat Ceramic Pvt. Ltd.
721. Real Granito Pvt. Ltd.	722. Roy Ceramics	723. Flecto Ceramic Pvt. Ltd.	724. Sweet Ceramic Pvt. Ltd.
725. Redstone Granito Pvt. Ltd.	726. Royalica Tiles	727. Florex Ceramic Pvt. Ltd.	728. Swidan Ceramic
729. Renite Vitrified Pvt. Ltd.	730. Safilo Ceramics	731. Florice Ceramic LLP	732. Swim Ceramic
733. Rexsona Tiles Pvt. Ltd.	734. Saheb Ceramic Pvt. Ltd.	735. Florida Ceramic	736. Tecon Tiles Pvt. Ltd.
737. Rey Cera Creation Pvt. Ltd.	738. Salon Ceramic Pvt. Ltd.	739. Foram Glazed Tiles	740. Tilegres Ceramics
741. Rich Vitrified Private Limited	742. Santro Ceramics	743. G -Tone Tiles LLP	744. Torino Tiles LLP
745. Rollza Granito LLP	746. Sayona Ceramic	747. Gemstone Ceramic LLP	748. Uday Industries
749. Rosata Vitrified Pvt. Ltd.	750. Segal Ceramic Private Limited	751. Genuine Ceramic Pvt. Ltd.	752. Unirama Ceramic LLP
753. Roton Vitrified Pvt. Ltd.	754. Setmax Ceramic	755. Geotech Ceramic	756. Vadsola Ceramic
757. Rozark Granito LLP	758. Shagun Ceramics	759. Glossy Tiles / My Tile	760. Valencia Ceramic Pvt. Ltd.
761. Sanford Vitrified Pvt. Ltd.	762. Shallow Ceramic Pvt. Ltd.	763. Gravity Ceramic Pvt. Ltd.	764. Ve-7 Ceramic
765. Sanskar Ceramics Pvt. Ltd. Unit-2	766. Shapphire Ceramic Pvt. Ltd.	767. Grenic Tiles Pvt. Ltd.	768. Veganto Ceramic
769. Sanvis Ceramic Pvt. Ltd.	770. Shukn Plus Ceramic	771. Gress Ceramica Pvt. Ltd.	772. Velox Ceramic
773. Sarju Vitrified Pvt. Ltd.	774. Simora Tiles LLP	775. Greta Ceratech Pvt. Ltd.	776. Venice Ceramics
777. Savino Granito Pvt. Ltd.	778. Sizzle Ceramic	779. Gris Ceramic LLP	780. Vento Ceramic
781. Savio Ceramica Pvt. Ltd.	782. Skymax Ceramic	783. G-Top Designer Tiles	784. Vivanta Ceramic Pvt. Ltd.
785. Scientifica Tiles LLP	786. Small Johnson Floor Tiles Pvt. Ltd.	787. Harisun Ceramic Pvt. Ltd.	788. Wallcera Tiles Pvt. Ltd.
789. Sega Granito LLP	790. Sober Ceramics	791. Hem Ceramics	792. Wallmark Ceramic Industry
793. Segam Tiles Pvt. Ltd.	794. Solid Johnson Floor Tiles Pvt. Ltd.	795. Hexa Ceramic Pvt. Ltd.	796. Wallstone Ceramic
797. Sento Vitrified LLP	798. Soriso Ceramics Pvt. Ltd.	799. Hillstone Ceramic Pvt. Ltd.	800. Welcome Mineral Pvt. Ltd.
801. Sentosa Granito Pvt. Ltd.	802. Spa Ceramic Pvt. Ltd.	803. Himat Glazed Tiles	804. Welcome Tiles Private Limited

805. Seron Granito Pvt. Ltd.	806. Spentagon Ceramic Pvt. Ltd.	807. Himsun Ceramic	808. Wellona Ceramic LLP
809. Sez Vitrified Pvt. Ltd.	810. Spento Floor Tiles Pvt. Ltd.	811. Hitco Ceramics (India) Pvt. Ltd.	812. Whitegold Ceramics Pvt. Ltd.
813. Shreeji Ceramic Industries	814. Stenford (Godwin) Ceramik	815. Indesign Ceramics LLP	816. Windson Ceramic
817. Shreeji Vitrified Pvt. Ltd.	818. Stonza Ceramic Pvt. Ltd.	819. Itaca Ceramic Pvt. Ltd.	820. Winmax Plus Ceramic Pvt. Ltd.
821. Shreejiworld Ceramic LLP	822. Suman Ceramics	823. Italake Ceramic Pvt. Ltd.	824. Winsun Ceramic Pvt. Ltd.
825. Shreem Vitrified Pvt. Ltd.	826. Sunbright Ceramic Pvt. Ltd.	827. Itile LLP	828. Win-Tel Ceramics Pvt. Ltd.
829. Shubh Tiles Pvt. Ltd.	830. Sungloss Ceramic Industries	831. Ivanta Ceramics LLP	832. Wintouch Ceramic
833. Silk Ceramics	834. Sunora Ceramic Industries	835. Iyota Tiles LLP	836. Xpertceramic
837. Silk Touch Vitrified Pvt. Ltd.	838. Suntel Ceramic Pvt. Ltd.	839. Jubely Tiles LLP	840. Zibon Ceramic Pvt. Ltd.
841. Silon Granito LLP	842. Sunton Ceramic Pvt. Ltd.	843. Kalyan Glazed Tiles	844. Simanto Vitrified LLP
845. Superior Ceramica	846. Keezia Tiles LLP. (Emfio Tiles)	847. Superstar Ceramic	848. Kitco Ceramic
849. Simero International LLP			

Sabarkantha District Ceramics Association

1. Oracle Granito Ltd	2. Rewassa Ceramic Pvt Ltd	3. Signova Ceramic (Arina)	4. Asian Granito India Ltd
5. V R N Tiles Pvt Ltd	6. Santro Tiles Pvt Ltd	7. Sonata Tiles Pvt Ltd	8. Century Tiles Pvt Ltd
9. Ariston Tiles Ltd	10. Exaro Tiles Ltd	11. Adisan Tiles Ltd	12. Kethrose Tiles Ltd
13. Amezon Ceramic Pvt Ltd	14. Asian Granito India Ltd		

Attachment-D

List of producers that expressed support pre-initiation

1. Ajveto Manufacturing Pvt. Ltd.	2. Emcer Tiles Pvt. Ltd.	3. Lorenzo Vitrified Pvt. Ltd.	4. Simanto Vitrified Pvt. Ltd.
5. Acecon Vitrified Pvt. Ltd.	6. Eraconvitrified Pvt. Ltd.	7. Maps Granito Pvt. Ltd.	8. Simola Vitrified Pvt. Ltd.
9. Admin Vitrified Pvt. Ltd.	10. Exxaro Tiles Pvt. Ltd.	11. Mega Vitrified Pvt. Ltd.	12. Simolex Ceramic Pvt. Ltd.
13. Affil Vitrified Pvt. Ltd.	14. Famous Vitrified Pvt. Ltd.	15. Millennium Tiles LLP	16. Simpolo Vitrified Pvt. Ltd.
17. Ajita-Sil-Chem Pvt. Ltd.	18. Finolite Ceramic	19. Monza Granito Pvt. Ltd.	20. Sisam Granito LLP

21. Alfa Vitrified Pvt. Ltd.	22. Fiorenza Granito Pvt. Ltd.	23. Mozart Vitrified Pvt. Ltd.	24. Siyaram Granito Pvt. Ltd.
25. Alfanso Vitrified Pvt. Ltd.	26. Fusion Granito Pvt. Ltd.	27. Multistone Granito Pvt. Ltd.	28. Siyaram Vitrified Pvt. Ltd.
29. Ambai Vitrified Pvt. Ltd.	30. Hawk Granito Pvt. Ltd.	31. Neelson Ceramic LLP	32. Skajen Vitrified Pvt. Ltd.
33. Ascent Ceramica Pvt. Ltd.	34. Hollis Vitrified Pvt. Ltd.	35. Nexion International Pvt. Ltd.	36. Slim Tiles Pvt. Ltd.
37. Asian Granito India Limited	38. Icon Granito Pvt. Ltd.	39. Noken Vitrified Pvt. Ltd.	40. Small Johnson Floor Tiles Pvt. Ltd.
41. Bicero Tiles LLP	42. Ikaa Granito Pvt. Ltd.	43. Notto Granito LLP	44. Solizo Vitrified Pvt. Ltd.
45. Blue Art Granito Pvt. Ltd.	46. Itacon Granito Pvt. Ltd.	47. Oasis Vitrified Pvt. Ltd.	48. Somany Fine Vitrified Tiles Pvt. Ltd.
49. Bluezone Vitrified Pvt. Ltd.	50. Italus Vitrified LLP	51. Olwin Tiles (India) Pvt. Ltd.	52. Spolo Ceramic Pvt. Ltd.
53. Bravat Granito LLP	54. Kera Vitrified LLP	55. Oracle Granito Limited	56. Stefina Vitrified Pvt. Ltd.
57. Bonza Vitrified Pvt. Ltd.	58. Koyo Granito LLP	59. Orinda Granito Limited	60. Suncore Tiles Pvt. Ltd.
61. Bronze Granito LLP	62. Krypton Granito LLP	63. Passion Vitrified Pvt. Ltd.	64. Sunflora Vitrified Tiles Pvt. Ltd.
65. Cadillac Granito Pvt. Ltd.	66. Lakme Vitrified LLP	67. Perth Ceramic Pvt. Ltd.	68. Sunglare Vitrified Tiles Pvt. Ltd.
69. Capron Vitrified Pvt. Ltd.	70. Latigres Vitrified Pvt. Ltd.	71. Platina Vitrified Pvt. Ltd.	72. Sunpark Granito Pvt. Ltd.
73. Clan Vitrified Pvt. Ltd.	74. Lavish Granito Pvt. Ltd.	75. Proton Granito Pvt. Ltd.	76. Sunworld Vitrified Pvt. Ltd.
77. Classy Tiles LLP	78. Laxveer Ceramic LLP	79. Qutone Ceramic Pvt. Ltd.	80. Swezzer Ceramic Pvt. Ltd.
81. Claystone Granito Pvt. Ltd.	82. Laffans Granito Pvt. Ltd.	83. Ramest Granito LLP	84. Taurus Tiles Pvt. Ltd.
85. Color Granito Pvt. Ltd.	86. Lemorex Granito LLP	87. Redstone Granito Pvt. Ltd.	88. Velbon Vitrified LLP
89. Comet Granito Pvt. Ltd.	90. Lemzon Granito LLP	91. Rich Vitrified Pvt. Ltd.	92. Tocco Ceramics Pvt. Ltd.
93. Cosa Ceramics Pvt. Ltd.	94. Lenora Vitrified LLP	95. Ramoji Granite Pvt. Ltd.	96. Veritaas Granito LLP
97. Coral Granito Pvt. Ltd.	98. Leopart Vitrified Pvt. Ltd.	99. Silk Touch Vitrified Pvt. Ltd.	100. Varmora Granito Pvt. Ltd.
101. Creanza Ceramic Pvt. Ltd.	102. Levita Granito LLP	103. Sega Granito LLP	104. Vita Granito Pvt. Ltd.
105. Crevita Granito Pvt. Ltd.	106. Lexus Granito India Limited	107. Sanskar Ceramics Pvt. Ltd.	108. Win-Tel Ceramics Pvt. Ltd.
109. Cruso Granito Pvt. Ltd.	110. Lezora Vitrified Pvt. Ltd.	111. Sarju Vitrified Pvt. Ltd.	112. Wintop Vitrified Pvt. Ltd.
113. Crystal Ceramic Industries Pvt. Ltd.	114. Livolla Granito LLP	115. Segam Tiles Pvt. Ltd.	116. Zed Vitrified Pvt. Ltd.

117. Dureza Granito Pvt. Ltd.	118. Lizzart Granito LLP	119. Sento Vittrified LLP	120. Ikaa Granito Pvt. Ltd.
121. Elica Vittrified Pvt. Ltd.	122. Locero Ceramic Pvt. Ltd.	123. Sentosa Granito Pvt. Ltd.	124. Shreem Vittrified Pvt. Ltd.
125. Emboza Granito Pvt. Ltd.			

Attachment-E

List of producers that filed requests for continuation of duty post hearing

1. Abroad Vittrified Pvt. Ltd.	2. Flavour Granito LLP	3. Neelson Ceramic LLP	4. Shreeji Ceramic Industries
5. Accord Vittrified Pvt. Ltd.	6. Fusion Granito Pvt. Ltd.	7. Neha Ceramic Industries	8. Shreeji Vittrified Pvt. Ltd.
9. Acecone Vittrified Pvt. Ltd.	10. Hawk Granito Pvt. Ltd.	11. Nehani Tiles Pvt. Ltd.	12. Shreem Vittrified Pvt. Ltd.
13. Admin Vittrified Pvt. Ltd.	14. Hollis Vittrified Pvt. Ltd.	15. Nessa Vittrified LLP	16. Silk Touch Vittrified Pvt. Ltd.
17. Alliance Vittrified Pvt. Ltd.	18. IBIS Smart Marble Pvt Ltd.	19. Nice Ceramic Pvt. Ltd.	20. Simero Vittrified Pvt. Ltd.
21. Ambani Vittrified Tiles	22. ICON Granito Pvt. Ltd.	23. Noken Vittrified Pvt. Ltd.	24. Simola Tiles LLP
25. Armano Vittrified LLP	26. Italica Floor Tiles Pvt. Ltd.	27. Notto Granito LLP	28. Simola Vittrified Pvt. Ltd.
29. Axison Vittrified Pvt. Ltd.	30. JET Granito Pvt. Ltd.	31. Olwin Tiles (India) Pvt. Ltd.	32. Simpolo Vittrified Pvt. Ltd.
33. Axwell Granito Pvt. Ltd.	34. Kamron Tiles LLP	35. Orinda Granito LLP	36. Siyaram Granito Pvt. Ltd.
37. Blueart Granito Pvt. Ltd.	38. Kera Vittrified LLP	39. Orinda Industries LLP	40. Skajen Vittrified Pvt. Ltd.
41. Bonza Vittrified Pvt. Ltd.	42. Kordiya Ceramic Pvt. Ltd.	43. Passion Vittrified Pvt. Ltd.	44. Small Johnson Floor Tiles Pvt. Ltd.
45. Bravat Granito LLP	46. Lakme Vittrified LLP	47. Perth Ceramic Pvt. Ltd.	48. Solizo Vittrified Pvt. Ltd.
49. Bravat Granito LLP	50. Latigres Vittrified Pvt. Ltd.	51. Proton Granito Pvt. Ltd.	52. Sparten Granito Pvt. Ltd.
53. Bronze Granito LLP	54. Lemzon Granito LLP	55. Ramest Granito LLP	56. Spera Vittrified LLP
57. Capron Vittrified Pvt. Ltd.	58. Lenswood Ceramics LLP	59. Ramoji Granite Pvt. Ltd.	60. Sperita Granito LLP
61. Clan Vittrified Pvt. Ltd.	62. Levita Granito LLP	63. Redstone Granito Pvt. Ltd.	64. Stenford Ceramic
65. Claystone Granito Pvt. Ltd.	66. Lezora Vittrified Pvt. Ltd.	67. Rexsona Tiles Pvt. Ltd.	68. Sunworld Vittrified Pvt. Ltd.
69. Color Granito Pvt. Ltd.	70. Livolla Granito LLP	71. Rich Vittrified Pvt. Ltd.	72. Taurus Tiles Pvt. Ltd.
73. Comet Granito Pvt. Ltd.	74. Marfil Tiles LLP	75. Rosata Vittrified Pvt. Ltd.	76. Velloza Granito LLP

77. Commander Vittrified Pvt. Ltd.	78. Maruti Gold Industries	79. Sanford Vittrified Pvt. Ltd.	80. Veritaas Granito LLP
81. Creanza Ceramic Pvt. Ltd.	82. M-BO Granito LLP	83. Savino Granito Pvt. Ltd.	84. Verona Granito Pvt. Ltd.
85. Crevita Granito Pvt. Ltd.	86. Mega Vittrified Pvt. Ltd.	87. Segam Tiles Pvt. Ltd.	88. Veto Ceramic Pvt. Ltd.
89. Duracon Vittrified Pvt. Ltd.	90. Millenium Granito India Pvt. Ltd.	91. Sento Vittrified LLP	92. Victory Floor Tiles Pvt. Ltd.
93. Dureza Granito Pvt. Ltd.	94. Millenium Vittrified Tiles Pvt. Ltd.	95. Sentosa Granito Pvt. Ltd.	96. Wintop Vittrified Pvt. Ltd.
97. Elica Vittrified Pvt. Ltd.	98. Milo Tile LLP	99. Sez Vittrified Pvt. Ltd.	100. Zed Vittrified Pvt. Ltd.
101. Famous Vittrified Tiles Pvt. Ltd.	102. Monarch Ceramic		